NATIONAL JOINT FOREST MANAGEMENT SUPPORT CENTRE – HARYANA

FINAL REPORT
(July 27, 1993 – December 9, 1996)

Submitted to

THE FORD FOUNDATION
NEW DELHI

TATA ENERGY RESEARCH INSTITUTE
DARBARI SETH BLOCK, HABITAT PLACE
LODI ROAD, NEW DELHI - 110 003

AUGUST 1997

Contents

Tables

Boxes

Figures

Annexure

Abbreviations and Acronyms

ACF	Assistant Conservator of Forests
ADC	Additional Deputy Commissioner
AKRSP	Aga Khan Rural Support Programme
BDO	Block Development Officer
BO	Block Officer(s)
CCF	Chief Conservator of Forests
CES	Centre for Ecological Studies, Bangalore
CF	Conservator of Forests
CIFOR	Centre for International Forestry Research
CSWCRTI	Central Soil and Water Conservation Research and Training Institute
DFO	Divisional Forest Officer(s)
DPF	Demarcated Protected Forest
EEC	European Economic Commission
EU	European Union
FAO	Food and Agricultural Organisation of the UN
FD	Forest Department
FG	Forest Guard (s)
FTPP	Forests, Trees and People Programme
GEF	Global Environment Facility
GOH	Government of Haryana
HFD	Haryana Forest Department
HP	Himachal Pradesh
HRMS	Hill Resource Management Society(ies)
IBRAD	Indian Institute of Bio-Social Research and Development
ICIMOD	International Centre for Integrated Mountain Development
IDRC	International Development Research Centre
IFS	Indian Forest Service
IIFM	Indian Institute of Forest Management, Bhopal
IIM	Indian Institute of Management
IIS	Indian Institute of Science
IIT	Indian Institute of Technology
JFM	Joint Forest Management
JFMP	Joint Forest Management Programme
JMU	Joint Management Unit
JPFM	Joint Participatory Forest Management
JPFMP	Joint Participatory Forest Management Programme
LR	Legal Representative
MC	Management Committee(s)
NGO	Non-Government Organisation(s)
NSG	National Support Group
ODA	Overseas Development Administration
PCCF	Principal Chief Conservator of Forests
PD	Process Documentation
PFM	Participatory Forest Management
PGDFM	Post Graduate Diploma in Forestry Management
PRA	Participatory Rural Appraisal

PRADAN	Professional Assistance for Development Action
RO	Range Officer (s)
RRA	Rapid Rural Appraisal
SDM	Sub-Divisional Magistrate
SFD	State Forest Department
SFS	State Forest Service
SPWD	Society for Promotion of Wastelands Development
TERI	Tata Energy Research Institute
UGC	University Grants Commission
UNDP	United Nations Development Programme
UNEP	United Nations Environment Programme
USA	United States of America
USAID	United States Agency for International Development
VFW	Village Forest Worker (s)
VIKSAT	Vikram Sarabhai Trust for Development Interaction
WG	Working Group(s)

Programme Summary

1	Name of the Project	:	National Joint Forest Management Support Centre - Haryana.	
2	Implementing Institute	.	Tata Energy Research Institute Darbari Seth Block, Habitat Place Lodi Road, New Delhi - 110 003	
3	Area of operation	.	Haryana State	
4	Collaborating Agency		Haryana Forest Department, Haryana	
5	Duration of the project		3 years and 5 months	
6	Date of commencement		July 27, 1993	
7	Date of completion		December 9, 1996	
8	Approved budget	.	US $ 273,900	
9	Project Staff		U S Vashisht	Consultant
			Bakhshish Singh	Fellow
			Abhash C. Panda	Fellow
			Jayesh Bhatia	Associate
			Ratna Verdhan	Associate
			Varsha Mehta	Associate
			Varun Singh	Associate
			Ajay Sharma	Associate
			Mathew Kurien	Associate
			B Mani Selvan	Associate
			V Varalakshmi	Associate
			Rohini Vijh	Associate
			S S Arora	Associate
			Neel Gaurav Mehta	Associate
			Saroj Nagar	Secretary
			Meenu Mahajan	Secretary
10	Project Coordinator		O N Kaul	
11	Project Advisor	.	R K. Pachauri	

Highlights

The fundamental agenda of "Sustainable Resource Development" through "Self-Sufficient Institutions" remained basic to the approach of TERI resource team in the second phase of the Ford Foundation sponsored JFMP in Haryana. The broad mandate of coordinating, facilitating and implementing the Programme in Haryana determines the wide range of interventions for the TERI Resource Team. The interventions were characterized by greater involvement with a broader cross-section of communities, in order to understand and influence the group dynamics. The HRMS show distinct progress towards self-reliance, as more societies undertake active voluntary participation in plantations, maintenance of dams, management of *bhabhar* and grass leases, etc. and enforce self-imposed discipline for protection and management of the Joint Forest Management Areas. The trend of HRMS commitments in terms of time, efforts and money in various activities is a significant development towards active community involvement in resource management.

1. ***The HRMS of village Bargodam has been awarded a Certificate of Recognition by "We the Peoples: 50 Communities Awards" (Friend of the United Nations), New York in December 1995, for creating "common unity"***

2. Establishment of JMU unit at Jagadhari, Yamunanagar Forest Division in August, 1994 to facilitate extension of the Programme in that division.

3. Regular meetings of the WG at different levels were held. Both the SLWG and the DLWG met five times during the second phase. RLWG were formulated to address specific issues arising in each Range.

4. Final version of JFM Rules for Haryana, along with the rules notified by other states were resubmitted to GOH for approval.

5. The total number of societies has risen from 40 at the end of first phase to 55 at the end of second phase. Annual elections were held regularly in all the functional HRMS. The total strength of HRMS membership continued to increase.

6. There was a perceptible shift towards the enhanced role of women with regard to their representation and participation in the functioning and activities of various HRMS. Most societies now have a greater representation of women in the general membership as well as in the MC, the general membership varying from 25 to more than 60 women, with at least two women members in the MC. The second phase of the Programme witnessed a woman as President in two HRMS.

7. Regular institutional meetings were held with various village communities, HRMS and their MC, and women and field staff of HFD, addressing the main agenda of institutional development. The institutions have taken initiative in managing the affairs of their

societies in undertaking plantation work, dam maintenance and repairs, and management of grass and fodder leases

8. The TERI Resource Team played an active role in resolving intra-HRMS and inter-HRMS conflicts with the involvement of HFD and society representatives.

9. Strengthening of institutional mechanisms and capacity of HRMS focused on maintenance and repair of water harvesting dams and associated distributional systems The participation of HRMS in management of water harvesting dams has improved with enhanced support from Ford Foundation. From the list of dams that require repair, prioritization based on the urgency of repair and community response was done and five HRMS took up voluntary repair of dams with the help of TERI Resource Team

10. A group of eight farmers from JFM areas and one Deputy Ranger from HFD visited Madurai District, where the group was familiarized with the concept of rehabilitation of earthen tanks through community participation and operational activities involved in it This was an excellent opportunity for sensitizing and exposing the farmers to another comparative model of community participation which highlighted the common agenda and associated participatory mechanisms that are being adopted in diverse settings

11. One-day training workshops were organized for newly elected MC members of all HRMS on the various aspects of day to day functioning of the society Six-day workshops on salient aspects of JFM were held for foresters and FG of HFD. FTC of one day duration were held in Morni-Pinjore and in Yamunanagar Forest Divisions. Women's training workshops were organized in Morni-Pinjore and Yamunanagar Forest Divisions

12. Two new training initiatives, i e. Training Workshops on Baseline Survey of Forest Resources under JFM and Workshops on Construction, Maintenance and Training Workshop on Repair, Maintenance and Construction of Water Harvesting Dams, were held for the staff of HFD as well as representatives of various HRMS. Training syllabi have regularly been updated in light of the feedback received from the participants and HFD

13. A Senior Officers' Workshop was organized for the higher bureaucracy of HFD

14. Interaction with external agencies engaged in participatory resource management included training visits by the JFM team of Himachal Pradesh Forest Department

15. A two day National Workshop on 'Microplanning in JFM' was organized at Pinjore by TERI

16. A two-day National Workshop on 'Process Documentation: The JFM Experience' was organised by TERI at Pinjore

17. The members of the TERI Resource Team actively participated in JFM Network meeting organized by the NSG as also other workshops and meetings held on the subject

18. Twenty four case studies were published during the second phase of the Programme. A number of case studies on various aspects of JFM are currently underway.

19. A quarterly newsletter in Hindi called 'JFM Samachar Patrika' was started during the second phase and so far nine issues of the newsletter have been published.

20 A database was compiled for all the HRMS in the Morni-Pinjore and Yamunanagar Forest Divisions A socio-economic survey of the HRMS was undertaken.

Introduction

This report, for the period from July 27, 1993 to December 9, 1996, is the final report of the second phase of JFM Support Programme being implemented by TERI in Haryana. The Programme is being executed in collaboration with the HFD, with financial support from the Ford Foundation. TERI coordinates the implementation and progressive development of the Programme and extends comprehensive operational support to the HFD

JPFM is a slow process and a long drawn programme. The basic problem is of getting attitudinal changes in the staff of the Forest Department, policy makers as well as village communities to orient these target groups to this new approach to forest management The current phase of the Programme became operational with effect from July 27, 1993 after completion of the first phase. While considerable progress was made in the first phase of Programme that ended in July 1993, further expansion, enhancement and establishment of the Programme was felt necessary in the longer perspective, for achieving the professed objectives of meaningful involvement of communities and the forest department in effective implementation of the Programme. The continued facilitative and interactive role of the TERI Resource Team, in assisting and augmenting the efforts of the HFD for development of PFM programme and its eventual adoption by the forest department, was considered essential. For this purpose, TERI submitted a proposal to the Ford Foundation, as a follow up of the on-going Support Programme for its continuation and extension. The proposal was approved by the Ford Foundation for funding in July 1993 for a period of three years with a budget grant of US $ 200,000

Institution building under JFMP is a basic activity which lends support in the development of HRMS towards enhanced involvement in the management of natural resources. As such, a supplementary proposal to strengthen the institutional mechanisms and the capacity of the societies, focussing on maintenance of water harvesting dams and distributional systems, was submitted to the Ford Foundation in 1994 This was approved by the Foundation for funding on December 9, 1994, for a period of two years, with a budget grant of US $73,900.

Objectives

The proposed objectives of the Programme were to develop, promote and implement sustainable participatory forest management systems with joint involvement of HFD and the local communities The fundamental objective of the Programme was to systematically integrate JPFM within the policies, programmes, procedures and operations of the HFD along with the involvement of communities in conservation, regeneration and sustainable management of forest resources Other objectives of the Programme were –

- Development of participatory forest management systems for adoption by the HFD
- Orientation of the forestry staff and local communities towards JPFM and their

attitudinal/operational transformation through grassroots meetings, training workshops, and extension activities

- Institutional training and development related consultation services to the HFD.
- Research on institutional, economic, ecological and socio-economic aspects/issues
- Dissemination of information concerning impacts of JPFM on ecological regeneration, economic productivity and environmental security through publications and workshops.

Programme Implementation

The Programme is being implemented through a JMU and three WG constituted for the purpose. The JMU supported by TERI Resource Team are functioning at Pinjore and Yamunanagar to implement and coordinate the Programme, and to facilitate better working relationship between the HFD and the village communities

Joint Management Unit

During the period under report, the JMU consisted of the following HFD staff from time to time

Mr J R Gupta, Coordinator, Pinjore (1993-1994)
Mr U S Vashisht, Coordinator, Yamunanagar (1994-1995)
Mr R P Dange, Coordinator, Pinjore (1994-1996)
Mr Mahipal Singh, Coordinator, Pinjore (1996)
Mr Barkha Ram, Surveyor (Part time)
Mr Balkishan, Office Attendant

The JMU established during phase I and staffed by officers and staff from the HFD continued to function The JMU was headed by a Coordinator of the rank of an ACF from the HFD. In 1995 a second JMU was established at Yamunanagar to help expand JFM activities in Yamunanagar The JMU at Pinjore and Yamunanagar supported by TERI Resource Team continued to coordinate the Programme by facilitating village meetings, field trips, conflict resolution, election, deliberations, formation of new HRMS, updating of records and accounts, training workshops for MC members, HFD staff and women and training camps for farmers.

The TERI Resource Team associated with the Programme with the second phase was as follows

Resource team	Mr U S Vashisht, Consultant Dr Bakhshish Singh, Fellow Dr Abhash C Panda, Fellow Mr Jayesh Bhatia, Associate

Ms Ratna Verdhan, Associate
Ms Varsha Mehta, Associate
Mr Varun Singh, Associate
Mr Ajay Sharma, Associate
Mr Mathew Kurien, Associate
Mr B Mani Selvan, Associate
Ms V Varalakshmi, Associate
Ms Rohini Vijh, Associate
Mr S S Arora, Associate
Mr Neel Gaurav Mehta, Associate
Ms Saroj Nagar, Secretary
Ms Meenu Mahajan, Secretary

Project Coordinator . Mr O N Kaul
Project Advisor Dr R K Pachauri

The TERI Resource Team comprises professionals with multi-disciplinary background involving academic and professional exposure to diverse areas of forestry, rural sociology, common property resources, participatory management, natural resource management, extension and wasteland development. The greatest strength of the Resource Team lies in its ability and determination to establish credible rapport with the local communities and work with them. The very role of coordinating and facilitating the whole process of participatory management, implied a wide domain of interventions, extending to the apex fora (NSG on JFM, SLWG and Ford Foundation etc.) on one hand, and to the grassroots level (HRMS) in villages of Haryana on the other hand. The support extended by TERI Team to JMU involved regular participation in village meetings, organizing training programmes for forestry staff and HRMS office bearers, conducting tours of visitors to JFM areas, presenting papers in seminars and conferences, undertaking case studies and research, process documentation, coordinating between HFD and HRMS, disseminating information through publication of newsletter, workshop proceedings, articles, pamphlets and presentations etc.

Working Groups

Prior to TERI's implementing the JFM Support Programme, an informal State level WG meeting chaired by the PCCF was established to meet every four to eight weeks to monitor the working and development of the Programme. One of the first decisions of the Group was to formulate a policy proposal to provide support for Joint Management Agreements. This WG was reconstituted by the HFD in May 1990.

Later on in the first phase, WG were established at the Range and Divisional levels apart from the SLWG. The establishment of WG at State, Divisional and Range levels is a significant step towards effective implementation of the Programme. The WG coordinate and execute the

policy and operational aspects at their respective levels and are responsible for the overall monitoring and development of the Programme.

State Level Working Group

The WG continued to be the apex decision making body to oversee the working, development and effective implementation of the Programme The Group is chaired by the PCCF of the HFD and has the following membership.

1.	Principal Chief Conservator of Forests	–	Chairperson
2.	Conservator of Forests (Northern Circle)	–	Member
3.	Conservator of Forests (Headquarters)	–	Member
4.	Conservator of Forests (Development)	–	Member
5	Divisional Forest Officer, Morni-Pinjore Division	–	Member
6	Divisional Forest Officer, Yamunanagar Division	–	Member
7	Coordinators, JMUs (Pinjore and Yamunanagar)	–	Member
8.	Program Officer, Ford Foundation	–	Member
9	Representatives of TERI	–	Member

This WG makes various recommendations and proposals to the HFD and the GOH for effective implementation of the Programme and clarifies details concerning the policy, formation new societies, grass leases, water harvesting dams, microplanning, training workshops, publication of publicity and extension material, disputes between HRMS, new methodologies and work schedules. The WG oversees the overall functioning of the JMU, HRMS and TERI Resource Team Though the WG is informal in its meetings, each meeting has a well defined agenda for deliberations which is distributed prior to the meeting.

The SLWG during the second phase of JFMP, held meetings on July 23, 1997, April 25, 1994, November 7, 1994, May 9, 1995, and on April 10, 1996.

Divisional Level Working Group

The DLWG, as a constituent of the main SLWG was set up during the planning workshop on "Institutional Change Research Network" held at Pinjore in September 1991 in order to coordinate the day to day working of the Programme There are two DLWG, one each for Morni-Pinjore and Yamunanagar Divisions with the following membership.

1	Divisional Forest Officer, Morni-Pinjore	–	Chairperson
2	Coordinator, JMU, Pinjore/Yamunanagar	–	Member
3	Range/Block Officers	–	Member
4	Representative from TERI	–	Member

Some of the important issues discussed in the various DLWG were prioritizing the repair of dams in the two forest divisions of Morni-Pinjore and Yamunanagar, *bhabbar* grass yields in different areas as well as the procedure of *bhabbar* grass lease, permits of bamboos to *Bhanjdas* (basket makers) in Kalka and Badgodam, organizing training courses for the HFD staff and FTC on JFM, forest protection and management, involvement of FG/BO in day to day functioning of the HRMS, fire protection etc. During the second phase, the DLWG meetings were held on October 29, 1993, April 7, 1994, September 1, 1995, September 19, 1995 (all at Pinjore) and on October 30, 1995 (at Yamunanagar).

Range Level Working Group

During the DLWG meeting of October 29, 1993 a decision was taken to operationalise RLWG in different Ranges of Morni-Pinjore and Yamunanagar Divisions. A need was felt to facilitate implementation and monitoring of the Programme and address specific issues emerging in each Range during the course of implementation. The membership of the RLWG for each Range is as follows:

1	Range Officer	–	Chairperson
2	All Deputy Range Officers/BO/FG of the Range	–	Members
3	Representatives from respective HRMS in the Range	–	Members
4	Representatives from TERI	–	Member

During the period under report a number of informal RLWG meetings were held both in Morni-Pinjore and Yamunanagar Divisions. The issues discussed included, demarcation of forest areas between adjacent HRMS, management of *bhabbar* leases, weighment, permits etc.; the checking of HRMS records, repair and maintenance of water harvesting dams; mobilization of HRMS towards formation of Dam Committees; adoption of equitable system of water sharing, and formation of new HRMS and active participation of women

Strategies and Mechanisms

Since the inception of the Programme in July 1990, emphasis has remained on design, development and implementation of appropriate strategies and mechanisms which address the broader agenda of community participation and integration of JFM in departmental functioning The underlying approach in selecting the strategies/mechanisms is guided by joint involvement of both communities and the Department, in the collective endeavor of developing sustainable forest management systems

The main strategies and mechanisms to involve local people in joint management of natural resources are -

Institution building through meetings, discussion and grassroots interactions with office

bearers, society members and women.

- Capacity building through training workshops, farmers' training camps and women's training workshops
- Participation of societies in the management of fibre and fodder grass leases, bamboo forests, plantation and cleaning operations, microplanning, water harvesting dams and catchment treatment measures.
- Detailed process documentation through field reports, village meetings reports, workshop proceedings and appraisals.
- Research and case studies on socio-economic, institutional, ecological and economic issues and impact assessment.
- Publicity and extension through newsletters, presentations, field tours and pamphlets.

Policy and Rules

One of the major achievements of this Support Programme is the enunciation of a Policy by the GOH, regarding Joint Management of Forest areas in the State by HFD and HRMS. Adoption of this policy was a direct outcome of the consistent effort of HFD officials, JMU and TERI Resource Team with the cooperation of local communities

The policy on JPFM having been enunciated by the GOH, it became imperative to formulate necessary rules under this policy for implementation of joint management of forest areas in the State. Accordingly, TERI Resource Team in consultation with JMU, HFD officials and village communities drafted a set of rules within the framework of the approved policy for approval by the GOH These draft rules were discussed amongst various members of TERI Resource Team, Forest Department, JMU and in various meetings of SLWG besides with different village communities Comments of senior officers of HFD were also solicited The final rules were prepared after incorporation of various suggestions and comments received, and submitted to GOH for their approval. These rules are currently being examined by the Government from a legal point of view and in the context of rules notified by some other state governments.

Hill Resource Management Societies

Untiring efforts of TERI Resource Team are directed not so much towards quantitative expansion, but as on building HRMS institutions into self-sufficient agencies for sustainable forest management The grassroots interventions are characterized by working with societies towards tangible goals

The total number of societies in Pinjore and Yamunanagar Forest Divisions has risen from 40 to 55 in the second phase Some of the multi-village HRMS have been reconstituted as single-village societies after demarcation of forest areas through mapping and participatory exercises.

It is gratifying to note that HRMS of village Bargodam has been awarded a Certificate of Recognition "We the People: 50 communities Awards" (Friend of the United Nations), New York in December, 1995 for creating "Common Unity"

The practice of enrolment of more members, especially before conducting any election has diffused the membership of HRMS across social groups, women and weaker sections of the village. This is a reflection of increased awareness and faith in functioning of HRMS, as well as the benefits accruing from JFMP. A phenomenal rise in membership was observed in village Manakpur Nanakchand, where the total number of members today stands at 263, with adequate representation of women. The societies of Rampurgainda, Salehpur, Thaska, Bagpat, Darpur have also increased their membership greatly.

A significant step forward was taken by HFD with enhanced involvement of HRMS in establishment and management of plantations. Though still in its nascent stage, this concept was initiated on a pilot scale with the raising of plantations by three HRMS in the Morni-Pinjore Division. The decision of the SLWG on involvement of HRMS in forestry operations like cleaning of bamboo forests, *bhabhar* planting and raising of plantations, marks a significant step towards operational participation of societies. The JMU, TERI Resource Team and field staff have facilitated plantation work by HRMS in Pinjore and Yamunanagar Territorial and Social Forestry Divisions. The planting stock and technical supervision is provided by the field staff in consultation with local communities. Payments for plantation activities were directly made to different societies who have raised more than 30 ha of plantations during 1995-96.

A shift in role of HRMS from passive forest protection to its active management and development was encouraged, as well as noticed. The basket-making community (*Bhanjdas*) of Kalka voluntarily undertook cleaning operations in bamboo forest of Thadugarh Beat, Kalka, which are to be continued regularly.

The interaction with Siwalik Development Board, District Rural Development Agency, Kandi Project, Aravalli Project, Soil Conservation Department and CSWCRTI has made positive contributions in extending financial and functional support to the societies and the Programme.

The emphasis has been to increase the number of HRMS rather slowly and to make the existing societies more effective and efficient in their functioning to serve as a model for other communities to take up JFM. The total number of societies existing at present is 55 of which seven are non-functional for want of proper incentives. The process is on to establish more HRMS.

Women's Participation

There is a perceptible shift towards the enhanced role of women with regard to their

representation and participation in the functioning and activities of various HRMS, though some societies continue to show a gender bias in favour of males. Most HRMS in Pinjore and Yamunanagar now have a greater representation of women in the general membership as well as in the MC. Women membership has substantially risen in several societies like Bhagwanpur (55 women members), Khudabaksh (30), Rana (27), Bagpat (50), Rampur (57), Pammuwala (25), Kahinwala (25), etc. Efforts in motivating the societies to include at least two women in the MC and register greater number of members, have proved very successful. The participation of women has been noteworthy in the HRMS of Bargodam and Thaska under the leadership of a woman President with two women members in the MC. Similarly, there are women MC members in nearly all societies. Village meetings have been marked by improved attendance and involvement in Khera, Jattanmajri, Rampurgainda, Lohgarh and Salehpur.

In this context women's training workshops were organized in Morni-Pinjore and Yamunanagar Forest Divisions. Facilitating the involvement of women in meetings, elections, decision-making and operational activities of the HRMS, received special emphasis in these training workshops organized exclusively for women. They were encouraged to discuss their problems and priorities, and potential contribution towards forest management and protection. The workshops focused on generating awareness about JFM, HRMS and activities taken under the Programme.

Institutional Development

The degree of success of a programme like JFMP rests on collective action, hence, establishment and development of viable village institutions is an essential pre-requisite. These village institutions (HRMS) are registered under the Societies Registration Act of 1860. While the development of the HFD as a socially sensitized institution is also of primary importance in determining the success of the Programme, in this section we deal only with the HRMS.

Facilitation and development of HRMS has been a priority thrust area in the second phase of the JFMP in Haryana. The inherent strength and enterprise of HRMS is a decisive factor affecting its potential for joint functioning. It has been found that a village institutions passes through the phases of sensitization and orientation, conflict and collective action, before achieving a stability of some sort in its functioning. While the duration of these phases depends on several factors, including the interest, initiative and extent of dependence of the community on forest resources, the age of the institution is an important determinant in instilling confidence and a sense of self-reliance in the user community.

Fifty-five HRMS in the JFM area of Haryana Shivaliks have been functioning in one area or the other of resource management: water harvesting structures, fodder grass and *bhabbar* lease, bamboo forests, and plantations. The age distribution of HRMS is shown in Table 1.

Table 1. Age Distribution of HRMS

Period	Morni-Pinjore Division	Yamunanagar Division	Total
2 years	7	7	14
2-5 years	7	-	7
5-10 years	16	10	27
10 years	8	-	8
Total	38	17	55

The HRMS in Morni-Pinjore are relatively more seasoned than the HRMS in Yamunanagar Division Again, while many of the HRMS in Yamunanagar were registered in 1980's, they were operationalised only in early 1990's, or even later.

The second phase of the JFMP in Haryana saw an expansion in the number of societies involved in the Programme, as also the geographical scope of TERI's activities; a permanent base was established at Yamunanagar to nurture the HRMS in that forest division. The TERI team thus continued to stimulate and promote enhanced partnership between the HRMS and the HFD, wider representation and participation of all sections of the user community in societal functions, equitable distribution of benefits accruing as a result of the JFMP, and intervened, where deemed necessary, in the resolution of conflicts, both inter-HRMS, and intra. The institutional strengthening work at the village level comprises essentially of regular meetings with the user community

Village Meetings

Apart from the interaction with the MC members on a routine basis, several issue based meetings were held in the village, primarily with a focus on institution development. These village meetings can be categorised broadly into –

- Meetings for establishing contact.
- Meetings to develop rapport.
- Meetings for conflict resolution
- Meetings for elections
- Meetings for sub-letting of *Bhabbar*/fodder grass.
- Meetings for maintenance of records.
- Meetings for presentation of a statement of income and expenditure.

This categorisation is based on the unique functional need of a particular type of meeting, and does not imply that each of these meetings are to be conducted separately. Transparency in functioning is essential for the establishment of robust village institutions, and the following categories of meetings played a crucial role in determining the degree of transparency –

- Meetings for maintenance of records and presentation of an annual statement of income and expenditure of the HRMS.
- Meetings for sub-letting of *Bhabbar* lease.
- Meetings for determining the seasonal rates for extraction of fodder grass.

Meetings for Establishing Contact and Developing Rapport

The first few attempts to probe the potential for expansion of the Programme to new areas are usually with the specific objective of establishing contact and developing rapport. The eventual outcome may not necessarily be positive, or may bear fruit after a long gestation period. Such meetings are almost always of an informal nature, and frequently involve discussions with various sections of the village community, not all at the same venue. The meetings are also supplemented with visits to plantations and/ or dam sites, and sometimes the adjoining forest areas from which the residents derive their fodder, fuelwood, or any other forest produce. Contact and rapport meetings may also be held with the objective of reviving defunct societies.

Most of the new HRMS registered during the second phase were in Yamunanagar Forest Division, and a few in Morni-Pinjore Forest Division. Some examples of contact and rapport meetings held during the second phase include the meetings held at: Khera (November 5, 1993), Basaulan (November 11, 1993), Mandhna (December 9 and 10, 1993), Chowki (August 7, 1994), Dhanaura (November 11, 1994), Pammuwala (May 16, 1995), Kathgarh (May 20, 1995), Rana (November 21, 1995), etc.

Meetings for Conflict Resolution

Conflicts are often manifestations of greater awareness and participation of the villagers in institutional activities, not until the level of conflicts has reached up to a dysfunctional level, does it become a precursor of trouble in participatory resource management. Conflicts generally arise because of the complexity and diversity of stakeholders and stakes, both within, between and among societies, the origin and nature of conflicts being influenced by factors such as the socio-economic profile of the community, the process of decision making and implementation, level of community participation in deliberations, and sometimes even political power dynamics. Conflicts over resource boundary demarcation, benefit sharing, or utilization of funds are indicative of the greater awareness, understanding, and involvement of the villagers in all aspects of societal functioning. While a number of conflicts are resolved by the villagers, without any intervention from an outside party (HFD or TERI), in some cases they seek assistance for conflict resolution. Often, intervention of both TERI and HFD is required, particularly in inter-HRMS conflicts over the extent and use of the resources available to them. Some instances of conflicts which were resolved with external assistance are outlined below.

Intra-HRMS Conflicts The most frequently encountered intra-HRMS conflicts relate to the process of decision making over, and use of, funds. Examples of meetings held for resolution of

funds related conflicts include: Surajpur (November 6, 1993). Sukhomajri (series of meetings held during October – December, 1994), Raina (January 9, 1995), etc.

Conflicts also take place over the objective of management and use of resources However. this is more between HRMS than within. Some examples of such conflicts. and meetings held to resolve them, include: conflicts over distribution of water for irrigation has been observed at Baghpat (December 13, 1995), and Salehpur (March 23, 1996).

Inter-HRMS Conflicts Instances of conflict over a mutually agreed upon boundary of forest areas under control of adjoining joint management areas, and meetings held to resolve such conflicts include conflict over area division and demarcation between Khera, Basaulan, Prempura and Jattanmajri (May 15-17, 1994, again in September 1994, and then between Khera and Basaulan on October 9, 1995), between Sukhomajri and Dhamala (November 19, 1995, and November 25, 1995), and between Kona and Nanakpur on December 12, 1995, and again a series of meetings and field visits for physical verification in February, 1996.

Election Meetings

During the second phase of the JFMP in Haryana, particularly over the last two years, the entire process of conducting elections has been streamlined and regularised. In 1996, elections for the formation of MC of the HRMS were conducted in over 90% of the functional HRMS. This process has, in a way, helped in revamping of some HRMS which were lapsing into non-functionality because of lack of involvement in any kind of institutional activity. It has also brought to the forefront the necessity for HRMS to continue some activity or the other for sustenance as an institution The large scale operations of preparation, finalisation and presentation of yearly financial statements to the General Body, prior to conduct of fresh elections, had been possible because of the keen interest taken by the JMU Coordinator, TERI Team and the support lent by the senior officials of the HFD.

The process of holding elections requires a whole set of activities to be undertaken prior to conduct of the elections, such as –

- Record checking/updating accounts.
- Fixing date of elections in consultation with the HRMS and informing the JMU of the dates
- Closure of HRMS accounts with validation by the JMU Coordinator

Funds Utilisation

The major sources of funds for the HRMS are (i) Sale of surplus *bhabhar*, fodder grass, water, fish, (ii) membership of HRMS, and (iii) Forest Department, which also may channelise funds through the HRMS for raising of plantations.

Apart from payments which the HRMS made for *bhabbar* and grass leases, the funds have been put to the following uses –

- Repair of dams (Lohgarh, Dhamala, Sukhomajri, Govindpur, Masumpur etc).
- Installation of pipelines (Kiratpur, Lohgarh etc.).
- Civil works (Lohgarh, Manakpur Nanakchand etc).
- Loans to members to meet exigencies like emergency medical expenditure etc. (Kalka)
- Watch and ward protection of forest areas.
- Other developmental activities in the village (Sukhomajri, Masumpur etc).

A remarkable development during the period was opening of Fixed Deposit accounts by some HRMS for lease payments of the following year. The fixed deposits were made by several societies like Manakpur Nanakchand (Rs 50,000/-), Sukhomajri (Rs 20,000/-) and Nanakpur (Rs 8,500/-) etc

The general trend noticed in most HRMS about the utilisation of funds is that only a nominal amount, if any, is put to productive uses, and almost none goes into forest management activities The utilisation of funds was one of the most discussed agenda in the village meetings wherein emphasis was laid on using the funds by the consensus of the committee and the villagers.

Enhancing Institutional Support

In view of the waning of interest in JFMP in several villages, and on account of non-availability of incentives for participation, the Ford Foundation granted a separate sum exclusively for the purpose of reviving these societies, through reinstating their incentives, by repair of dams for supply of irrigation water. Earthen dams have proved an extremely effective catalyst in influencing participation of local communities under JFMP. These water harvesting dams, though constructed as erosion control structures initially, are of immense value as the main source of irrigation in these predominately rainfed areas of Siwalik hills, resulting in increased agricultural productivity and yield

Institution building under JFMP is a basic activity which lends support to development of HRMS towards enhanced involvement in management of natural resources. The supplementary proposal to strengthen institutional mechanisms and capacity of societies focussed on repair and maintenance of water-harvesting dams and associated distributional and conveyance systems TERI Resource Team is actively involved in addressing constraints which impede development of local village bodies, and is working specifically towards effective management systems of water resource at the village level

The TERI Resource Team undertook extensive village meetings in various HRMS for identifying societies for institutional intervention for management of water resources The main

criteria which have influenced selection of societies are –

- Nature and scale of repairs.
- Participation and initiative of society members towards improved management.
- Willingness to contribute to dam work through money (to the extent possible), societal support and labour.
- Effect of institutional base in increasing command area, and consequently beneficiaries from the dam.
- Equity in distribution of benefits.

The involvement of HRMS in maintenance and repair of dams has imparted a positive dynamism through the collaborative efforts of HFD, Siwalik Board, Kandi Project, Soil Conservation Department and TERI This multi-agency support for dam work has upgraded most of the dams surveyed earlier in Morni-Pinjore and Yamunanagar Divisions. A number of societies have laid out and fixed pipelines and invested, through time, effort and money, in repair of spillways and maintenance of dams. The following issues were accorded high priority in creating a sustainable system of managing water resources –

- Development of a strong institutional base, and involvement of HRMS in management of dams.
- Retention of water in dams.
- Equal distribution of water among members irrespective of land holdings and other socio-economic factors
- Mobilisation of societies in owning responsibility of managing dams right from the construction phase
- Formation of dam committees within societies with representatives from MC and villagers.
- Motivation of societies to contribute in the form of funds and/or labour, especially for purchase and/or establishment of water conveyance system.
- Discussion of dam work and estimates between societies and supporting agencies and modifications wherever deemed necessary.

Societies where water harvesting dams have been taken up for institutional support, repair and maintenance are Mandhna, Pammuwala (social forestry and territorial dams), Paniwala, Darpur, Kathgad and Rampurgainda. The apron of Bharal dam in Mandhna HRMS was repaired with the participation of HRMS members and labour hired by the society. Due to the failure of efforts to open the outlet pipe, the dam is being provided a siphon and water distribution pipes

The social forestry and territorial dams of Pammuwala HRMS have been repaired by construction of a sump well and repair of the sluice valve respectively. These dams are also being provided a siphon system and pipelines for water distribution.

In Mirpur HRMS, the dam is non-functional due to excessive siltation of the pondage area and collapsed dam body. However, the society is keen to utilise water from the canal, which flows through the village, for irrigation by installing a diesel pump set. Meetings with the society have indicated a requirement of about 600 m of pipeline.

Several meetings have been held with the societies of Darpur, Kathgad and Rampurgainda on institutionalization of repair, maintenance, and management of water distribution. These meetings stressed on sharing of costs as well as benefits accruing from the dams among members of HRMS Apart from undertaking leveling of dam top, villagers have discussed the requirements of siphon system, sump well and spillway The TERI Resource Team is in the process of installing more than 2,500 m of pipeline and siphon system among these HRMS. Discussions are currently underway in Paniwala and Uttamwala HRMS for their involvement in operationalising of dams. There has been an appreciable improvement in the kind and degree of popular participation in management of dams as seen in the societies of Salehpur, Rampurgainda, Lohgarh, Dhamala and Mandhna

While institutionalization of repair, maintenance and management of water distribution was completed in several villages, the actual execution of work would be undertaken after the monsoon season and harvesting of crops in early 1997 Even otherwise, such works have to be undertaken only after the institutional mechanisms and capacity of the HRMS have been built up to their complete involvement and implementation of such developmental activities.

JFM Farmers' Visit to Madurai

It has been firmly established that capacity building is critical for the effective implementation of JFM In recognition of this fact, natural resource societies have been established to, besides other functions, regulate water use, manage finances and involve women and other weaker sections in decision making at the village level Simultaneously, training of field staff of HFD and sensitisation of the forest bureaucracy to the need for institutional and policy level change forms an important part of the mandate of the JFMP

In this context a nine day tour of Madurai District, Tamil Nadu, was organised in February, 1996 A group of eight farmers from JFM areas and one Deputy Ranger from the HFD visited a total of eight earthen tanks in the drought prone district of Madurai The discussions which were organised as part of the visits facilitated an exchange of views between the representatives of PRADAN and visitors from Haryana Various aspects of JFMP concerning water distribution, management of *bhabbar* and grass leases, and design of earthen tanks were discussed

The group was familiarized with the concept of rehabilitation of earthen tanks through community participation and operational activities involved in it They visited Pajanthanthagipatti, Kesampatti, Pedarikulam, Sendanendal, Ponnakanneri Mudukulathur and

Codarenden tanks, where participatory aspects of community action were discussed. Participation of the community is elicited in four ways –

1. Involving farmers in planning, implementation and maintenance of tank programme.
2. Contribution of labour to rehabilitate the tank.
3. Contribution in terms of materials (cut stones, sand, cement, wood, plants etc.).
4. Cash contributions either on the basis of acreage of individual holdings or through voluntary donations.

Farmers from Haryana then described the JFMP as it has been evolving in their respective areas. Discussions revolved around a number of important issues and established that the farmers had a fairly clear idea of the Programme and its objectives. The main issues that came up for discussion were –

- Overall condition of the forest areas before and after the start of JFMP.
- Role of the HFD in giving leases for *bhabbar* and grass.
- Establishment of water rates by HRMS
- Role of women in decision making in HRMS
- Role of office bearers of HRMS and on the merits of them being paid for the services rendered
- Returns on the sale of *bhabbar* at auctions.

The visit to Tamil Nadu proved an excellent opportunity for sensitizing and exposing representatives of Haryana to another comparative model of community participation. The visit highlighted the common agenda and associated participatory mechanisms that are being adopted in diverse settings. The visit also helped in clarifying doubts on JFMP and provided the group an opportunity and confidence to act as spokespersons of JFMP in Haryana.

Other Meetings

1. A meeting was held on August 10, 1993 with the Ford Foundation regarding the content and implementation of the Programme during its second phase from August 1993 to July 1996

2. Discussion meetings were held on January 11 and 12, 1994 which were attended by the Ford Foundation, SPWD and TERI Resource Team. The main points discussed were the arrangements to be followed for the repair of dams in JPFM areas

3. A discussion meeting was held in the office of the CF (North Circle), Panchkula, on January 14, 1994 which was attended by members of the TERI Resource Team, members of the JMU, Ford Foundation and SPWD. The main points discussed were –

- To work out an arrangement for ensuring that technical repair of the dams in HRMS areas is done
- Constitution of a committee for selection of dams.
- Finalizing the modalities for the use of the funds for repair of the dams

4 A discussion meeting was held at Ford Foundation on March 18, 1994 which was attended by members of the TERI Resource Team as well as officers of the Ford Foundation The main issues discussed were the preparation of estimates for the repair of the dams, mobilisation of Ford Foundation funds for dam repairs, and extent of community involvement for the maintenance of the dams

5. Discussions were held on April 21, 1994 with the officials of the HFD regarding the content and implementation of JFM Programme in its second phase.

6. Two discussion meetings on May 2 and 6, 1994 were held with Mr Jeffrey Y Campbell of the Ford Foundation regarding various aspects of the operation of the Programme in its second phase, as also the repair of dams under the Programme. Mr Campbell desired that TERI should take the responsibility of repairing the dams

7. The JFM Team of TERI met Mr Jeffrey Y Campbell of Ford Foundation on May 13, 1994, in connection with development of the Institutional Activities Plan based on which, additional funds would be provided for repair of dams, laying of additional pipelines etc , in order to strengthen the incentives, especially the water harvesting dams, for eliciting better participation of the local communities

8. A one-day Training Network meeting, under the NSG of JFM, was organised on May 15, 1994 by IBRAD, Calcutta. At the National level workshops on JFM held at New Delhi in June 1993, it was decided to have a training network, coordinated by IBRAD, which would meet periodically to facilitate the training activities of JFM, and compile training material from various organisations working in the field. The training meeting deliberated on the following agenda –

- Review of activities of Training Network.
- Assessment of training needs
- Training material
- Newsletter to highlight JFM activities in the country
- Workshop on Training of Trainers.

9 A discussion meeting was held with the officials of the HFD on May 23, 1994 regarding the operation of the Programme in the second phase Similar meetings were held on June 2 and 3, 1994, at Delhi and on June 19, 1994, at Chandigarh/Pinjore.

10. A discussion meeting was held with Mr U C Pande, Consultant on June 15, 1994 regarding the repair of dams under the Programme. This was followed by discussions on the subject with the HFD officials at Chandigarh/Pinjore on June 24-25, 1994.

11. A meeting was held with Mr Jeffrey Y Campbell at the Ford Foundation office on July 18, 1994, to review the draft action plan for institutional development and dam repair in Haryana.

12 A meeting was held with Mr S K Dhar, CF (HQ) on August 9, 1994 regarding the institutional aspects of the Programme as well as about the repair of dams. This was followed by a discussion with Mr U C Pande, Consultant, regarding the proposal on repair of dams as an institutional support to the Programme.

13 A meeting of the officials from HFD, TERI and Ford Foundation was held at Chandigarh on August 22, 1994, to discuss the supplementary proposal submitted by TERI to Ford Foundation regarding strengthening of the institutional support programme in JFM programme in Haryana. The participants discussed the objective of the supplementary grant in development of institutional capacity to manage water resources. The proposed grant would be utilised to experiment and develop various models for participatory management of water resource particularly in repair and maintenance of dams The meeting was followed by another meeting on August 24, 1994 at New Delhi.

14. A meeting was held on February 28, 1995 at the Ford Foundation Office, New Delhi to discuss and plan for future strategies towards strengthening and assessment of the institution building process. The group dwelt on several issues like documentation, accounting procedures, women's representation, fund utilisation, conflict resolution and role of TERI in future interventions.

15 Meeting on April 29, 1995 with the Commissioner (Forests), GOH regarding approval of JFM rules

16 The TERI Resource Team attended a review meeting of Kandi project which was chaired by Deputy Commissioner, Yamunanagar on June 6, 1995.

17 Meeting with Mr Kishore Shah on June 6, 1995 regarding the Overseas Development Institute, London, sponsored study on JFM institutions.

18 TERI Resource Team participated in a discussion, which was held on June 11, 1995 between the EU Expert Team, Commissioner (Forests), GOH and the officers of the HFD

19 Meeting with Consultant Group of EU lead by Mr Hugh Marshall for the Social Forestry

Project of Haryana held on June 14/15, 1995.

20 Meeting held on June 24, 1995 to review the progress of institution work regarding repairs and maintenance of dams with HFD and Mr U C. Pande, Consultant.

21 Meeting held on August 23, 1995 with Mr Wietze Lise regarding his study on interventions in JFMP.

22. Meeting held on September 25, 1995 with the PCCF, CF (HQ), and CCF (Social Forestry) on the organisation of training on Baseline Vegetation Survey

23 Meeting with the Ford Foundation, New Delhi regarding the project on Study of Community Funds in JFM, which was given to Ecotech Services on October 16, 1995.

24 Meeting was held with Mr Rakesh Kaushik and Ms Seema Purushotham of Ecotech Services (India) Private. Ltd on October 25 and 27, 1995 regarding the Ford Foundation study on Generation and Management of Funds by Communities under JFMP

25. Mr Jeffrey Y Campbell from Ford Foundation had discussion with TERI Team on October 27, 1995 for deciding the parameter for selection of farmers for visit to Tamil Nadu

26 Meeting with ODA officials (Mr David Black and Mr Peter Branney) regarding Microplans and Working Plans in JFM on October 30, 1995

27 Meeting held with Commissioner, Ambala Division on November 9, 1995 to brief him about JFMP and the role of HFD, HRMS and TERI

28 Meeting held with Mr Amulya Chandra, ADC, Yamunanagar on November 25, 1995 which was attended by the members of the TERI Resource Team on undertaking institutional work for dams in Yamunanagar

29 Meeting at Kalesar on February 2, 1996 with Mr Jeffrey Y Campbell of the Ford Foundation and Mr S K. Dhar, CCF, HFD on issues for JFM research by Forest Research Institute, Dehra Dun

30 Meeting with Mr Jose Furtado, Environmental Specialist, World Bank, regarding consultancy for seminar on Land Use and Biodiversity on February 7, 1996

31 Discussion meeting with Mr Banarsi Das and Mr K L Manhas, CF (Development) on February 13, 1996 to discuss the State Forestry Action Plan of Haryana with specific reference to JFM

32. Meeting with Ms Claudia D'Andrea, Programme Associate, Sustainable Development Institute, Washington DC regarding JFMP, Haryana on February 20, 1996.

33 Meeting with Mr Amulya Chandra, ADC, Yamunanagar, regarding Chutang Nallah Sub-Watershed Project on March 3, 1996.

34 Discussion meeting on March 15, 1996 regarding the forthcoming Social Forestry Project in Haryana

35. Meeting with/presentation before Officers of ODA (Mr David Black and Mr Eric Henely) regarding Social Studies workshop to be held in Himachal Pradesh on March 6 and March 19, 1996.

36 Meeting with British Forestry Education and Training Mission to TERI on March 13 and March 21, 1996

37 A meeting on Second Generation Issues in JFM was organised by the Ford Foundation at New Delhi on May 14, 1996, and was attended by select participants. A presentation on the papers on second generation issues in JFM was made to the panel for discussion and comments

38 The meeting of Ecological and Economic Network was organised by the CES, IIS, Bangalore on June 16-20, 1996, TERI made an interim presentation of findings of the assessment of social, economic and ecological aspects of JFM carried out in village Masoompur in Haryana

39 A meeting with the Ford Foundation was organised at TERI for discussing and presenting the proposed activities for the third phase of JFMP in Haryana, on August 22, 1996

40. A meeting was organised by the Training Network Coordinator at New Delhi to review the working of the Sub-Group on Training, prior to the NSG Workshop on September 15, 1996

Training Workshops

Training constitutes an important component of the JFM Programme In the second phase of JFMP, TERI expanded its training programme in terms of the types and numbers of trainings, as well as by introducing new topics of trainings. During the period under report, training programmes on different institutional aspects of JFM were conducted for both, HFD staff and officers, and office bearers and MC members of HRMS To reach out to the General Body members and to especially address the gender aspect, FTC and Women's training programmes were organised in the villages. In the third year of the second phase, trainings on specific issues

were introduced in light of the feedback and the need expressed in WG meetings Thus 1995-96 saw specific training workshops on Baseline Vegetation Survey, Microplanning, and on Construction, Repair and Maintenance of Dams. These workshops were organised for HFD field staff and a component was included for interaction with the village communities. These workshops, which included both classroom sessions and field exercises, facilitated exchange of views among participants on different aspects of the Programme. The training schedule and module were decided in the beginning of each year of the second phase in consultation with the HFD. As per the requirements, these were modified for every subsequent year. Thus by building upon the experiences of the past year (s) the training package for 1995-96 was one of the most comprehensive one

The different types of trainings and the target groups covered through those trainings are given below.

Training Workshops for MC Members of HRMS

To build the capabilities and understanding of village communities and for ensuring effective participation in implementing JFMP, regular training camps were organized for different HRMS in collaboration with JMU. In these trainings salient features of JFMP, emerging problems and their possible solutions were discussed through participatory dialogue Such training programmes also helped in resolving conflicts among different user groups and for evolving suitable strategies for efficient functioning of the HRMS These workshops were jointly organized by HFD and TERI, comprising classroom sessions of interactive nature, involving discussions and detailed analysis of the functioning and constraints of the participant HRMS The entire proceedings in workshops were carried out in Hindi

In 1993-94 and 1994-95 these training camps were of two-days each Two such camps were held in 1993-94, while four were organised in 1994-95 The workshops were held at Pinjore The participants included the office bearers and other members of the HRMS Apart from classroom sessions on the first day, a field exercise was undertaken on the second day The day's proceedings in the field generally dealt with the practical aspects of the functioning and management of HRMS Various issues discussed were: *bhabbar* and grass leases management, account keeping and maintenance of records, membership of HRMS, meetings of the General Body and MC and auditing of accounts Local problems of the concerned HRMS, like destruction of crops by wildlife, extension of pipelines etc were also discussed The participants gave a feedback on the training received

In 1995-96 the training workhop was held for one day and an effort was made to hold these trainings at village/block/range level for a cluster of villages Seven one-day training workshops were organised These programmes focused on orienting participants to the nature of JFM practices and the extent of dependance of local communities on neighbouring forests Lectures on account keeping, maintenance and management of dams, management of grass and-

bhabhar leases, bamboos, and plantation activities undertaken by the HRMS were discussed. Problems specific to the village, like condition of the dam, grazing activities in the catchment, and amount of lease money to be deposited with the HRMS by members were also taken up for discussion.

The trainings conducted for the MC members in the second phase are given in the Table 2.

Table 2. Training Workshops for MC Members of the HRMS

S.No.	Date	Participants	Forest Division	Venue	Number of Participants
1	Nov 10-11 1993	Masoompur, Raina and Gobindpur	Morni-Pinjore	Forest Complex, Pinjore	20
2	March 2-3 1994	Surajpur, Dhamala and Lohgarh	Morni-Pinjore	Forest Complex, Pinjore	
3	June 8-9 1994	Trilokpur, Dulopur and Bharauli	Morni-Pinjore	Forest Complex, Pinjore	17
4	July 6-7 1994	Khera, Basaula, Prempura, Kiratpur and Jattanmajri	Morni-Pinjore	Basaula village	37
5	Sept 7-8 1994	Kahinwala, Khokhra-Thappal, Nanakpur, Khudabaksh and Navanagar	Morni-Pinjore	Nanakpur village	37
6	Oct 25-26, 1994	Chowki, Nada, Gumthala, Harijan Nada and Moginand	Morni-Pinjore	Nada village	39
7	June 2 1995	Bargodam, Kalka, Lohgarh, Manakpur Nanakchand, Manakpur Thakurdas, Sukhomajri	Morni-Pinjore	Forest Complex, Pinjore	27
8	June 3 1995	Chauki, Gumthala, Harijan Nada, Nada, Mandhana	Morni-Pinjore	Forest Complex, Pinjore	21
9	June 5 1995	Basaula, Jattamajiri, Kheda, Dhamala, Rajipur	Morni-Pinjore	Forest Complex, Pinjore	25
10	June 6 1995	Bharauli, Trilokpur, Dulopur, Thadion	Morni-Pinjore	Trilokpur village	20
11	June 7 1995	Govindpur, Mirpur, Mauliwala, Raina Masumpur, Thathar	Morni-Pinjore	Raipur Rani Range Office	21
12	June 8 1995	Kahinwala Nanakpur Khudabaksh, Kiratpur	Morni-Pinjore	Forest Complex, Pinjore	13
13	Feb 13 1996	Thaska	Yamunanagar	Thaska village	15

Training Workshops for HFD Field Staff

The proposal for second phase of the JFMP clearly states that "the basic problem is of getting attitudinal changes in the Government as well as in the village communities to orient these target groups to this new approach to forest management". The Training Workshop on JPFM for Range Officers, BO and FG were continued towards attainment of the stated objective Based on the feedback received during the previous phase, the field component of the training module was increased to four days Thus, in the second phase of JFMP the duration of JFM training for HFD field staff was made six days The trainings comprised classroom sessions and participatory field exercises in the society areas The trainings served to orient the field staff of HFD to the objectives and policy of JFM

Classroom sessions were held to explain the concept and strategies of the Programme, communication and PRA techniques, process of HRMS formation, microplanning, and process of monitoring and evaluation. Subsequently, specific problems faced by the field staff in the process of implementing JFMP were taken up for discussion Among the issues discussed were peoples' participation in plantation activity, criteria for selection of site for construction of water harvesting dams and modalities of benefit sharing.

The Workshops were conducted in a mix of Hindi and English. The trainings also aimed at enhancing the understanding of the participants regarding the local institutions, village dynamics, local leadership and socio-economics and also to help the participants comprehend their respective roles in the JPFM. The trainings sought to develop the participants' skill in micro-planning, RRA and PRA techniques, by providing them a practical exposure to planning with the people

There has been a perceptible change in the attitude and functioning of the HFD officials while dealing with the villagers participating in JPFM With the evolution of JPFM in Haryana, the Department and the people have placed trust in each other and this has led to a symbiotic relationship based on mutual understanding of each other's rights and responsibilities, most importantly towards the forests, whose protection and management is facilitated jointly

The training programmes for the field staff of HFD held during the second phase of TERI's involvement in JFM in Haryana are given in Table 3

Table 3. Training Workshops for HFD Field Staff

S.No	Date	Participants	Venue	Number of Participants
1	Sep 13-18 1993	FG from Morni-Pinjore, Hissar, Rewari, Ambala, Panipat, Bhiwani & Sirsa Forest Divisions & the Aravalli Project	Forest Complex, Pinjore	27

2	Oct 11-16, 1993	BO & Deputy Rangers from three forest divisions	Forest Complex, Pinjore	18
3	Dec 13-18, 1993	BO & Deputy Rangers from Karnal & Sonepat forest divisions	Forest Complex, Pinjore	12
4	Nov 15-16, 1994	RO	Forest Complex, Pinjore	13
5	Jan 6-11 1995	BO	Forest Complex, Pinjore	13
6	Feb 6-11 1995	BO/Rangers & FG From Morni-Pinjore Forest & Social Forestry (Ambala) Divisions	Forest Complex, Pinjore	15
7	Jul 10-15, 1995	BO & FG from various (Territorial, social Forestry, Research & Extension, Production) forest divisions across the State and Kandi Project	Forest Complex, Pinjore	28
8	Sep 11-16 1995	FG from various Territorial, Social Forestry, Seed Divisions and Aravalli and Kandi Projects	Forest Complex, Pinjore	26

Farmers' Training Camps

The FTCs were organised at the village level to reach out to the General Body members of the HRMS. Various JPFM matters were discussed in such gathering. systematic management of the society and problems encountered in its working, maintenance of HRMS accounts and records, election of office bearers, conflict resolution over resource sharing, *bhabbar* and fodder grass lease management, maintenance of dams, *Lantana* infestation, etc The local FG were invited for these workshops, and in their presence village-specific issues like water rates, livestock grazing and women's' participation, among others, were discussed In some cases a visit to the water harvesting dam in the vicinity of the village was also undertaken

The FTCs conducted during the second phase are given in Table 4

Table 4. Farmers' Training Camps

S.No	Date	HRMS/Villages	Venue	Forest Division	Number of Participants
1	Oct 28-29 1993	Kiratpur	Kiratpur	Morni-Pinjore	120 men and 130 women
2	Dec 7-8 1993	Khera, Basaulan, Jattanmajri and Prempura	Khera	Morni-Pinjore	130 men and 150 women
3	Mar 4-5 1994	Salehpur, Thaska and Pammuwala	Salehpur	Yamunanagar	167 men and 58 women

S.No.	Date	HRMS/Villages	Venue	Forest Division	Number of Participants
4	Jan 16 1996	Rampur, Bhulakhedi, Thadion, Mirpur, Rana and Bharauli	Rampur	Morni-Pinjore	29 men and 6 women
5	Jan 21 1996	Nanakpur	Nanakpur	Morni-Pinjore	24 men
6	Feb 11 1996	Uttamwala and Paniwala	Paniwala	Yamunanagar	42 men

Women's Training Workshops

In view of gender aspects and the prevailing social norms and customs in the second phase of JFMP, separate training programmes for women members were conducted in 1996 The trainings comprised informal and unstructured discussions with women in the village. These camps facilitated discussion among women members of the HRMS and TERI Resource Team on issues pertaining to their participation in the process of decision-making related to resource use and forest protection Wider issues like role of HRMS, nature of HRMS membership and women's participation were also touched upon. Factors inhibiting effective participation of women in village meetings, cattle- and fuelwood-related problems were also taken up for discussion

Two Women's Training Workshops were held, one in each of the Forest Divisions (Table 5)

Table 5. Women's Training Workshops

S.No.	Date	HRMS/Venue	Forest Division	Number of Participants
1	March 20 1996	Khera/village	Morni-Pinjore	31
2	March 23 1996	Salehpur/village	Yamunanagar	40

Training Workshops on Baseline Survey of Forest Resources

Two training workshops on Baseline Survey of Forest Resources under JFM for BO and FG of HFD were organised (Table 6) during September-October, 1995. These workshops focused on imparting field-based skills on methods of baseline vegetation survey of forest resources. Classroom sessions on baseline survey methods were followed by field exercises during which the trainees and TERI Resource Team conducted baseline survey exercises. Field exercises were followed by a day of data synthesis, report writing, presentation of group exercises and discussions

Table 6. Training Workshops on Baseline Survey of Forest Resources

S.No.	Date	Participants	Venue	Number of Participants
1	Sep 26-29, 1995	BO and FG from various Territorial, Social Forestry and Seed Divisions, and Kandi and Aravalli Projects	Forest Complex, Pinjore	32
2	Oct 10-13 1995	BO and FG from Morni-Pinjore, Yamunanagar and Ambala (Social Forestry) Divisions	Forest Complex, Pinjore	14

Participants were exposed to parameters like profile of quadrats, girth class distribution, and biomass yield. Specific queries relating to impact of grazing on the extent of ground cover and parameters of baseline vegetation survey were clarified

Training Workshops on Construction, Maintenance and Repair of Water Harvesting Dams

Management of water resources constitutes a crucial basis of the JFMP in Haryana In second phase of JFMP, the trainings were extended to provide coverage on this aspect. In response to the feedback received from HFD through WG meetings, previous trainings and discussions, TERI undertook focussed trainings on water harvesting dams in the third year of second phase (1995-96).

Three-day training workshops on construction, maintenance and repair of water harvesting dams were organised under the Programme (Table 7). These workshops were primarily meant for the staff of HFD; however, during the field visits, representatives of the HRMS were also involved

Table 7. Training Workshops on Construction, Maintenance and Repair of Water Harvesting Dams

S No.	Date	Participants	Forest Division	Number of Participants
1	Nov 14 16-17 1995	HFD staff/HRMS representatives	Morni-Pinjore	32
2	Dec 12-14 1995	HFD staff/HRMS representatives	Yamunanagar	28

One-day classroom session and two days of field visits to dam sites were organised The classroom sessions covered topics such as characteristics of a watershed, criteria for selection of a dam site, design of water-harvesting structures and their construction, location of spillway, maintenance of dams and of the water conveyance system, and management of water resources.

During visits to dam sites, participants were encouraged to share their experiences with management and maintenance of water harvesting dams. Specific queries relating to location of spillway, rehabilitation of catchment area, preparation of estimates for repairs and irrigation potential of the dams were clarified by the Resource Team consisting of experts drawn from the CSWCRTI, Punjab Agriculture University, HFD and TERI.

Training Syllabus

The TERI Resource Team, along with HFD, formulated the syllabus for training of field staff of the Department and of the HRMS representatives in JPFM. The syllabus and schedule of the training workshops were drawn up jointly every year. The syllabus was constantly revised in accordance with the feedback received from the trainees, trainers and members of the TERI Resource Team from time to time. The syllabi followed for the various training workshops are placed at Annexure I (MC Members' Training Workshops), Annexure II (Field Staff Training Workshops), Annexure III (Baseline Survey Training Workshops), and Annexure IV (Training Workshops on Water Harvesting Dams). These syllabi are being constantly revised in light of the feedback received from participants.

General Profile of Trainees and Training Feedback

A general profile of the participants, both from HRMS and HFD are discussed in detail below.

Profile of HRMS Participants

A sample profile of training participants from various HRMS in terms of age, education and occupation is given in Figures 1, 2 and 3.

Figure 1: Age distribution of HRMS Participants

Figure 2: Educational Status of HRMS Participants

Figure 3: Occupational Pattern of HRMS Participants

Feedback from Participants in HRMS Training Programmes

June 1994 Workshop The two-days workshop was attended by 17 participants from Dulopur, Bharauli and Trilokpur societies The field sessions were held at Trilokpur village Given below in Box 1 is the view of senior officials during an interaction with the HRMS members in the workshop

Box 1: Senior HFD Officials on JPFM

- Keeping the forest rich and making the surrounding village communities poor will be disastrous.
- The JPFM Programme is for those village communities which would like to benefit by effective management of the forest areas on a sustainable basis.

Box 2 illustrates the experiences of the village members attending the training

Box 2 : Experiences with JPFM

- Today's youth of the village, especially, the educated lot are completely disillusioned with life as they are unemployed and not interested to do farming. The incentive mechanism of JPFM Programme could provide some positive directions to this lot.
- The irrigation through dam has brought some amount of prosperity, but the future maintenance of dams through JPFM should be given preference.
- The formation of HRMS in our villages have spread to the nearby areas. Many villages of this area are keen to organise themselves into HRMS.

July 1994 Workshop The training workshop on JPFM was attended by members of the MC of Khera, Basaula, Jattanmajri, Kiratpur and Prempura societies. The two days were devoted to classroom sessions at Pinjore and field exercises at Basaula village. The views of the participants regarding the problems in their forest area are given in Box 3

Box 3 : Views of HRMS members on *Lantana* infestation
"_____ because we human beings have exploited the produce of mother earth so indiscriminately that nature has retaliated, and produced a *buti* (weed) which has neither economic value nor any [illegible] So the need of the hour is to put an end to this exploitation and practice prudent ecological management"

September 1994 Workshop The two-day workshop was organised for office bearers and villagers from the societies of Khokra Thappal, Kahinwala, Khudabaksh and Nanakpur The field exercises were held at Nanakpur village. Box 4 gives the opinions of the HRMS trainees about the impacts of [illegible] on forest productivity.

Box 4 : HRMS views on impacts of protection on forest productivity

- Earlier, there used to be only one forest guard for the entire stretch of forest from Chandigarh to Khokra.
- We had to bring *bhabbar* all the way from Narainpur.
- There used to be no woody species earlier. Now, each standing *Khair* tree is worth Rs 3000 - 4000
- The grass yield has also multiplied as a result of protection.
- We have sold most of our cattle to decrease pressure on forests.
- Bunds around fields have decreased soil erosion.

One of the most important uses of holding training workshops for HRMS representatives was that they provided a forum for clarification of concepts, as shown in Box 5

Box 5 : HRMS members on "What is HRMS?"

- Society is for the benefit of villagers.
- Society is for the benefit of the village at large.
- Society helps in harmonious working.

October 1994 Workshop The office bearers and members of Chowki, Nada, Harijan Nada and Gumthala societies attended the two-day workshop comprising classroom sessions and field exercises at Pinjore and Nada villages respectively. Views of the women members attending the training pointed towards the need to incorporate gender concerns in JFM, as shown in Box 6

Box 6 : View of women members

- We are not informed about the meeting.
- We are not sure that we are members of the society.

Box 7 shows the points elaborated by the HRMS members with reference to the training imparted

Box 7 : Feedback of Participants

The programme has helped in :

- Clarifying the difference between the terms "society member" and "committee members".
- Understanding the roles/responsibilities of different office bearers.
- Realising the importance of maintaining proper accounts

Profile of HFD Participants

A sample profile of participants from HFD in terms of education, age and experience is shown in Figures 4, 5 and 6 respectively

Figure 4 Educational pattern of HFD Participants

Figure 5 Age distribution of HFD participants

Figure 6 Experience of HFD Participants

Feedback from Participants in HFD Training Programmes

November 1994 Workshop The classroom session and field exercises, of the two-day workshop for RO, were held at Pinjore and Lohgarh village respectively Thirteen RO from Yamunanagar, Morni-Pinjore and Kurukshetra Forest Division participated in the workshop The RO came from territorial, production and research divisions of HFD Box 8 shows the views of the trainees regarding dams

Box 8 : HFD trainees' views on water harvesting dams

- Water being a major incentive, we should know how to look after the maintenance of structures harnessing this critical resource.
- Water harvesting dams are frequently in need of repairs that we are incapable of undertaking.

During the field visit the HFD trainees interacted with the HRMS representatives where discussions featured around the relationship between the HRMS and Department. This is illustrated in Box 9.

Box 9: Plantation by HRMS with supervision by HFD

Lohgarh HRMS was one of three societies that had undertaken plantation activities during the year. Two ha of land near dam No. I were brought under planation, for which both site and species were identified by the villagers themselves. Funds were provided by the FD and channelised through the HRMS. Technical guidance was provided by the FD field staff, who also supervised all activities from pit-digging to planting and weeding. Details of labour employed, number of pits, and plants required etc. were maintained by the HRMS and approved, after verification, by the concerned RO. The money for payments was released only thereafter. There had been some delay in making the payments because of the elaborate procedure involved.

Such training programmes also provided a forum where the HFD trainees could not only discuss but also suggest solutions to the problems being faced by the HRMS members. Box 10 captures such a situation in the training programme.

Box 10: Solutions to problems from Wildlife

Villagers complained about the damage done to agriculture crops by wild animals and questioned officials as to why these animals were not banned from grazing in forests, while goats were. They wondered at the possibility of preventing incidences of damage caused by wild animals by fencing of agricultural fields. The ROs explained how barbed-wire fencing, besides being expensive, was not the solution for keeping out wild animlas from farm lands, since they could easily jump over fences of standard heights.

January 1995 Workshop. The five-day workshop was attended by thirteen BO, Deputy Rangers, Foresters and FG from Yamunanagar Division. The training components were classified into classroom sessions at Forest Complex, Pinjore and field exercises at Govindpur village in Raipu

Rani Range. During the training programme the participants expressed their opinions, one of which is placed in Box 11.

Box 11 : Views of HFD trainees on species selection

"Foresters and FG have no say in choice of species. Orders come from above. We only follow them".

The training programmes were conducted in an interactive manner where the trainees were encouraged to learn through a deductive process. Box 12 illustrates this as one of the trainees lists the features for making dams.

Box 12: Water harvesting dams

- Dams are the mainstay in the JFMP. There are about 80 dams in the Joint Management Areas.
- The following are the main criteria for selection of a suitable site for dams.
  - It should be such that minimum cost is involved in construction of dam which can hold maximum water. Preferably the site should be bowl-shaped
  - The soil at the site should not be loose and sandy. It should preferably be a mixture of sand, silt and clay.
  - The command area for the dam should be adjacent to the dam.
  - Dam site should be in concurrence with the size. A site with natural saddle is best.
  - Availability of sufficient water.

February, 1995 Workshop The five-day workshop was attended by 15 BO, Deputy Rangers and FG from Morni-Pinjore and Ambala (Social Forestry) Divisions. Apart from the classroom sessions, field exercises were held at Rajipur village wherein PRA and resource mapping exercises were conducted. During the course of training, the constraints expressed by the field staff regarding JFM are given in Box 13

Box 13 : Views of trainees on JFM Rules

The absence of formal rules and regulations with regard to Society and HFD is a factor for non-involvement of field staff in the JFM programme.

Box 14 shows the views of the trainees on benefit sharing in JFM.

Box 14 : Views of HFD trainees on benefit-sharing in JFM
The land being owned by the government, profits of increased productivity resulting from community protection should be shared equally by the community and the FD.

State-Level Senior Officers' Workshop

A State-Level Senior Officers' Workshop was organised by TERI and the HFD to deliberate on policy level issues relating to implementation of JFMP, to review the progress of the Programme, and to discuss future direction and prospects of JFM in Haryana. This Workshop, was attended by 16 senior officials of the HFD, Kandi Project and District Administration, and representatives from Ford Foundation and TERI, besides, 36 representatives from the HRMS The Workshop was organised in Pinjore on August 5, 1995. The issues that were separately brought into focus include –

- Role of WG and how to make them more effective
- Importance of process documentation being currently done under the Programme and dissemination of this information along with sharing of similar experiences from other parts of the country.
- Importance of role of women in JFM and the need for taking serious and effective steps to ensure their meaningful participation in the Programme
- The urgent need for developing microplans for each HRMS as a tool for resource planning in an effort to ensure sustainability of the Programme
- The benefits accruing from training workshops being conducted for the HFD staff/officers and HRMS members, the need for continuing these in future with necessary modifications for increasing effectiveness and assisting the target groups in playing their role in JFMP
- The process of institution building through meetings, trainings, interaction etc for creating self-reliant, village-level institutions in the form of HRMS

Training Visit by JFM Team from Himachal Pradesh

A-nine member team of Himachal Pradesh forest officials, led by Mr Harsh V Kathuria, DFO (JFM), Mandi Forest Circle, visited Pinjore on November 17-18, 1995 The team was on a training visit to JFM areas in Haryana under the UK-India HP Forestry Project which is being supported by ODA in that State. The visitors were briefed about the evolution of PFM in India, the success of Sukhomajri and Nada projects and lessons learnt therefrom, development and adoption of JFMP in Haryana, formation of HRMS, incentive mechanisms, conflicts and overall functioning of the societies

National Workshop on Microplanning in JFM

A two-day national workshop on "Microplanning in JFM" was organised by TERI and the HFD. The Workshop was held from September 19-20, 1995, at Pinjore, and was attended by representatives from various NGOs, HFD and the Ford Foundation. The objectives of the Workshop were to discuss socio-economic, ecological and resource related aspects of microplanning in JFM. In the course of the Workshop, a draft, "Microplanning manual for JFM", prepared by TERI, was circulated for comments from participants. The experience of various NGOs' on work related to microplans was discussed. Presentations were made on microplanning experiences with Tree Growers Societies and Forest Protection Committees. In the process, specific issues related to working plans, plantation activities, and the role of the forest development corporation were discussed.

Sub-group discussions on specific themes identified during deliberations were also organised. The broad themes identified for discussions were as follows.

- Microplans versus working plans.
- Process of development and implementation of a microplan
- Form and character of a microplan

National Workshop on Process Documentation in JFM

Participatory development programmes, such as JFM, in the nascent stages particularly, need to incorporate an element of continuous feedback and learning for improving the management and programme implementation. PD is a process-oriented research methodology which provides this edge to a community-oriented participatory programme. In India, JFM has been underway for several years now in different regions of the country. Several NGO and FD have played a vital role in promoting JFM. PD has been employed by these agencies involved in JFM, documentation, in fact, constitutes an important programme activity.

A two-day national workshop on "Process Documentation: The JFM Experience" was jointly organised by the HFD and TERI on 8-9 August 1996 at the Forest Complex in Pinjore, Haryana. It was an attempt, at national level, to bring together relevant organizations to discuss their experiences on PD in JFM, and through the learning, review the method, approach, role, relevance and effectiveness of PD in JFM. The workshop was attended by 34 participants - senior officers of the HFD, representatives from NGO across the country, Ford Foundation, and TERI.

The Workshop focussed around three main themes. The first theme on "Process Documentation Research: what is it? why do it?", dealt with the definition and aspects of PD as a research tool, its uses, functions, relevance, and the contexts in which PD is most applicable. The second theme on "Process Documenting: how to do it?", covered the method of doing PD,

who should do it, the skills, effort and time factors involved in doing PD, factors that are conducive for making PD more effective, and the limitations of PD. The third theme was on "Process Documents: synthesis, dissemination and use of information generated by process documentation" and focussed on the purpose, and utilisation of PD, the follow-up to PD, ways to improvise it and the learning from PD.

The participants at the Workshop shared their experiences of PD in JFM, highlighting the method and approach adopted by the organizations in carrying out PD in JFM, and the ways by which PD findings are disseminated and utilised. The approach and application of PD to JFM vary widely. Sometimes, the organization facilitates the documentation already done by the communities, in another case the NGO undertakes PD for its own learning, while sometimes an external agency undertakes documentation for the NGO. Discussions were held at the Workshop, on the use and objectives of PD, who can do it, what makes PD more effective and useful, and what problems and constraints are associated with it. The basic concept of PD as a tool for learning was emphasised, apart from it serving as a tool for communication. Brevity, relevance and objectivity are important in making PD effective. An analytical style, which brings out pertinent issues for improvement of JFM, is necessary. Reiteration might be required to ensure adequate follow-up of the issues highlighted through PD. Moreover, PD is specially necessary in the initial stages of the programme.

National Network Workshops

The NSG coordinates the networks on ecological and economic research, training, gender and institutional aspects in order to facilitate exchange of information and experiences among the various organisations and institutions engaged in participatory forestry. TERI has been an active member of the National Network since the very beginning. In the JFM second phase, TERI not only participated in the Network meetings and workshops, but also organised two national workshops, on PD and Microplanning in JFM, as a part its institutional network activities.

TERI actively participated in all of the JFM Network meetings organised by the NSG — meetings held on 14 to 16 September 1994, 29 November to 1 December 1995, and 10 to 12 October 1996. TERI representatives have participated in the sub-group meetings, chaired sessions and made presentations in the Network meetings.

Sub-Group Meetings

Ecological and Economic Research

In September 1994, the Sub-Group on Ecological and Economic Research discussed the adoption of a common methodology to deal with the ecological and economic issues of JFM in the country. The Group selected TERI as one of the main resource agencies for facilitation of the work along with the CES, IIS, Bangalore, and Indian Statistical Institute, Calcutta. In the

November 1995 workshop, TERI made a presentation on the work done during the year by the TERI Resource Team. The presentation by this Sub-Group in the NSG of October 1996 included the research undertaken by different members including TERI; this session was chaired by a senior researcher from TERI.

Training

In the 1994 NSG meeting, the training Sub-Group decided to have a regional network to deal with the training aspects of forestry staff and village communities. TERI was chosen to coordinate the regional network for the North and North-Western states of Himachal Pradesh, Punjab, Jammu & Kashmir and Haryana. TERI made a presentation on the training activities undertaken by it. In 1995, the Sub-Group presented interesting findings on attempts of different members, including that of TERI, at training the forestry staff and village communities on issues relating to JFM. With a view to further consolidate JFM, Baseline Training Workshops and Workshops on Repair and Maintenance of Dams were conducted by TERI for the staff of the HFD during late 1995. In the 1996 NSG meeting, an analysis of training experiences of the network members, including that of TERI, was compiled from the network members and presented.

Institutional

The 1994 NSG Workshop identified TERI as a coordinating agency for micro-planning and discussed the possibility of organising a workshop on microplanning, developing an information network and doing literature review on it. A brief overview of the institution building process and future approach in Haryana was presented by TERI before the Group. A National Workshop on Microplanning in JFM was organised by TERI at Pinjore in September, 1995. In the 1995 NSG meeting TERI Team made a presentation on the institutional aspects of JFMP. The findings of the Microplanning Workshop were also presented at this NSG. In August 1996 TERI organised a National Workshop on Process Documentation in JFM where members of the institutional network participated.

Gender

TERI participated in the Gender Sub-Group meeting of NSG, organised on 13 September 1994; this was attended by delegates from various other NGOs and research institutes working on gender issues within the institutional context of JFM. The workshop deliberated on diverse themes like equity, representation, women's access and interaction with forest resources, authority structure, empowerment and gender role in decision making and conflict resolution. With a view to incorporate gender issues in the implementation of JFM in Haryana, women's training workshops were organised by TERI during March 1996.

Other Workshops

TERI has participated in the following other workshops in the second phase of JFMP.

Workshop on the Ecological and Economic Aspects of JPFM (August 30-31, 1993)

The workshop was organised at Bangalore by the CES, IIS, Bangalore. The main objectives of the workshop were to discuss the institutional, vegetational and economic management problems being faced by various agencies including forest departments, involved in JPFMP. The need to study existing forest management practices and their ecological and economic impacts, and to generate information on the same, was expressed.

Workshop on Participatory Forest Management: Experiences, Problems and Prospects (November 28-30, 1993)

The workshop was organised jointly by the West Bengal FD, IBRAD, and IIT, Kharagpur, at Calcutta and was attended by foresters, NGOs and social scientists. The main purpose of the Workshop was to discuss the various new issues that have emerged in JPFM in order to make this Programme successful and sustainable.

Planning and Writing Workshop on Institutional Aspects of JPFM (January 17-23, 1994)

The workshop held at Ahmedabad, was hosted jointly by SPWD and VIKSAT and was attended by members of the TERI Resource Team as well as representatives from the East-West Centre, Hawaii, SPWD, VIKSAT, AKRSP and IBRAD. The workshop was utilised for -

- Designing research methodologies to study institutional aspects of JPFM.
- Reviewing the strategy adopted by the JPFM network to promote the JFM
- Forming a core group of committed individuals who would collect information on new happenings, document the same and share it with a wider audience

Workshop of Training Network of NSG (February 22, 1994)

The one-day workshop was organised by IBRAD at Calcutta. The Sub Group on training exchanged experiences and training material on JFM and discussed the course of action to be undertaken in future

Workshop on Menace of Torrents: Challenges and Opportunities (May 7, 1994)

The one-day workshop was organised by CSWCRTI, Chandigarh

Workshop on Conflict Resolution (May 16-17, 1994)

The workshop was organised by the combined initiative of IBRAD and FTPP/FAO The workshop was attended by participants from IBRAD, VIKSAT, National Foundation for Development, MOEF, Ford Foundation, West Bengal Forest Department and TERI The workshop discussed the following issues –

- Types of conflicts in community forestry programmes.
- Experiences in conflict resolution measures.
- Sources and levels of conflict
- Approaches in prevention of conflict
- Training manual
- Implementation responses.

Workshop on Watershed Management in Kandi Area (May 26, 1994)

The workshop was organised by Punjab Agricultural University, Ludhiana and was attended by representatives from the four Northern States where Kandi Project was underway A presentation was made on peoples' participation in management of natural resources, based on JFMP in Haryana

Workshop on JFM (23-26 August, 1994)

A two-day workshop on JFM was conducted by IIM, Ahmedabad. The workshop was attended by representatives of selected NGO, FD and resource institutions working in JFM The workshop concentrated on the studies conducted by IIM, Ahmedabad, collective action in JFM, economics of benefit sharing and thinning models.

Workshop on Training of Trainers (October 17-21, 1994)

A five day training programme was conducted at IIT Kharagpur by IBRAD, Calcutta. The training programme was held for trainers and resource persons from different research institutions and voluntary agencies active in the area of JFM The emphasis of the programme was on capacity building and training inputs which included curriculum design, organisation of training programme, microplanning through PRA techniques and transactional analysis

Training Programme for Officers and Staff of Integrated Watershed Development Programme (Hills) (November 21-25, 1994)

The five-days training programme was conducted by CSWCRTI, Chandigarh for the staff of Kandi Project, Department of Agriculture, Haryana It included classroom and field session

on map reading, field survey, survey methods and instruments, calculation of catchment area and pondage etc., estimation of required material and mechanical/vegetative catchment treatment measures.

Workshop on Ecological and Economic Methods for Assessing Community Managed Forests (January 16-23, 1995)

The training workshop on methods for assessing community managed forests was jointly organized by SPWD, New Delhi, and CES, IIS, Bangalore. The main focus of the workshop was on development of ecological and sociological methodologies for better assessment of JFM with special reference to monitoring of quantity and quality of NTFP flowing from community managed forests. The workshop deliberated on adoption of a uniform framework for impact assessment studies to facilitate comparative analysis of data from across the country. The Resource Team from TERI made a presentation on the research studies which are currently under way.

Management Development Programme on Gender Issues in Forestry (June 12-16, 1995)

The programme on gender issues in forestry was organised at IIFM, Bhopal. It was attended by forest officials and representatives from NGO. It aimed towards sensitisation to gender issues.

Workshop on National Forestry Action Programme (Northern Region) vis-a-vis Role of NGOs (July 19-20, 1995)

The workshop was organised at Chandigarh and deliberated on JFM issues.

Workshop on Forestry and Silvicultural Management (November 22, 1995)

The workshop was organised by the Punjab Agricultural University at Chandigarh.

Management Development Programme on Project Management (February 19-23, 1996)

The programme was organised by the IIFM, Bhopal.

JFM Retreat: Synthesising the JFM Experience (September 8-10, 1996)

A JFM Retreat was organised by the Ford Foundation at Neemrana, Rajasthan. It was attended by all the Ford grantees working on JFM. As a brainstorming session, it provided a

framework for self-reflection and learning on JFM.

Training Programme on Wood Energy Development (October 2 to November 1, 1996)

The training was organized by TERI at New Delhi for IFS officers. A discourse was given on people's participation in the management of forests, based on the JFM experience in Haryana.

Workshop on Process Documentation and Process Monitoring (December 9-11, 1996)

The workshop was organized by the Ford Foundation, Overseas Development Institute, and BAIF Development Research Foundation at Pune. TERI presented the process documentation and process monitoring of the JFMP in Haryana.

Case Studies and Research

TERI has undertaken various case studies pertaining to various aspects of JFM in Haryana in the six years of its involvement. These research studies have provided an insight into ecological, institutional, economic, and social aspects of participatory forestry in Haryana. Findings of these studies have not only been published and widely disseminated (the section on Publications lists out the titles that have been published), but the research has also contributed towards the policy, management and implementation of the Programme in the State. These research studies have been undertaken by the TERI Resource Team and also by HFD officers and researchers attached to TERI

Apart from the case studies done during the first phase of JFMP (1990-93), the following research studies were undertaken in the second phase (1993-96) of the Programme.

Rehabilitation of Degraded Tropical Forest Watershed with People's Participation

The study concludes that rain water harvesting from hilly watersheds, for the benefit of local communities, has a catalytic effect on eliciting their active involvement in protection of the forest resource which has promoted the rehabilitation of degraded watersheds These catchments now provide water which has enhanced the number of irrigations, availability of green fodder and productivity of agriculture fields In the process, these hills have regained their tree and grass cover substantially and reversed the process of soil erosion The active involvement of the communities in protecting the catchment has also moved them into self sustaining units of development The study has been published in the Ambio – A Journal of Human Environment (Volume 23, No 3, May 1994) and reproduced as JFM Series, No 16.

Ecological Revival of Haryana Siwaliks through Community Participation

The study assessed the effect of JFM on the vegetation status of forests in the Siwaliks in the context of different years of protection and strategies and the mechanisms adapted to elicit community participation The results of these studies are indicative of definitive trends with regard to various parameters and different years of protection in spite of certain variations in the site condition of the sampled forest areas. There is a positive correlation between the period of effective protection and such parameters as tree population per hectare and basal area The increase in tree population and basal area, and the decrease in the occurrence of shrubs, with increasing years of protection, reinforces the observation that the tree canopy cover has been gradually improving over the years. Thus protection, whether provided by the conscious efforts of resource users or because of such other factors as inaccessibility is the key factor in the rehabilitation of the degraded forests. This research was funded under the Forestry Research Support Programme for Asia and the Pacific through FAO, Bangkok. The study has been published as JFM Series, No 17.

Institutional, Legal, Socio-economic Impacts of Community Participation in Haryana Siwaliks

People's involvement in the protection, management, and sustainable development of forest addresses three basic issues: the range of institutional and legal changes brought about by PFM, the socio-economic upliftment of the local community, and the ecological development of the areas concerned This study assessed the first two interactive issues in the context of various strategies and mechanisms (including product sharing mechanisms) adopted to elicit participation of local communities in JFMP in Haryana. This research was also funded under the Forestry Research Support Programme for Asia and the Pacific through FAO, Bangkok The study has been published as JFM Series No. 18.

Training Need Assessment of the Frontline Forest Personnel – A JFM Perspective

The study assessed the training needs of frontline forestry staff in the face of changing management needs with the implementation of the JFMP in Haryana This assessment is based on the expectations of all the actors involved in the programme, viz., communities, NGOs, senior forest officials, and frontline forestry staff. Technical, human and integrative skills and the knowledge base essential at the frontline for effectively involving communities in the participatory forestry system have been assessed The training that the target group expect and what they currently received have been compared to highlight the gap between the two. This study has been published as JFM Series No 20

Role of Community Institutions in Fire Control in Haryana

Forest fires are one of the most potent source of damage to forest Forest fires cause

damage to large areas of standing biomass resulting in huge monetary losses. However, Forest Departments have for a variety of reasons been poorly equipped to prevent or control the spread of forest fires, poor infrastructure, low levels of staff motivation and inadequate budgetary support being some of the reasons. Attempts by Forest Departments to elicit people's participation in fire control can offer more hope of minimizing the damage caused by fires. The JFMP in Haryana is an example of participatory approach wherein the people cooperative with the HFD in forest protection in return for economic benefits from the forests. This study was carried out in 1995 to ascertain the frequency of forest fires in JFM areas of Haryana Shivaliks, to ascertain people's perception of forest fires in HRMS and non-HRMS areas and to ascertain their views on the causes of fires. The study also looked into the views of field staff on the extent of cooperation received from the community and the HFD in preventing/controlling forest fires. The study has been published as JFM Series, No. 23

Effect of Community Participation on the Status of Bamboo in Pinjore Forest Range, Haryana

The bamboo forests in the Haryana Shiwaliks have been managed in accordance with the guidelines laid down in the bamboo working circles of the various working plans since 1905. Since historical time, *bhanjdas*, a community found mostly in the northern part of the state and adjoining areas of Himachal Pradesh, have been dependent on the adjoining forest areas for their requirement of bamboo. Traditionally they are a basket weaving community dependent on bamboo from the forest for making baskets. The study was carried out: to study the socio-economic status of the *bhanjda* community and to determine the extent of their dependence on the forest and forest produce, to carry out a bamboo survey of the forest in the adjoining forests of the village community, to study the sustainability of the bamboo resource in context of JFM, and to document the experiences and information gathered under the study for evolving strategies and work plans for better management and development of the bamboo forest areas with active participation of the people. This research was carried out for the Biomass Users' Network, Brazil. This study has also been published as JFM Series, No. 21

Impact Assessment of Community Resource Management: Developmental Perspectives in the Context of JFM

This study assessed the impact of watershed management measures and forestry-related activities on the socio-economic development of people in Haryana. Different aspects of joint management of resources were also covered. It was undertaken in three villages in the Morni-Pinjore Forest Division. The study assessed the direct and indirect benefits accruing to the people, consequent to the construction of water-harvesting embankment community management of resources. It looked into the changes in the economic pursuit, livestock management practice and agricultural production pattern. Institutional, financial and operational working of the HRMS, and the role of conflict-resolving and resource-sharing mechanisms for securing voluntary participation was studied, besides the kind and extent of forest resource dependence

Role of equity and sustainability as a basis of participatory action and reasons and consequences of failure of the measures was probed. The study was submitted as a project report to TERI

Impact Assessment of Cultural Operations on Bamboo Productivity in Community Managed Forests

The broad objective of the study was to develop a package of ecologically sustainable extraction practices for bamboos The focal issues are the current rate of extraction, decline in bamboo productivity with increase in congestion and the impact of cultural operations on productivity The study area was the demarcated protected forests (DP-234) in Kalka Block of Pinjore Range in the Morni-Pinjore Forest Division of Haryana The study covered the socio-economic status of *Bhanjda* community, their biomass dependence, resource survey, sustainable resource use, participatory constraints and development of a management plan for bamboo forests. The study was submitted as a project report to TERI

Institutional Assessment Study of JFM Programme in Haryana

A study was undertaken on the institutional assessment of HRMS Taking a sample of HRMS the study assessed the potential of the HRMS in Haryana to be able to sustain as an institution, and to identify the critical external factors affecting Programme implementation The HRMS were assessed on the basis of a number of parameters, such as, awareness, meetings, decision-making, incidence of conflicts, conflict resolution, women's participation, elections and official activities, benefit distribution, and external inputs. Critical external factors affecting the implementation and performance of the programme were reviewed. The study was submitted as a project report to TERI

Generation and Utilisation of Funds by HRMS

The study looked into various aspects of financial transactions of the HRMS in Morni-Pinjore and Yamunanagar Forest Divisions Data was collected on generation of revenue from available sources, handling of this common income by the people (specifically the MC) and the patterns of utilisation Involvement of people as General Body members, their awareness of, and interventions in financial decisions were also studied. The study was submitted as a project report to TERI.

Socio-economic Survey of HRMS in Haryana

The objective of this exercise, carried out during 1995-96, was to record the socio-economic profile of all HRMS villages and create a database of the same Analysis of the data will provide valuable insights into the social dynamics of village communities involved in JFM, the socio-economics of JFM, and indicate the effectiveness of the Programme in meeting the

objectives. The survey would also help in identifying factors for renewed efforts to attain stated objectives. The collection of socio-economic data was done in both Morni-Pinjore and Yamunanagar Divisions. The data collection tools employed were: household survey schedule and group discussion The results of this survey are to be analyzed and published.

Information Dissemination

The lessons, experiences and findings emerging from JFMP in Haryana were widely exchanged, shared and disseminated with other organisations and institutions through JFM publications, Newsletter, lectures and presentations, seminars, pamphlets and posters, and conducted tours

Lectures

1 Lecture on October 12, 1993 on Joint Forest Management to IFS Officers attending the training programme on Forests for Energy Conservation at India International Centre, New Delhi (October 12, 1993)

2 Lecture on Joint Forest Management to IFS Officers attending the training programme on Sustainable Development vis-a-vis Forestry (December 7, 1993).

3 Lecture on Participatory Forest Management to IFS Officers attending training programme on sustainable Development and Forestry at New Delhi (September 27, 1994)

4 Lecture on JFM and Haryana Experience to participants of the Orientation Programme on JFM-Principles and Policy and Issues, held at Institute of Economic Growth, University of Delhi (October 21, 1994)

5 Lecture on People's Participation in Forest Management at Farmers' Conference at Yamunanagar (March 30, 1995)

6 Lecture on Challenges of JFM and Strategies for Implementation of the Programme at the Workshop on National Forestry Action Programme held at Chandigarh (July 19-20, 1995)

7 Lecture on Community Participation in Forest Management at the Training Programme on Sustainable Development vis-a-vis Forestry for IFS officers organised by TERI at New Delhi (October 10, 1995)

8 Panel Discussion on Sustainablity of Forest Management through Peoples' Participation in the Training Programme for Sustainable Development vis-a-vis Forestry for IFS

officers organised by TERI at New Delhi (October 10, 1995).

9 Lecture on Administrative and Operational Aspects of Resource Management Societies at Workshop on Forestry and Silvicultural Management at Chandigarh (November 22, 1995)

10 Lecture on Forest Management to the Participants of the Training Course on Management of the Environment for IAS officers organised by TERI at New Delhi (November 15, 1996)

Presentations

The following presentations were made

1. Presentation in a meeting with the FAO/FORSPA funded Project Review Mission (Dr S. Appanah, FRI, Kuala Lumpur, Malaysia) (November 4 and 11, 1993)

2 Presentation in a meeting with Mr Ian Napier and Mr Eric Hanely of the ODA, UK (December 20, 1993).

3. Presentation in a meeting with Ms Amarjeet Kaul Ahuja, Joint Secretary, MOEF, Govt of India, New Delhi (December 21, 1993).

4 Presentation in a meeting with Ms Mary Corliss Pearl, Executive Director, Wildlife Preservation Trust International Inc., USA, (on behalf of MacArthur Foundation) (March 3, 1994)

5 Presentation in a meeting with representative of CIFOR (Prof S Chamala, University of Queensland, Australia) on March 24, 1994

6 Presentation in a meeting with German Parliamentary delegation - The Study Commission of the German Parliament on Preventive Measures to Protect the Earth's Atmosphere (Enquete Commission) (March 16, 1994)

7 Presentation in meeting with Mr Andres Jenson, FAO, Bangkok regarding JFM, Haryana (May 14 1994)

8 Conflict Resolution case studies from Haryana Workshop on Conflict Resolution IBRAD, Calcutta (May 16-17, 1994)

9 JFM in Haryana Visiting IFS probationers and SFS trainees Pinjore (May 24, 1994)

10. People's Participation in Management of Forest under JFMP. Workshop on Watershed Management in Kandi Project area PAU, Ludhiana (May 26, 1994).

11. JFM in Haryana. Kandi Project officials Pinjore, Haryana (June 16, 1994)

12. Presentation made before Chairman, REC and his delegation regarding the work being done in Forestry and JFM in particular (August 3, 1994)

13. Presentation made before Mr L Misra, CAPART, and his delegation regarding Forestry and JFM (August 19, 1994)

14. Presentation made before Mr D Larry Meyers, Deputy Auditor General of Canada and his delegation regarding the work being done in Forestry and JFM specially in IDRC funded projects (August 30, 1994).

15. Institution building in JFM NSG meet on JFM, SPWD, New Delhi (September 14-16, 1994)

16. Training impacts on JFMP in Haryana NSG meet on JFM SPWD, New Delhi (September 14-16, 1994)

17. Participatory Forest Management. Sustainable development and forestry. Training Programme for IFS probationers, TERI, New Delhi (September 27, 1994).

18. HRMS under JFMP Shivalik Development Board Meeting Ambala, Haryana (October 6, 1994)

19. Presentation made before Official delegation of Tranalta Corporation, Canada regarding the work being in Forestry and JFM (October 17, 1994)

20. Presentation made before participants of the TERI Induction Programme regarding the work being done in Forestry and JFM (October 18, 1994)

21. JFM in Haryana National seminar on JFM, Institute of Economic Growth, New Delhi (October 23, 1994)

22. Peoples' participation in Environmental Management IAS training programme on Management of Environment, TERI, New Delhi (November 7-11, 1994)

23. Sensitisation to self-sufficiency Institution building in JFM International Conference on PFM Enabling Environment, Calcutta (December 5-7, 1994)

24. Proposed Research Studies under JFMP in Haryana Training Workshop on "Ecological and Economic Methods", SPWD, New Delhi and CES, IIS, Bangalore at Sirsi, Karnataka (January 16-23, 1995)

25 Presentation made before German delegation led by Dr Stephen F. Von Welck, Counsellor, Scientific and Technological Affairs, Embassy of Federal Republic of Germany regarding the work being done in Forestry and JFM (February 10, 1995)

26 Press briefing on JFM to the Times of India (February 10, 195)

27. Presentation before Mr Heitor Gurgulino de Souza, Rector and Dr Fu-Chin Lo, Senior Academic Officer, UNU regarding works in Forestry and JFM Areas during his visit (February 13, 1995).

28 Microplanning and Institutional Building in JFM Integrated Afforestation and Ecodevelopment Programme in North-East India, New Delhi and Nagaland Forest Department (February 20-21, 1995)

29 Meeting with Mr Nicke Roche, Project Coordinator, ODA, Nepal regarding our JFM work in Haryana (February 27, 1995).

30 JFM Programme in Haryana Training programme on Management of Natural Resources and Environment Indian Institute of Public Administration, New Delhi (February 27-March 11, 1995)

31 Presentation made to scholars from Edinburgh University on PRA in JFM at Village Darpur, Haryana (April 29 - May 1, 1995)

32 Presentation made before Dr Daniel Yergin, President, Cambridge Energy Research Associates, Cambridge Mass., USA, regarding the work being done in JFMP (May 17, 1995)

33 Presentation on TERI's Role in JFM in Haryana to EEC Team at Kalesar, Haryana (June 7, 1995)

34 Presentation to Consultant Group of European Union (EU) lead by Mr Hugh Marshall for the Social Forestry Project of Haryana (June 14-15, 1995).

35 Presentation made before Ms Selja, Deputy Minister, Human Resource Development, Govt of India, New Delhi (July 7, 1995) regarding the work being done in JFMP

36 Meeting with USAID Team led by Ms Sheila A Young, regarding the work being done

in TERI and possible areas of information dissemination (August 28, 1995).

37. Presentation made before Japanese delegation led by Mr Masahisa Naitoh, Senior Advisor, Ministry of International Trade and Industry, Japan, regarding the work being done in JFM (August 29, 1995).

38 Presentation made before Mr John P. Ferriter, Dy Executive Director, IEA, Paris regarding the work being done in JFM (September 28, 1995).

39 Presentation made before Mr George T. Preston, Vice-President, EPRI, Palo Alto, Cal, USA and his team regarding the work being done in JFM (October 18, 1995)

40 Meeting with Mr Patrick D. Hardiastle, Forestry Consultant from ODA regarding Education and Training Programmes of IFS/SFS and other forest officials (October 24, 1995)

41 Seminar on Internal Equity in Common Property Resources organised by the Ford Foundation at New Delhi (November 13, 1995)

42. Presentation made before Ms Maritta Koch-Weser, Chief, Environmental and Natural Resources Division, World Bank, Washington DC regarding work being done in JFM (November 16, 1995).

43 Presentation made before select group of Ambassadors invited to TERI regarding work being done in JFM (November 17, 1995).

44 Presentation on "JFM in Haryana" to CFs and DFOs from Uttar Pradesh Forest Department, Dehra Dun (December 6, 1995)

45 Presentation made before Mrs. Flora McDonald, Chairperson, IDRC Board of Governors and her delegation regarding work being done in JFM (January 11, 1996)

46 Presentation made before Dr Suvit Yado Mani, Regional Director, UNEP, Asia-Pacific Region and his delegation regarding the work being done in JFM (January 17, 1996).

47 Presentation made before Dr Mohammad T. El-Ashry, Chief Executive Officer and Chairman GEF regarding the work being done in JFM (February 2, 1996)

48 Presentation made before Mr Nay Htun, Asst. Administrator and Regional Director, UNDP and his delegation regarding the work being done in JFM (February 17, 1996)

49 Presentation made before the UGC Expert Team regarding the work being done in JFM

(February 23, 1996).

50. Presentation made before the Senior Officers of the MOEF regarding the work being done in JFM (February 26, 1996).

51. Presentation made before a select group of Ambassadors invited to TERI regarding the work being done in JFM (February 26, 1996).

52 Presentation made before Dr (Mrs) Wakako Hironaka, Former Minister of Environment, Government of Japan, regarding the activities under JFMP (March 9, 1996)

53 Presentation made before Prof. V.S. Ramamurthy, Secretary, Department of Science and Technology, Government of India regarding the work being done in JFM (March 21, 1996)

54 Presentation made before Dr Tilak Viegas from the office of the Director General, Science, Research and Development of the Commission of European Communities regarding the work being done in JFMP (March 23, 1996)

55. An assessment of social, economic and ecological aspects of JFM – village Massompur An interim presentation of findings at the Ecological and Economic Network meeting of the National Support Group for JFM in India. CES, IIS, Bangalore (June 16-20, 1996)

56 Process documentation in JFMP in Haryana: The method, process and approach At National Workshop on Process Documentation: The JFM Experience, organised by TERI at Pinjore (August 8-9, 1996).

57 Process documentation Utilisation and lessons At National Workshop on Process Documentation: The JFM Experience, organised by TERI at Pinjore (August 8-9, 1996)

58 Joint Forest Management Programme – Phase III Presentation of the proposal for phase III of JFMP in Haryana Meeting of TERI and Ford Foundation, New Delhi (August 22, 1996)

59 Presentation made on JFM in Haryana at Conference on Joint Forest Management for Sustainable Development, organised by Indian Environmental Society, Shimla (October 3-5, 1996)

60 People's participation in the management of forests Training programme on Wood Energy Development for IFS officers, organized by TERI, New Delhi (October 28 November 1, 1996)

61 Process Documentation and Process Monitoring of the Joint Forest Management

Programme in Haryana. At the Workshop on Process Documentation and Process Monitoring Organized by the Ford Foundation, Overseas Development Institute, and BAIF Development Research Foundation, Pune (December 9-11, 1996).

Newsletter

A quarterly Newsletter in Hindi called "JFM Samachar Patrika" started during the second phase of the Programme, under the JFM Programme, forms an important means to highlight the various issues and activities of the Department and the Programme The newsletter is being widely circulated to all the HRMS, farmers, villagers, HFD, other Forest Departments, NGOs and other agencies Copies of the Newsletters (Vol 1, Nos 1, 2, 3, and 4) are placed as Annexure V to VIII and Vol 2, Nos 1,2, 3, and 4 as Annexure IX to XII and Vol 3, No.1 as Annexure XIII.

Pamphlet

The pamphlet entitled "Joint Forest Management in Haryana", giving details of the programme and its highlights was circulated widely to various interacting and visiting groups. The pamphlet was particularly beneficial in providing a brief overview of JFMP to the visitors.

Films

During the first phase of the project, TERI had prepared a 20-minute documentary film in English on JPFM to document and disseminate the various activities covered under the Programme A Hindi version of this film was also prepared specifically for village communities TERI has also prepared two 5 minute capsule films, namely, "Joint Forest Management in Haryana" and "Basket Makers of Badgodam" under the JPFMP which have been screened by Doordarshan under its TERRAVIEW programme. The films and audio-visual capsules are screened regularly

Visitors

The JFMP in Haryana attracted attention, both nationally and internationally The following visited the various sites where the Programme is currently being implemented The visitors/visiting groups were briefed about the background, evolution and objectives of the Programme by the officials of the HFD and the TERI Resource Team.

1 Ms Ratna Srivastava, IIFM, Bhopal (May-July, 1993).

2 Mr Alind Rastogi, IFS, Management Development Institute, Gurgaon (August 4-8, 1993)

3 Mr K S Bhoria, Commissioner, Ambala Division, Ambala: Mr B K Panigrahi, Addl

Dy Commissioner, Ambala; SDM, Kalka, BDO, Kalka, Shri H.S. Lohan, Director, Kandi Project, Chandigarh (September 6, 1993).

4 Mr Raul Fernandes, Director and Mr Elias Perez, Alternativas, Mexico (November 23-24, 1993)

5 Ms Priya Deshingkar, Stockholm Environment Institute, London (November 2-3, 1993).

6. Dr S Appanah, Forest Research Institute, Kuala Lumpur (Member, FAO Review Mission) (November 5-6, 1993)

7 Fellows of Leadership for Environment and Development Training Programme (February 12-13, 1994)

8. Mr Mukerjee from SPWD (April 12, 1994).

9. Mr Toran B Karki (Dean) and Mr S. D. Chowdhary (Assistant Dean) of the Institute of Forestry, Pokhra, Nepal (May 9-12, 1994)

10 IFS probationers (32), SFS trainees (30) and faculty members (2) from IGNFA, Dehra Dun (May 24, 1994).

11 Rangers from Forest Training College, Haldwani (May 30, 1994)

12 IFS probationers (33) from IGNFA, Dehradun (June 6, 1994)

13 IFS probationers from IGNFA, Dehra Dun (June 6, 1994)

14 Officers of Kandi Project (15) and Dr S.S. Grewal (PAU, Ludhiana) (June 16, 1994)

15 Ms Seema Paul from "The Telegraph" (June 22-23, 1994)

16 Dr V P S Verma (World Bank Team) and Kandi Project officials (July 6, 1994)

17 Forest Minister (Haryana Government) (September 28, 1994)

18 Mr Kamal Naidu, CCF, Andhra Pradesh (October 15, 1994)

19 Delegates of IFM seminar from Institute of Economic Growth, New Delhi (October 24-25, 1994)

20 Forest Minister of Uttar Pradesh (December 1, 1994

21. Delegates from the World Soil Conservation Congress (December 12, 1994).

22. Ms Swati Pant, IIFM, Bhopal (October – December, 1994)

23. Trainee Range Officers from Assam (January, 1995).

24. Forest Department Field Staff from Jammu & Kashmir (February 2, 1995).

25. Commissioner (Forest), DC and ADC, Yamunanagar (February 16, 1995)

26. Farmers (58) from Nalagarh in Himachal Pradesh (March 25-26, 1995)

27. Ms Seema Joshi, IIFM, Bhopal (May-June, 1995)

28. Ms Archana Sharma, IIFM, Bhopal (October-December, 1995).

29. EU Team from New Delhi (June 8 and 9, 1995).

30. Range Officer trainees from the Forestry Training Institute, Haldwani, (Uttar Pradesh) accompanied by Assistant Director Mr Umed Singh Mehra (June 24, 1995)

31. Mr Kishore Shah, ODA Consultant (July 6, 7 and August 8, 1995).

32. Mr Mohammad Haruna, JARDA, Nigeria (July 20 and 21, 1995).

33. Mr Wietze Lise from Institute of Economic Growth, Delhi University (August 23, 1995)

34. Six Officers from Government of South Africa sponsored by British Council and accompanied by Dr R V Singh (September 6 and 7, 1995)

35. Participants of the Workshop on Microplanning in JFM held at Pinjore (September 19 and 20, 1995)

36. Mr Rakesh Kaushik and Mrs Seema Purushottam from Ecotech Services (India) Pvt Ltd, New Delhi (October 25-27, 1995)

37. Mr Harsh V Kathuria, DFO (JFM), Mandi and eight forest officers from Mandi Forest Division, Himachal Pradesh (November 17, 1995)

38. Ten Forest Officers from Mandi Forest Division (JFM Support Team), Himachal Pradesh (January 30 and 31, 1996).

39. Mr N K Agarwal, IFS (Retd) (February 14 to 20, 1996)

40 Ms Claudia D'Andrea, Programme Associate, Sustainable Development Institute, Washington (February 26-27, 1996).

41. Participants of the Workshop on Process Documentation in JFM (August 8-9, 1996)

Publications

TERI has brought out a number of publications on JFM and the Programme A JFM Series was launched specifically to bring out case studies on various aspects of the Programme Apart from publishing the case studies as a Series, various papers were written and submitted at workshops. popular articles were brought out in quarterlies and magazines.

The different publications brought out during the second phase of the JFMP are given below

Joint Forest Management Series

The Series brings out the research undertaken on the JFMP in Haryana on several aspects of the Programme The Series comprises a number of such case studies and proceedings of workshops held under the Programme: these have been published from time-to-time since 1993. Twenty-four titles have been brought out as JFM Series till the end of the second phase of the Programme in 1996

A list of the JFM Series published by TERI follows.

1 Grass Yield under community participation in Haryana Shivaliks. By Abhash Panda, Manoj Dabas, V Varalakshmi. V.N. Shah and J R. Gupta (1993) JFM Series 1 TERI. New Delhi

2 Impact of participatory forest management on the ecology of Shivalik hills in Haryana state By Abhash Panda, V Varalakshmi, J R Gupta, Bakhshish Singh and Manoj Dabas (1993) JFM Series 2. TERI, New Delhi

3 Economics of bamboo basket making. a case study By V Varalakshmi (1993) JFM Series 3 TERI. New Delhi

4 Economics of goat and buffalo rearing - A case study from Haryana By V Varalakshmi (1993) JFM Series 4 TERI. New Delhi

5 Yield of *bhabhar* and grasses from the areas managed by HRMS and Ballarpur paper mill - a comparative analysis By S.S Arora, Rohini Vijh and V Varalakshmi (1993) JFM Series 5 TERI. New Delhi

6. Management of bamboo forest under joint participatory forest management in Haryana. By Bakhshish Singh, S.S. Arora, J.R. Gupta (1993). JFM Series 6. TERI, New Delhi.

7 Systems of *bhabhar* grass lease management in Haryana By V. Varalakshmi, Rohini Vijh and S S Arora (1993). JFM Series 7. TERI, New Delhi

8 Effect of juvenile grass cuttings on fibre yield of *bhabhar* and hay yield of fodder grasses in Shivalik hills of Haryana. By Bakhshish Singh, J R Gupta and S S. Arora (1993) JFM Series 8 TERI, New Delhi.

9 Economics of rope making under participatory forest management By Rohini Vijh and S S Arora (1993) JFM Series 9. TERI, New Delhi

10 Pisciculture under Joint Participatory Forest Management Programme in Haryana. By Rohini Vijh, S S Arora and V Varalakshmi (1993). JFM Series 10 TERI, New Delhi

11 Women as partners in the regeneration of Haryana Shivaliks By V Varalakshmi (1993). JFM Series 11 TERI, New Delhi

12 Constraints in the implementation of Joint Participatory Forest Management Programme - some lessons from Haryana By V Varalakshmi, Rohini Vijh and S.S Arora (1993) JFM Series 12 TERI, New Delhi.

13 Women in Godam - Haryana: A gender and caste based study on conservation of forest resources By Rajashree S Kanetkar and V Varalakshmi (1993) JFM Series 13. TERI, New Delhi

14 A dynamic process of institution development in Lohgarh village in Haryana. By V. Varalakshmi (1993) JFM Series 14 TERI, New Delhi

15 Joint Forest Management in Haryana Workshop proceedings By O N Kaul (Ed.) (1993) JFM Series 15 TERI, New Delhi

16 Rehabilitation of degraded tropical forest watersheds with people's participation. By S K Dhar (1994) JFM Series 16 TERI, New Delhi

17 Ecological revival of Haryana Siwaliks through community participation By O N Kaul, B N Dwivedi and V Shah (1995). JFM Series 17 TERI, New Delhi

18 Institutional, legal and socio-economic impacts of community participation in Haryana Siwaliks By O N Kaul, B.N. Dwivedi and Rajashree S Kanetkar (1995) JFM Series 18 TERI, New Delhi

19. Peoples' participation: Proceedings of the State-level Senior Officers' Workshop. By Ratna Verdhan, Varun Singh and Varsha Mehta (Eds.) (1996). JFM Series 19 TERI, New Delhi.

20 Assessment of training needs of frontline forestry staff - a JFM perspective. By Alind Rastogi (1996). JFM Series 20. TERI, New Delhi.

21 Effect of community participation on the status of bamboo in Pinjore forest range, - Haryana By B N. Dwivedi and Jayesh Bhatia (1996) JFM Series 21. TERI, New Delhi

22 Microplanning in Joint Forest Management: Proceedings of the National Workshop on Microplanning in JFM By Varsha Mehta and Ratna Verdhan (Eds.) (1996) JFM Series 22 TERI, New Delhi

23 Role of community institutions in fire control in Haryana. By Mathew Kurien and Bakhshish Singh (1996). JFM Series 23. TERI, New Delhi.

24 Process documentation: the JFM experience. Proceedings of the National Workshop on Process documentation in JFM. By Ratna Verdhan and Mathew Kurien (Eds) (1996). JFM Series 24 TERI, New Delhi.

Workshop Proceedings

Several workshops have been organised in the second phase of the JFMP by TERI and the proceedings of these workshops have been published and disseminated to the participants, HFD, and Ford Foundation on a regular basis These proceedings have also been made available to other interested organizations These proceedings are an excellent illustration of the extensive process documentation done by TERI in its role as a facilitator in the Programme

A comprehensive list of the workshop proceedings follows

1 Training Workshop on Joint Participatory Forest Management for Forest Guards of HFD, September 13-18, 1993 (1993) TERI, New Delhi.

2 Training Workshop on Joint Participatory Forest Management for Block Officers/Deputy Rangers of HFD, October 11-16, 1993. (1993) TERI, New Delhi

3 Farmers' Training Camp on Joint Participatory Forest Management, Village Kiratpur, Haryana, October 28-29, 1993 (1993) TERI, New Delhi

4 Training Workshop on Joint Participatory Forest Management for Members of Management Committees of Hill Resource Management Societies, November 10-11, 1993 (1993) TERI, New Delhi.

5. Farmers' Training Camp on Joint Participatory Forest Management, Village Khera, Haryana. December 7-8, 1993. (1993). TERI, New Delhi.

6. Training Workshop on Joint Participatory Forest Management for Block Officers/Deputy Rangers of HFD, December 13-18, 1993. (1993). TERI, New Delhi

7. Training Workshop on Joint Participatory Forest Management for Members of Management Committees of Hill Resource Management Societies, March 2-3, 1994 (1994) TERI, New Delhi

8. Farmers' Training Camp on Joint Participatory Forest Management, Village Salehpur, Haryana. March 4-5, 1994. (1994) TERI, New Delhi

9. Training Workshop on Joint Participatory Forest Management for Members of Management Committees of Hill Resource Management Societies, June 8-9, 1994 (1994) TERI, New Delhi

10. Training Workshop on Joint Participatory Forest Management for Members of Management Committees of Hill Resource Management Societies, July 6-7, 1994. (1994) TERI, New Delhi.

11. Training Workshop on Joint Participatory Forest Management for Members of Management Committees of Hill Resource Management Societies, September 7-8, 1994 (1994) TERI, New Delhi.

12. Training Workshop on Joint Participatory Forest Management for Members of Management Committees of Hill Resource Management Societies, October 25-26, 1994 (1994) TERI, New Delhi

13. Training Workshop on Joint Participatory Forest Management for Range Officers of HFD, November 15-16, 1994 (1994). TERI, New Delhi.

14. Training Workshop on Joint Participatory Forest Management for Block Officers/Deputy Rangers of HFD, January 6-11, 1995. (1995). TERI, New Delhi.

15. Training Workshop on Joint Participatory Forest Management for Block Officers/Deputy Rangers of HFD, February 6-11, 1995 (1995) TERI, New Delhi.

16. Training Workshop on Joint Participatory Forest Management for Members of Management Committees of Hill Resource Management Societies, June 2, 1995 (1995) TERI, New Delhi

17. Training Workshop on Joint Participatory Forest Management for Members of

Management Committees of Hill Resource Management Societies, June 3, 1995. (1995) TERI, New Delhi.

18 Training Workshop on Joint Participatory Forest Management for Members of Management Committees of Hill Resource Management Societies, June 5, 1995 (1995) TERI, New Delhi.

19 Training Workshop on Joint Participatory Forest Management for Members of Management Committees of Hill Resource Management Societies, June 6, 1995 (1995) TERI, New Delhi

20. Training Workshop on Joint Participatory Forest Management for Members of Management Committees of Hill Resource Management Societies, June 7, 1995 (1995) TERI, New Delhi.

21 Training Workshop on Joint Participatory Forest Management for Members of Management Committees of Hill Resource Management Societies, June 8, 1995 (1995) TERI, New Delhi

22. Training Workshop on Joint Participatory Forest Management For Block Officers/Forest Guards of Haryana Forest Department, July 10-15, 1995. (1995) TERI, New Delhi.

23 Training Workshop on Joint Participatory Forest Management for Forest Guards of the Haryana Forest Department, September 11-16, 1995. (1995)TERI, New Delhi.

24 Training Workshop on Baseline Survey of Forest Resources Under JFM for Forest Guards and Block Officers of Haryana Forest Department, September 26-29, 1995 (1995) TERI, New Delhi.

25 Training Workshop on Baseline Survey of Forest Resources Under JFM for Forest Guards and Block Officers of Haryana Forest Department, October 10-13, 1995 (1995) TERI, New Delhi.

26 Training Workshop on Construction and Maintenance of Dams under JFM for HFD Staff and HRMS Representatives, November 14, 16-17, 1995 (1995) TERI, New Delhi

27 Training Workshop on Construction and Maintenance of Dams under JFM for HFD Staff, December 12-14, 1995 (1995) TERI, New Delhi

28 Farmers' Training Camp on Joint Participatory Forest Management, January 16, 1996 (1996) TERI, New Delhi

29 Farmers' Training Camp on Joint Participatory Forest Management, January 21, 1996.

(1996) TERI, New Delhi.

30 Farmers' Training Camp on Joint Participatory Forest Management, February 11, 1996 (1996) TERI, New Delhi.

31 Training Workshop on Joint Participatory Forest Management for Members of Management Committees of Hill Resource Management Societies, February 13, 1996 (1996) TERI, New Delhi

32 Training Workshop on Joint Participatory Forest Management for Women, March 20, 1996 (1996) TERI, New Delhi

33 Training Workshop on Joint Participatory Forest Management for Women, March 23, 1996 (1996) TERI, New Delhi.

Papers

Apart from the published case studies and workshop proceedings, the TERI Team has also submitted and published papers on different aspects of the Programme. A list of these papers follows

1 Micro plan of village Ghatashar for participatory management of common lands in Aravalli Hills By Bakhshish Singh (1993) Aravalli project, Haryana Forest Department. Chandigarh

2 Handbook-cum-training manual on community participation and microplanning for rehabilitation of Aravalli Hills, Haryana. (1993) Aravalli Project. Haryana Forest Department. Chandigarh

3 Joint forest management in Haryana Shivaliks. By O N Kaul and S K Dhar. (1994). Submitted in the International Workshop on India's Forest Management and Ecological Revival. February 10-12, 1994. TERI, New Delhi.

4 Management of *bhabhar* grass under JFM By O N Kaul and Varsha Mehta (1994) Submitted to the Fourth International Congress of Ethnobotany on "Strategies for sustainable exploitation of biological resources," November 17-21. 1994, National Botanical Research Institute, Lucknow

5 Role of non-timber forest products in JFM By O N Kaul and Ratna Srivastava (1994) Submitted to International Seminar on Management of MFP, November 13-15. 1994, Centre for Minor Forest Products, Dehradun

6 Process documentation in joint forest management in Haryana. the method, process and

approach. By Ratna Verdhan. (1996). In. Process documentation: the JFM experience (Proceedings of the National Workshop on Process documentation in JFM). (Ratna Verdhan and Mathew Kurien, Eds.). (1996). JFM Series 24. TERI, New Delhi.

7. Process documentation and process monitoring of the joint forest management programme in Haryana. By Varsha Mehta. (1996). Presented in the Workshop on Process Documentation and Process Monitoring. Organized by the Ford Foundation, Overseas Development Institute, and BAIF Development Research Foundation. 9-11 December 1996. Pune

8. Joint forest management institutional initiatives towards biomass enhancement By O N Kaul, V Singh and V Varalakshmi. (1996) In. Biomass Energy Systems (P Venkat Ramana and S N Srinivas, Eds.). (1996). British Council Division, British high Commission, New Delhi

Popular Articles

The following popular articles on JFM and the Programme have been published in the second phase

1 JFM - An economic perspective. By S S Arora. (1993). In. Wasteland News, 8(4). 46-47.

2 Unresolved issues in Haryana - Reader's view. By S S Arora and V N Shah. (1994) In. Wasteland News, 9(2): 4-5.

3 Facilitating factors for involvement of women By Rohini Vijh. (1993) In Wasteland News. 9(1). 54-56

4 Women and forest management. By Rohini Vijh (1993) In Yojna, 37(18). 18-21

5 Furthering Global Rehabilitation through Grassroots Interventions Joint Participatory Forest Management By Varsha Mehta. (1996). In TERISCOPE, April–June 1996 1–5

Project Reports

The following project reports have been submitted to TERI, by trainees attached to the JFMP at TERI

1 Impact Assessment of Community Resource Management development perspectives in the context of JFM Ratna Srivastava (1993) Indian Institute of Forest Management, Bhopal

2 Impact Assessment of Cultural Operations on Bamboo Productivity in Community

Managed Forests Swati Pant. (1994). Indian Institute of Forest Management, Bhopal.

3 Institutional Assessment Study of JFM Programme in Haryana. Seema Joshi. (1995) Indian Institute of Forest Management, Bhopal.

4 Generation and Utilisation of Funds by HRMS. Archana Sharma. (1995) Indian Institute of Forest Management, Bhopal.

Future Plans

The second phase of the JFMP ended in December, 1996 and till then, the TERI Resource Team continued to assist and augment the efforts of the HFD in the Programme and provided specialised support to the Department in facilitating the development of PFM systems for adoption. As this is not the end in striving towards participatory forestry, future plans would include -

- Establishment of a federation of HRMS.
- Approval of JFM rules by the GOH for adoption by HFD.
- An institutional assessment to evolve the process of strengthening of HRMS as village level institutions
- Repair and maintenance of water harvesting dams to develop and strengthen the institutional capacity of HRMS, along with the maintenance of other mechanisms.
- Consolidation of HRMS database.
- Training of HFD officers and staff, village communities, HRMS office bearers and other target groups to orient them to JFM and bring in attitudinal changes in them.
- Research, case studies and process documentation.
- Greater involvement of women and greater awareness building among local user communities

Though, a lot has been achieved in terms of what exists now at the end of two phases of the Programme, as compared to the nearly empty slate when TERI embarked on its road of JFM in Haryana, there still remains a lot to be achieved in the years to come. The endeavour, to have self-reliant and self-managing institutions of JFM, continues Thus, it is proposed to continue the Programme after December, 1996 for a period of two years as a "withdrawal phase" so that the village institutions (HRMS) and HFD would continue to jointly manage the forests of the Siwaliks in a participatory manner

Acknowledgments

The members of TERI Resource Team are extremely grateful to the Ford Foundation for supporting the JPFMP in Haryana. The Team is especially indebted to Mr Jeffrey Y Campbell and Mr David Arnold for their continued guidance, support, encouragement and assistance in implementing the Programme.

The Resource Team is greatly indebted to all officers and field staff of the HFD and the JMU of Morni-Pinjore and Yamunanagar Forest Divisions. We are particularly grateful to Mr Gurnam Singh, ex-PCCF, Mr P S. Malik, PCCF; Mr Banarasi Das, PCCF; Mr R S. Hooda, Additional CCF, Mr V N.K. Pillai, ex-CCF; Mr Sultan Singh, CCF, Mr S.K. Dhar, CCF, Mr J K Rawat, CCF: Mr K.L. Manhas, CF; Mr D.R. Ramesh Singh, CF; Mr D.S. Bark, CF; Mr Hari Ram Yadav, CF, Mr Chhotu Ram, DFO; Mr R.S. Lamba, DFO; Mr Rupinder Singh, DFO, Mr S.S. Pawar, DFO: Mr Maya Singh, DFO; Mr J R Gupta, Mr R.P. Dange, Mr Mahipal Singh and Mr U S Vashisht (Coordinators, JMU); Ms Soma Sethi, VFW, and Mr Madan and Mr Barkha Ram, Surveyors, for their invaluable help and assistance in the implementation and facilitation of the Programme

The Team gratefully acknowledges collaborative efforts and commendable involvement of the HRMS members and officer bearers, women, farmers and village communities for participating, as partners in the Programme.

Syllabus for the Training Programme for Members of the MC of the HRMS under JFM

1 ***Introductory Address***

- JFM Programme in Haryana Shivaliks, objectives and scope of the training workshop

2 ***Functions and Responsibilities of HRMS***

- Membership rules, admitting new members, membership register – format thereof, membership receipt, maintenance of register
- Participation of women, weaker sections of society, benefit sharing.
- General Body and Management Committee(MC) – their roles and responsibilities
- Holding meetings of General Body and MC (advance notice, quorum, periodicity, agenda, record of attendance and minutes of meetings, signatures etc.), major decisions, routine working decisions
- Protection and development of forest resources – grazing, lopping, felling, fires, offences/fines etc.
- Roles and responsibilities of forestry staff, their participation.

3 ***Maintenance and Management of Dams***

- Protection and upkeep of dam system – catchment, dam body, pipe line etc
- Precautions in collection, storage, opening/release of dam water, desilting, raising of well/inlet level
- Timely repair of breaches, damages, blockages, breakages etc. Participation by community
- Equitable and judicious use of water, water charges, water distribution in charge, water register and its format, advance recovery of water dues, receipt for payment
- Use of water charges for maintenance and repair of dam system

4 ***Management of Grass/Bhabbar Lease, Bamboos and Plantations***

- Resolution of General Body meetings of the HRMS
- Raising of fund for payment of lease money to Forest Department
- Earmarking quantity/area of *bhabbar* for local consumption
- Checking cutting of newly sprouted *bhabbar (Mongri)*, its harmful effects
- Disposal of excess *bhabbar* through open auction in General Body meeting in the presence of local staff - recording the proceedings in the register, recovery of dues
- Fodder grasses not to be auctioned, fixing of *Dati* rate to recover lease money,

Dati rate for poorer sections of society, *Dati* register, advance payment/receipt, *Dati* to villagers of other HRMS (note of non-availability by President/Secretary of that HRMS).

- Deposit of revenue in Bank Account
- Management of bamboo areas – issues of permit, cleaning/cultural operations, felling rules, fire protection etc.
- Raising of plantations by HRMS – selection of site/species, guidance/supervision of various operations by local Forest Guard, protection and maintenance, preparation and submission of bills, plantation-register, cost/account of plantations.

5. ***Accounts Keeping***

- Financial powers, responsibilities and limitations of the society and the Management Committee.
- Use of savings/income for development of forest, maintenance of dam system and for welfare activities in the village.
- Operation of bank account, management of funds/savings, fixed deposits for lease etc
- Receipt book and cash book – writing thereof, cash balancing, vouchers, recovery of dues, recovery register.
- Presentation and discussion of accounts/balance sheet in six-monthly meetings of the General Body, account passing, recording of proceedings
- Auditing of accounts, role of forestry staff in guiding the account matters of the society

6 ***Open Session***

- Participatory discussion, clarifications, suggestions, resolving of issues, future strategies

Annexure II

Syllabus for the Training Programme for the Field Staff of the HFD under JFM

1. ***Forest Management – Objective and Policy***
   - Genesis of the Punjab Land Preservation Act, 1900 vis-a-vis peoples' participation
   - National Forest Policy – mandates of the new Policy of 1988 for community participation
   - Government of India circular of 1 June 1990 regarding people's participation in natural resource management.
   - HFMP adopted by Haryana Government on 13 June 1990.
   - Draft Rules for JFM in Haryana.

2 ***Concepts and Strategies for JFM***
   - History of Joint/Participatory Forest Management, Taungya system, village forests, Panchayat forests, Civil forests, Choe Reclamation Committees, Van Panchayats, Forest Societies, etc.
   - The concept of JFM
   - Strategies for JFMP.
   - Requisites for JFM.

3 ***Communication and Extension, PRA and related topics***
   - Basic concepts, principles of communication and extension.
   - Methods and materials for communication and extension (Pamphlets, newsletters, audio-visuals etc.)
   - PRA
   - Attitude and aptitude development.

4 ***Society Formation***
   - Formalization of Joint Management Agreement.
   - Election of office bearers.
   - Registration of society
   - Record maintenance for the efficient functioning of the society.
   - Auditing of accounts and records.

5 ***Peoples Participation in Forest Conservation and Management***
   - Forest Resources of Shivaliks, their extent and condition
   - People's dependence on them.

- Inter-relationship of Forestry, Environment, Agriculture and Rural Economy in brief.
- Need for people's participation in forest conservation and management.

6 ***Peoples' Participation in Watershed Management***

- Study of villagers' dependence on forest resources, the socio-economics.
- Identification of forest resources on which villagers are dependent, condition and extent of resources.
- Priorities for the user and target groups
- Access to forest resources and sharing of benefits by the villagers to be linked with effective protection and participation.
- Laying of a clear policy and rules regarding JFM.

7 ***General Principles in Construction, Maintenance, Repair of Water-harvesting Dams***

8. ***Micro-planning***

- Base maps, topographic map, land use pattern, drainage pattern, ownership rights/other legal status of the community,revenue records, forest settlement records.
- Resource/condition mapping – vegetation density, production level, soil erosion etc
- Socio-economic mapping/profiling, caste, occupation, dependence of user/target groups on forest resources.
- Caste, occupation, dependence of user/target groups on forest resources
- Preparation of microplan.

9 ***Interrelationship between HFD and HRMS***

- Organizational set up of the FD, deployment of field staff (in brief).
- Changed role of local field staff in protection and management of forest under JFMP.
- Participation of HFD staff in formation and functioning of societies, General Body meetings, checking of records, auditing of accounts, and holding of elections
- Reporting by the HFD staff about HRMS records, meetings, audit, performance, etc
- HRMS role in facilitating discharge of duties by HFD staff and protection of forests
- Range Working Group, objectives and functions

10. *Monitoring and Evaluation*

- Assessment of the level of protection through vegetation and erosion surveys/inventories.
- Assessment of forest resources use by villagers.
- Records of day-to-day activities of the societies
- Problems in effective functioning of societies, remedies if any, resolving of conflicts.
- Impact of JFMP

Annexure III

Syllabus for the Training Programme for the BO and FG of the HFD on Baseline Survey of Forest Resources under JFM

1 ***JFM: Overview***

- Historical background
- Concepts and strategies
- Policy and rules

2. ***Role of Baseline Survey in JFM***

3 ***Methodology for Baseline Survey***

- Base map, scale, measurement of lengths and area.
- Land-use map, area under forest, agriculture, habitation, common land etc
- Collection of basic demographic data with villagers
- Vegetation survey –
  - Methods of sampling for trees, ground cover, grass yield etc
  - Observations to be recorded.
  - Forms for recording of observations.
  - Computation and analysis of data.
- Survey report.

4 ***Preliminaries for Field Work***

- Formation of groups.
- Description of equipment.
- Distribution of equipment and materials for survey work

5 ***Preparatory Field Work for Baseline Survey***

- Study of base map
- Layout of baseline for sampling of vegetation.
- Collection of basic demographic data.

6 ***Field Exercise for Vegetation Survey***

- Layout of line transacts
- Layout of quadrats for sampling of vegetation.
- Recording of tree measurements.
- Recording of ground cover percentage.
- Recording of biomass of fodder grass, *bhabbar*, shrubs.

7. ***Compilation of Field Data***

- Computation of data.
- Preparation of abstract of data.

8 ***Preparation of Survey Report***

- Analysis of field data
- Preparation of report

9 ***Concluding Session***

- Presentation of baseline survey report.
- Discussion
- Follow-up action needed for baseline survey in HRMS areas

Annexure IV

Syllabus for the Training Programme on Construction and Maintenance of Dams under JFM

1. ***Study of watershed and dam site characteristics***
   - Topographical survey, maps.
   - Watershed characteristics –
     - Extent and shape of area
     - Time of concentration
     - Topography, soil
     - Vegetation, rainfall.
   - Command area, people's needs and participation
   - Topography, land holding pattern, cropping pattern, crop yields and water requirement.
   - Treatment of catchment for soil and water conservation.
   - Engineering, vegetative and protection measures.

2. ***Design of dam components***
   - Site selection.
   - Estimation of water yield and peak run-off.
   - Water yield – storage capacity relationship.
   - Design of dam, spillway, water distribution system
   - Embankment, parameters, dead storage, highest flood level and full lake level.
   - Estimate of cost.

3. ***Construction of dam system***
   - Material and equipment.
   - Layout of dam axis
   - Earthwork for dam body, precautions and checks.
   - Construction of spillway, outlet.
   - Layout and installation of water distribution system (pipeline).

4. ***Maintenance and management of dam system***
   - Peoples' involvement and institutions.
   - Operations and precautions during rainy season
   - Schedule of routine maintenance.
   - Management of water use and distribution, sharing mechanism.
   - Attending to repairs
   - Formation of Dam committees.

Annexure V

हरियाणा
सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम

वन
विभाग
हरियाणा

टाटा
ऊर्जा अनुसंधान संस्थान
नई दिल्ली

जे एफ एम समाचार पत्रिका

वर्ष 1 , अंक 1 — जुलाई 1994

शुभकामना सन्देश

यह बड़े ही हर्ष का अवसर है कि हरियाणा वन विभाग, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के साथ मिल कर एक ऐसी समाचार पत्रिका चलाने जा रहा है जिसमे समय-समय पर सयुक्त वन प्रबन्ध के बारे मे विस्तारपूर्वक लोगो तक खबरे पहुचेगी। सयुक्त वन प्रबन्ध प्रणाली एक अति आधुनिक प्रणाली है जिसके द्वारा वन विभाग और ग्रामीण लोगो के साथ तालमेल से वनो का प्रबन्ध किया जाता है। यह प्रणाली लगभग १५ वर्ष पहले आरम्भ की गई थी और इस प्रणाली को जिन -जिन क्षेत्रो मे अपनाया गया है उन-उन क्षेत्रो मे अच्छे परिणाम सामने आए हैं। जो वन लगभग उजड चुके थे उनको भली भाति पुर्नस्थापित किया गया है। इस प्रणाली द्वारा सरकार को, लोगो को, और, वनो तीनो को ही बहुत लाभ हुआ है। ऐसा लगता है कि भविष्य मे केवल भारत वर्ष मे ही नहीं बल्कि ससार के तमाम विकसित देशो मे वनो का प्रबन्ध सुचारू रूप से चलाने के लिए यह विधि अपनाई जायेगी क्योकि वनो का प्रबन्ध तब तक नहीं हो सकता जब तक वनो के आसपास रहने वाले लोगो का पूर्ण सहयोग प्राप्त न किया जाए।

आज दुनिया के बहुत से देशो मे सयुक्त वन प्रबन्ध प्रणाली की जगह-जगह चर्चा और सराहना की जा रही है। मै अपनी ओर से इस पत्रिका के प्रबन्धको और सचालको को हार्दिक बधाई देता हूँ और इसके साथ उनको अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद भी देता हूँ जिन्होने इस पत्रिका के द्वारा सयुक्त वन प्रबन्ध प्रणाली को हर गाव तक ले जाने की दिशा मे यह कदम उठाया है। इसके साथ-साथ जिन ग्रामीण लोगो ने अपना सहयोग देकर इस प्रणाली को कामयाब बनाया है, वह भी बधाई एव धन्यवाद के पात्र हैं।

गुरनाम सिह
प्रधान मुख्य वन सरक्षक, हरियाणा
चण्डीगढ

१ सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम के उद्देश्य व रूपरेखा

हिमालय पर्वत के निचले भाग से लगी शिवालिक पहाडियो मे वन सम्पदा के अत्याधिक विदोहन के कारण यह पहाडिया वृक्ष विहीन हो गई हैं, जिससे इस क्षेत्र में भूमि कटाव बहुत बढ गया है। सारा साल बहने वाली नदियॅा अब बरसाती नालो मे बदल गई हैं जो बरसात के दिनो मे बाढ लाती हैं और किनारो की जमीन को काट रही हैं। इन नदियो द्वारा बहा कर लाए गए पत्थरो एव रेत बजरी से तलहटी के इलाके की उपजाऊ जमीन बजर भूमि मे बदल रही है। वनस्पति व भूमि की तबाही के कारण इस क्षेत्र मे मरूस्थल जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है।

केन्द्रीय भूमि तथा जल सरक्षण अनुसधान एव प्रशिक्षण सस्थान के चण्डीगढ केन्द्र ने सन् 1980 के प्रारम्भिक वर्षो मे सुक्खोमाजरी तथा नाडा ग्रामो के जलागम क्षेत्रो के उपचार हेतु प्रयोग के तौर पर एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमे जनता का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की गई। इस कार्यक्रम मे हरियाणा वन विभाग का भी सक्रिय सहयोग था। इस अनुभव के आधार पर वर्ष 1989 से हरियाणा वन विभाग ने शिवालिक पहाडियो के अवनत वनो के प्रबन्ध के लिए साझा वन प्रबन्ध प्रणाली अपनाई। हरियाणा सरकार ने भी जून 1990 मे साझे वन प्रबन्ध सम्बन्धी एक नीति अपनाने की घोषणा की जिसके अन्तर्गत वन विभाग तथा स्थानीय समुदाय मिलकर इन वनो का प्रबन्ध करेगे तथा पहाडी सम्पदा प्रबन्ध सस्थाये (सोसायटियॉ) बनायेंगे।

साझा वन प्रबन्ध के कार्यान्वियन मे आ रही समस्याओ को देखते हुए टाटा ऊर्जा अनुसधान सस्थान (टेरी) ने हरियाणा वन विभाग के साथ मिलकर जुलाई 1990 मे फोर्ड फाउण्डेशन के वित्तीय सहयोग से शिवालिक खण्ड के मोरनी पिजौर वन मण्डल मे साझा वन प्रबन्ध कार्य-क्रम आरम्भ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि वन सम्पदा का प्रबन्ध हरियाणा वन विभाग द्वारा स्थानीय लोगो की पूरी भागेदारी से किया जाएगा। इस कार्यक्रम को चलाने तथा उसके विकास के लिए टाटा ऊर्जा अनुसधान सस्थान, हरियाणा वन विभाग को आवश्यक सहायता दे रहा है। इस सस्थान का प्राथमिक उद्देश्य सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम को योजनाबद्ध रूप से हरियाणा वन विभाग की नीतियों, कार्यक्रमो, प्रक्रियाओ एव कार्यवाहियो मे एकत्रित करना तथा स्थानीय समुदायो को इन वनो के पोषणीय आधार पर सुरक्षा एव प्रबन्ध के लिये प्रेरित करना है, जिससे ना केवल उनको ही लाभ हो अपितु देश का भी भला हो। हरियाणा वन विभाग ने टाटा ऊर्जा अनुसधान सस्थान के ससाधन दल के सहयोग से पिजौर मे एक साझा प्रबन्ध केन्द्र की स्थापना की है जो इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन एव तालमेल का कार्य कर रहा है। यह केन्द्र हरियाणा वन विभाग तथा वन समुदायो के बीच एक बेहतर कार्य प्रणाली विकसित करने, सोसायटीयो की स्थापना करने तथा जगलो के पोषणीय प्रबन्ध हेतु अधिकार एव जिम्मेदारियो का स्पष्ट रूप से निर्धारण करने का कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप इन वनो के पुर्नजन्म तथा गौण वन उपज के उत्पादन मे बढोतरी हुई है और भूमि कटाव में कमी हुई।

२ पहाड़ी सम्पदा प्रबन्ध संस्थान सोसायटी के आधार

(क) सोसायटी क्यों ?

साझा वन प्रबन्ध की नीति के अनुसार हरियाणा [वन] विभाग, वन क्षेत्रो के निकट या अन्दर रहने वाले ग्रामीण लो[गों] को उन वनो के प्रबन्ध मे सहभागी बनाना चाहता है क्योकि [वन] विभाग के लिए इतने लोगो के साथ व्यक्तिगत स्तर पर कार्य कर[ना] सम्भव नही है, इस लिए सोसायटी बनाना आवश्यक है।

(ख) सोसायटी के आम सदस्य कौन [हो] सकते हैं ?

पहाडी सम्पदा प्रबन्ध सोसायटी के क्षेत्र में आने वा[ली] बस्ती, गाव या एक से ज्यादा गावो के निवासी एव परिवारो [के] सब बालिग महिलाओ और पुरूषो को सोसायटी के आम सद[स्य] बनने का हक है। सब आम सदस्यो के हक व जिम्मेदारियॉ बरा[बर] होगी।

(ग) सोसायटी की प्रबन्धक कमेटी

सोसायटी के दैनिक कार्यो को सम्भालने के लिए आ[म] सदस्य प्रबन्धक कमेटी का चुनाव करते हैं। यह चुनाव सोसाय[टी] की आम सभा बुलाकर किया जाता है। प्रबन्धक कमेटी के सा[त] से तेरह सदस्य हो सकते हैं। इन मे कम से कम दो महिला सदस्[यों] का होना जरूरी है जहॉ महिलाये वन क्षेत्र या वन उपज का [ज्यादा] अधिक उपयोग करती है, वहा प्रबन्धक कमेटी मे महिलाओं [की] सदस्यता उसी अनुपात मे अधिक होनी चाहिए। इसी ढग से आ[म] सदस्यो की सब जातियां व वर्गो का प्रबन्धक कमेटी मे प्रतिनि[धित्व] धित्व होना जरूरी है। प्रबन्धक कमेटी के सदस्यो मे से एक [को] प्रधान, एक को सचिव व एक को खजाची नियुक्त किया जाता [है]।

प्रबन्धक कमेटी की मुख्य जिम्मेदारी, आम सदस[्यों] की प्राथमिकताओ व जरूरतो के आधार पर कार्य करना है। कमेटी के सदस्य इस कार्य के लिए अपना समय बिना वेतन लिए देते हैं। प्रबन्धक कमेटी, सोसायटी का कार्य तब तक अच्छे ढंग से नही कर सकती, जब तक आम सदस्य उनको हर कदम पर सहयोग देना अपनी जिम्मेदारी नही समझते। पदाधिकारियो के कार्यो मे कमिया निकालने की जगह आम सदस्यो को उनके कार्य मे सुधार लाने के लिए सुझाव व सहायता देनी चाहिए।

सोसायटियों के समाचार

(क) नई सोसायटियॉ

वर्ष 1994-95 के आरम्भ तक हरियाणा के शिवालिक पहाडो मे कुल 40 सोसायटियॉ थी जिनमे से 33 सोसायटियॉ मोरनी-पिजौर वन खण्ड मे तथा 7 सोसायटियॉ अम्बाला वन खण्ड मे थी। हाल ही मे पिजौर रेज के गाव नानकपुर मे एक नई सोसायटी बनी है। इसके अलावा सूरजपुर सोसायटी के तीन गाव रजीपुर, सूरजपुर व मानकपुर नानकचद ने अब अपनी अपनी तीन अलग सोसायटियॉ बना ली हैं। पचकुला रेज के चौकी गाव तथा रायपुर रानी रेज मे भोजपलासरा के सबीलपुर गाव ने भी नई सोसायटी बनाने की इच्छा प्रकट की है तथा वहा के गाववासियो से बातचीत चल रही है।

(ख) प्रबन्ध कमेटी का चुनाव

अप्रैल से जुलाई 1994 की अवधि मे जिन सोसायटियो की प्रबन्ध कमेटियो का चुनाव हुआ उनका साराश निम्नलिखित तालिका मे दर्शाया गया है।

सोसायटी	चुनाव तिथि	पदाधिकारियो के नाम			कुल
		प्रधान	सचिव	खजाची	मैम्बर
कार्हीं बाला मानकपुर	8 4 94	बचन सिह	उज्जागर सिह	भागा सिह	9
नानक चद	10 6 94	सुच्चा सिह	चनन सिह	बलबीर सिह	9
रजीपुर	23 6 94	मो० सरीफ	नारगा	रामतरसम लाल	9
सुरजपुर	11 7 94	प्यारा सिह	मेहर सिह	रघुवीर सिह	11

(ग) बॉंधो की मरम्मत व रखरखाव

14 जनवरी 1994 को वन सरक्षक उत्तरीय परिमंडल, पचकुला की अध्यक्षता मे हुई एक गोष्ठी मे यह निर्णय लिया गया कि शिवालिक की पहाडियो मे बने बॉंधों की हालत का जाएजा लिया जाए और उनकी मरम्मत पर आने वाले खर्चे का अदाजा लगाया जाये । इस काम के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने जनवरी से अप्रैल 1994 तक पूरे क्षेत्र के विभिन्न बॉधो का निरीक्षण कर 14 बॉधो की एक सूची प्रेषित की, जिनकी मरम्मत पर 18, 85, 000 रूपये खर्चे का अनुमान बताया। इस रकम को चुकाने के लिए वन विभाग, सरकार तथा फोर्ड फाउण्डेशन से सम्पर्क बनाए हुए है। इस सम्बन्ध मे यह भी निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित सोसायटियो से विस्तारपूर्वक विचारविमर्श किया जाए कि अपने अपने बॉधो की मरम्मत मे वे किस प्रकार योगदान देगे। केवल उन्ही बॉधों पर कार्य किया जाए जिनकी मरम्मत हो जाने के उपरात भी सोसायटी उनके सुचारू रख रखाव व प्रबन्ध आदि की पूर्णतया जिम्मेदारी ले। टेरी की टीम अब इन सोसायटियो से सम्पर्क कर इस बात का जायजा ले रही है, कि उपरोक्त मिद्धान्तो के आधार पर किन किन बॉधो की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाए।

(घ) चारा घास व भाभड़ का लीज पट्टा

वर्ष 1993-94 में 9 सोसायटियो ने वन विभाग से चारा घास की लीज ली और केवल 6 सोसायटियो ने भाभड घास की लीज ली। इस वर्ष 31 जुलाई की सूचना के अनुसार 9 सोसायटियो ने चारा घास की लीज और 15 सोसायटियो ने भाभड घास की लीज लेने का निर्णय किया है। कुछ अन्य सोसायटियॉं लीजो के लिए वन विभाग से आग्रह कर रही हैं, जिसके बारे मे जल्द ही कुछ निर्णय लिए जाने की आशा है। पिछले वर्षों मे कुछ सोसायटियो ने घास व भाभड की लीज लेना बद कर दिया है परन्तु ठेकेदारो से चारा घास लेने के लिए उन्हे दाती अधिक रेट मे 1000 से 1500 रू० तक लेनी पडी। इसी प्रकार अपनी आम जरूरतो के लिए भाभड घास भी उन्हे 200 से 250 रू प्रति क्विटल की दर से खरीदना पडा। यदि सोसायटियॉं साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत घास लीज पर लेकर वनो की सुरक्षा व विकास मे पर्याप्त रूचि ले तो इसमे उनका हित है। घास लीज से हुए आर्थिक लाभ से वे अपना रख-रखाव, वनो का विकास और समाज कल्याण के कार्य कर सकते हैं।

(ड) प्रशिक्षण

सोसायटियो के सुचारू सचालन हेतु प्रशिक्षण शिविरो का आयोजन किया जाता है। जिनमे सोसायटियो के धारको को यह जानकारी दी जाती है, कि सोसायटी के रिकार्ड तथा लेखा कैसे रखे जाए, वन सम्पदा से होने वाले लाभो को समाज के सब वर्गो तक कैसे बराबर एव सही ढग से पहुँचाया जाए। सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम के योगदान मे महिलाओ तथा कमजोर वर्ग के लोगो को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, आपसी विवादो को कैसे हल किया जाए तथा वनो की सुरक्षा व विकास मे सोसायटियो की क्या भूमिका है। इस अवधि मे निम्नलिखित प्रशिक्षण शिविर लगाए गए है।

तिथि	भाग लेने वाली सोसायटियो के नाम	रेंज
8-9 जून 94	त्रिलोकपुर, भरौली	रायपुर रानी
6-7 जुलाई 94	किरतपुर, जट्टा माजरी,	पिंजौर
	खेडा बसौला,	
	प्रेमपुरा	

४ सांझा वन प्रबन्ध केन्द्र, यमुना नगर

यमुना नगर वन खण्ड के कलसिया, कलेसर तथा साढोरा रेंजो मे सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम को बढावा देने के लिए यमुना नगर मे भी पिंजौर की भांति एक नई इकाई का गठन किया गया है। श्री उमा शकर वशिष्ठ इस इकाई मे को-आर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं।

५ रेंज कार्यदल

वन विभाग के कर्मचारियो तथा सोसायटियो के बीच आपसी तालमेल को बढावा देने के लिए तथा सोसायटियो की समस्याओ के तुरन्त समाधान हेतु प्रत्येक वन रेंज मे एक रेंज कार्यदल का गठन किया गया है। रेंज के सभी वन कर्मचारी डिप्टी रेंज फोरेस्टर, फारेस्ट गार्ड तथा उस क्षेत्र मे आने वाली सभी सोसायटियो के प्रतिनिधि प्रधान, सचिव, खजाची आदि इस कार्यदल के सदस्य होंगे। कार्यदल की सभा [illegible] अध्यक्षता रेंज अधिकारी करेंगे। श्री [illegible] जे०एफ०एम०यू० के सदस्य भी दल के सदस्य होंगे। रेंज अधिकारी सोसायटियो से तालमेल कर [illegible] का [illegible] निर्धारित समय से बना लेंगे। इस दल की बैठक हर [illegible] किए जाने का प्रस्ताव है ताकि सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम मे आने वाली रोजमर्रा की अधिकतर समस्याओ का हल रेंज स्तर पर ही हो सके। [illegible] मुद्दो का निराकरण रेंज कार्यदल मे नहीं हो पाता उन्हे मण्डलीय का[illegible] के समक्ष [illegible]।

पाठकों से अपील

[illegible] जानकारी की महत्वपू[illegible] [illegible] तथा सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम सम्बन्धी अपने सुझाव हमे निम्नलिखित पते पर [illegible]

श्री उमा शकर वशिष्ठ
को-आर्डिनेटर
जे०एफ०एम०यू०,
फोरेस्ट काम्पलैक्स,
पिंजौर 134 102
दूरभाष 01733 2935

डा० बख्शीश सिह,
जे०एफ०एम०यू०,
फोरेस्ट काम्पलैक्स,
पिंजौर 134 102
दूरभाष 01733 2935

श्री ओ० एन० कौल
टाटा अनुसधान सस्थान
दरबारी सेठ ब्लाक
इण्डिया हैबीटेट सेन्टर
लोधी रोड
नई दिल्ली 110 003
दूरभाष 460 1550, 462 2246

हरियाणा
सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम

वन
विभाग
हरियाणा

टाटा
ऊर्जा अनुसंधान संस्थान
नई दिल्ली

जे एफ एम समाचार पत्रिका

वर्ष 1, अक 2

अक्टूबर 1994

1 सम्पादक की कलम से

आपने अपने गाव मे पर्वतीय सम्पदा प्रबन्ध सोसाइटी बनाई है। चुनाव करके प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियो की नियुक्ति भी कर ली है । यह सब कुछ आप लोगो ने इस लिए किया है कि अब आप ''साझा वन प्रबन्ध'' की महत्वता को समझने लगे है, कि किस तरह इस व्यवस्था से गांववासी तथा वन विभाग मिलजुल कर रह सकते है और वनो से पूरा लाभ प्राप्त कर सकते है ।

वनो से आपको कई प्रकार के लाभ मिल सकते है, जैसा कि पशुओ के लिए चारे की पूर्ति, खाना बनाने के लिए जलौनी लकड़ी, बान व रस्सी बनाने के लिए (या सीधा पेपर मिल को बेचने के लिए) भाभड़ घास और वन विभाग द्वारा बनाये गए डैमों से सिंचाई के लिए पानी जिसे प्राप्त कर अपने खेतो को हरा - भरा करना ।

आप कैसे यह निश्चित करेंगे कि वनों के यह लाभ सब ग्राम वासियो को बराबर-बराबर बांटे जा रहे है ओर इन लाभो का सही-सही प्रयेाग हो रहा है । इस बात का आप कैसे ध्यान रखेंगे कि गाव के चद लोग ही सोसाइटी पर कब्जा ना जमाये रखे और इसकी आमदन का नाजायज इस्तेमाल न हो । ऐसा करने के लिए आपको सुनिश्चित करना होगा कि सोसाइटी के लेखा-जोखा का रख-रखाव ठीक ढंग से हो रहा है ।

सोसाइटी की आमदनी को सभालना और लेखा रखने का कार्य खजाँची को करना होता है । जैसे ही सोसाइटी बनाई जाए और रजिस्टर्ड करवाई जाए तो खजाँची का काम शुरु हो जाता है । सोसाइटी के सदस्यो से सदस्यता (मैम्बरशिप) फीस को एकत्र करना उसका सर्वप्रथम काम है । यह फीस दस से बीस रुपये प्रति मैम्बर ली जाती है या फिर जो फीस सोसाइटी की आम सभा मे तय की जाए । हर एक मैम्बर का नाम मैम्बरशिप रजिस्टर मे दर्ज किया जाना अति आवश्यक है और उनके द्वारा जमा की गई फीस भी उस रजिस्टर मे लिखी जाती है । सभी मैम्बरो को मैम्बरशिप फीस जमा करने की रसींदे अलग-अलग दी जाए और इन रसीदो का नम्बर तथा धनराशि का उल्लेख रोकड बही मे भी साफ-साफ किया जाए । आपकी सोसाइटी को टैरी की टीम द्वारा मैम्बरशिप, आदि के रजिस्टर दिए जा चुके है । अत· आप इन रजिस्टरो को सही ढंग से भरते रहे । यदि इस कार्य मे कोई समस्या या शका हो तो तुरन्त टैरी टीम से सम्पर्क करे या कोऑर्डीनेटर, जे एम यू पिन्जौर या यमुनानगर से जानकारी प्राप्त कर ले ।

हर एक खजाँची को इस असूल को याद रखना चाहिए कि हर एक लेन-देन के लिए एक अलग रसीद काटी जाए और इसे रोकड बही मे (रसीद न० दशति हुए) दर्ज किया जाए । चारा घास या दाती की आय, डैम के पानी व भाभड़ घास की बिक्री आदी से हर प्रकार की आमदनी के लिए इसी तरह रसीद काट कर बही खाता में दर्ज किया जाए । इसी तरह सोसाइटी जो रक्म खर्च करे उसका ब्यौरा भी बही खाते में तुरन्त भर देना चाहिए - जैसा कि घास व भाभड़ के लिए वन विभाग को लीज की रकम भुगतान करना या गांव व वनों के विकास कार्यों में सोसाइटी द्वारा खर्च किया जाना। इन सभी प्रकार के खर्च सम्बन्धी रसींदे सम्भाल कर रखी जाए । हर माह के अंत मे बही खाता का जोड किया जाए ताकि आमदनी व खर्च का ठीक अदाजा लग सके ।

खजाँची के पास रोजमर्रा का खर्च चलाने के लिए थोड़ी रकम के अलावा और कोई धनराशी नही रहनी चाहिए, बल्कि सोसाइटी को चाहिए कि किसी पास के बैंक मे अपना खाता खोलकर आमदनी की सब रकम उस खाते मे तुरन्त जमा करवाये । बैंक का खाता केवल सोसायटी के प्रधान, व खजाँची द्वारा ही चलाया जाए । बैंक से रकम निकलवाने के लिए इन तीन सदस्यों मे से किसी दो के दस्तखत् होना जरुरी है । वर्ष के अंत में सोसाइटी के बही खाता की जाँच व ऑडिट स्थानीय फौरेस्टर या सम्बन्धित एन जी ओ (टैरी की टीम) से करवाना न भूले ।

सोसाइटी की प्रबन्धक कमेटी का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखे कि खजाँची के लिए एक ऐसे सदस्य का चुनाव किया जाए जो पढा लिखा होने के साथ-साथ ईमानदार भी तो तथा सोसाइटी के कार्यों के लिए जरुरत के अनुसार अपना समय दे सके ।

खजाँची नियुक्त होने के तुरन्त बाद उसे सोसाइटी की रोकड बही

और रसीद बुकों का चार्ज अपने पास ले लेना चाहिए । यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि पिछली कमेटी की रोकड़ बही, रसीद बुकें तथा अन्य रजिस्टर हर तरह से मुकम्मल किए गए है तथा बकाया रोकड़ (जो भी हो), रजिस्टर, बैंक की पास बुक/एफ.डी. व मोहरे आदि प्राप्त कर ली गई है । सोसाइटी का लेखा भलीभांति रखा जाए क्योकि सोसाइटी के सदस्य किसी वक्त भी यह पूछ सकते हैं, कि सोसायटी के पास कितनी रकम जमा है या कितनी रकम उन्हे अदा करनी है । इसलिए यदि आप चाहते है कि आपकी सोसाइटी भी एक अच्छी सोसाइटी कहलाये तो अपनी सोसाइटी का लेखा सही ढंग से व ठीक से रखें।

बख्शीश सिंह

---

2 पहाड़ी सम्पदा प्रबन्ध सोसाइटी के आधार

पिछले अंक में आपको बताया गया था कि सोसाइटी क्या है, इसके सदस्य कौन हो सकते हैं तथा प्रबन्धक कमेटी का क्या उद्देश्य है । आइये अब आपको प्रबन्धक कमेटी के सदस्यो तथा सेासाइटी के आम सदस्यो की जिम्मेदारियों के बारे मे कुछ बताये ।

क) प्रबन्धक कमेटी के सदस्यों की जिम्मेदारियाँ

- कमेटी की मासिक बैठक में भाग लेना ।

- वर्ष में कम से कम दो आम सभा बुलाना जिसमे आम सदस्यों को सोसाइटी के कार्यों व हिसाब-किताब के बारे में अवगत करवाना व भविष्य के कार्य के बारे में सभी के सुझाव लेना ।

- किसी मुख्य कार्य या खर्चा करने से पहले आम सभा को बुलाकर आम सदस्यो की स्वीकृति प्राप्त करना-जैसे कि भाभड़ या घास की लीज किन शर्तों पर ली जाएगी, दाती का रेट क्या हो, डैम के पानी को कैसे बांटा जाए, डैम की मरम्मत व वृक्षारोपण कार्यों मे वन विभाग से सहयोग, आदि । कमेटी व आम सभा की बैठको मे भाग लेने के लिए स्थानीय वन रक्षक व दरोगा को यथा समय आमंत्रित करना ।

ख) प्रबन्धक कमेटी के पदाधिकारियों की विशेष जिम्मेदारियाँ

प्रधानः- सोसायटी की हर मीटिंग की अध्यक्षता करना । कानूनी तथा व्यावहारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना ।

सचिवः- मीटिंग बुलाना, मीटिंग की कार्यवाही रिकार्ड करना । सालाना रिपोर्ट तैयार करना व उसे प्रस्तुत करना तथा वन विभाग से पत्राचार करना ।

खजाँचीः- लेखा-जोखा का हिसाब रखना । सलाना खर्चा तथा आमदनी का ब्यौरा प्रस्तुत करना । रसीद दिए बिना पैसा नही लेना ।

अन्य मैम्बरः- कमेटी की सभी मिटिंग में भाग लेकर प्रधान तथा सचिव आदि को पूर्ण सहयोग देना ताकि सोसायटी सही ढंग से चल सके तथा वनों की सम्पदा के प्रबन्ध में सुधा[र] सके ।

ग) सोसाइटी के आम सदस्यों की जिम्मेदारियाँ

अपनी सोसाइटी को प्रभावशाली व योग्य बनाने के लिए हर आम स[दस्य] को निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ निभानी जरुरी है ।

- हर आम सभा मे भाग लेना व अपने विचार व सुझाव प्रस्तुत करना ।

- प्रबन्धक कमेटी का चुनाव करते समय ऐसे लेागो को चुनना जो अ[पनी] जिम्मेदारियाँ निभाने लायक हो व जो अधिक से अधिक आम सदस्यो को सोस[ाइटी] के कार्यों से जुडने के लिए प्रोत्साहित कर सके ।

- आम सभा मे स्वीकृत सभी निर्णयो का सख्ती से पालन करना । [इ]सयुक्त वन क्षेत्र के प्रबन्ध सम्बन्धी नियम, जैसे कि वहाँ पशुओ की चराई करना, उसे चोरी व अन्य प्रकार की हानि से बचाना, इत्यादि शामिल [है]

- पानी, घास, बास व अन्य वन उपज के लिए सोसाइटी द्वारा तय [कि]ए गए दर पर पैसा समय पर देना । रसीद लिए बिना सोसाइटी के कार्य लिए कोई पैसा नहीं देना ।

घ) वन विभाग से सहयोग

वन सम्पदा के उपयुक्त प्रबन्ध के लिए यह आवश्यक है कि सोसा[इटी] वन विभाग के कर्मचारियो से लगातार सम्पर्क बनाए रखे । इसके लिए हर मी[टिंग] मे , विशेषकर आम सभा व चुनाव के समय, वन विभाग के प्रतिनिधि ([रे]ंजर, वन दरोगा, वन रक्षक, आदि) को आमंत्रित करना आवश्यक है, [ताकि] सभी समस्याओं का समाधान मौके पर तुरन्त हो सके।

3 सांझा वन प्रबन्ध से वनों की घास उपज [को] बढावा मिला

चारा घास व जलौनी लकड़ी की जरुरत के लिए ग्रामवासी अपने [पा]स के वनों पर निर्भर रहते है । रस्सी बनाने के लिए भाभड़ घास भी इन [वनों] से ही प्राप्त करते हैं, परन्तु खुले आम पशुओ की चराई व वनस्पति के विघोहून से शिवालिक पहाडी के वनो की दशा बहुत बिगड़ चुकी है । [सां]झा वन प्रबन्ध कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य इस दशा में सुधार लाना है [ता]कि इन वनो से ग्रामवासियो की जरुरते भी पूरी होती रहे और जलागम क्षेत्र [में] वनस्पति का पर्याप्त पूर्णजनन भी हो सके । हरियाणा शिवालिक की पहा[ड़ियों] मे साझा वन प्रबन्ध प्रणाली आज से कुछ 12 साल पहले सुखोमाजरी गा[ँव] से आरम्भ हुई । अब 50 से अधिक गाव इस कार्यक्रम मे भाग ले रहे [है]

ग्रामवासियो की भागेदारी व सहयेाग से वनो मे घास की उपज प[र] जो असर हुआ, उसे आकने के लिए टाटा ऊर्जा अनुसधान सस्थान (टैरी) [की] टीम ने वर्ष 1992 मे एक अध्ययन किया । इस अध्ययन के लिए पाँच प्रका[र] के पहाड़ी वन चुने गए (1) ऐसे वन जहा साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम अ[भी] लागू नही है तथा पशु खुले आम चराई के लिए वनो मे छोडे जाते है । (2

वनों से प्राप्त जलौनी लकड़ी

[illegible] जहां साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामवासियों ने पिछले एक [illegible] सोसाइटी बना ली है और स्वेच्छा से पशुओ को जगल मे खुला न [illegible], चारा घास काट कर लाना आरम्भ किया है । (3) जहां पहाडी प्रबन्ध सोसाइटी बने तीन साल हो गए है । (4) जहां सोसाइटी बने [illegible] हो गए है, और (5) जहां सोसाइटी बने दस साल हो गए हैं । [illegible]परोक्त पाँच प्रकार के वन क्षेत्रो से चारा घास व भाभड़ घास की उपज [illegible] लेने के लिए विधिवार घास के सैम्पल काटे गए और उनको हरा व [illegible]जन किया गया । इस प्रकार उपज के आकड़ो को एकत्र कर, मिलान [illegible] निम्न तथ्य सामने आए:-

जिन क्षेत्रो में सांझा वन प्रबन्ध अभी लांगू नहीं है और पशु खुले आम चराई के लिए छेड़े जाते हैं, उनमें चारा घास तथा भाभड़ घास दोनों की उपज अन्य क्षेत्रों के मुकाबले बहुत कम है । सांझा वन प्रबन्ध के अन्तर्गत खुली चराई बंद करने पर चारा घास की उपज में एक साल बाद ही लगभग 10 प्रतिशत बढ़ौतरी हो गई । तीन साल बाद चारा घास की उपज बढ़ कर लगभग 6 गुणा हो गई । 6 साल पेड़ों का क्षेत्र बढ़ने से घास की उपज में कुछ कमी आने लग गई, परन्तु पहले साल की तुलना में फिर भी यह उपज दुगनी से अधिक रही।
इसी तरह भाभड़ घास उपज भी एक साल बाद ही 15 प्रतिशत बढ़ गई, जो तीसरे साल में लगभग दो गुणी हो गई और 6 साल तक ढाई गुणा हो गई । पेड़ों का क्षेत्र बढ़ जाने के बावजूद 10 साल में लगभग 40 प्रतिशत उपज अधिक मिली ।

[illegible]स प्रकार आप भी यदि अपने वनो की पूरी सुरक्षा करे और पशुओं को खुला न छेाडे तेा आपके वनो से चारा घास की उपज छ गुणा और भाभड़ घास की उपज ढाई गुणा से भी अधिक हो सकती है ।

सोसाइटी के समाचार

क) नई सोसाइटियां

माह अगस्त 1994 मे दो नई सोसाइटिया (रजिपुर तथा नानकपुर) रजिस्टर की गई । रजिपुर सोसाइटी ने प्रबन्धक कमेटी के लिए 9 मैम्बरों का चुनाव किया, जिनमे श्री मोहम्मद शरीफ प्रधान, श्री नारंगराम सैक्रेटरी तथा तरसेम लाल खजॉची नियुक्त हुए। नानकपुर सोसाइटी ने अपनी प्रबन्धक कमेटी के लिए 11 मैम्बरो का चुनाव किया जिनमे श्री जोगिन्द्र सिह प्रधान, श्री जीत राम सैक्रेटरी तथा श्री रामलाल नेगी खजॉची नियुक्त हुए ।

ख) प्रशिक्षण

पूर्व की भाति इस अवधि मे भी सोसाइटियो के सुचारु सचालन हेतु प्रशिक्षण शिवरों का आयोजन किया गया जिसमें नानकपुर, कार्हीवाला नवॉनगर तथा खोखरा थप्पल की सोसाइटियो के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इस प्रशिक्षण में सोसाइटियो के सदस्यो के साथ सांझा वन प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई ।

ग) सोसाइटियों द्वारा वृक्षारोपण

वन सम्पदा की सुरक्षा पूर्णजनन के लिए ग्रामीण समुदाय सोसाइटियों बनाकर सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम द्वारा वन विभाग से सहयोग करती आ रही है । कुछ सोसाइटियो ने इच्छा प्रकट की थी कि वे वृक्षारोपण कार्यक्रम मे भी सक्रिय भाग लेना चाहेगी, अत इस वर्ष प्रयोग के तौर पर तीन सोसाइटियो

'वृक्षारोपण का एक सांझा प्रयास'

को इस कार्यक्रम मे शामिल किया गया है, जिनका ब्यौरा निम्नप्रकार है ।

सोसायटी का नाम		वृक्षारोपण लक्ष्य
1	रजिपुर	3 हैक्टेयर
2	लोहगढ़	2 हैक्टेयर
3.	त्रिलोपुर	4 हैक्टेयर

वृक्षारोपण हेतु प्रजातियो का चुनाव इन सोसाइटियो ने स्वय किया है पौधारोपण के सभी कार्य स्थानीय वन कर्मचारियो के निर्देशन मे किए जाऐंगे वन विभाग के वृक्षारोपण मानको के आधार पर इन सोसाइटियो को सीधा भुगतान किया जाएगा । पौधारोपण का रख रखाव भी सोसाइटिया स्वय करेगी ।

पाठको से अपील

पाठको से अनुरोध है, कि वे अपनी सोसायटी की महत्वपूर्ण घटनाओ तथा साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम सम्बन्धी अपने सुझाव हमे निम्नलिखित पते पर लिखे

श्री आर. पी. डांगे/डा. बख्शीश सिंह
कोऑर्डिनेटर
जे एम यू
फोरेस्ट काम्पलेक्स,
पिजौर 134 102
दूरभाष 01733 : 67735

श्री उमा शंकर वशिष्ठ
टेरी
1014, सेक्टर-17
HUDA
जगाधरी ।
दूरभाष (01732) 30006

श्री ओ. एन. कौल
टाटा ऊर्जा अनुसधान सस्थान
दरवारी सेठ ब्लाक
इण्डिया हैबीटेट सेन्टर
लोधी रोड
नई दिल्ली 110 003
दूरभाष 460 1550, 462 2246

हरियाणा वन विभाग तथा टाटा ऊर्जा अनुसधान सस्थान (टेरी) द्वारा प्रकाशित

हरियाणा सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम

वन विभाग हरियाणा

टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली

जे एफ एम समाचार पत्रिका

वर्ष 1, अक 3 जनवरी 1995

1 सम्पादक की कलम से

किसी भी पहाडी सम्पदा सोसाइटी के सचालन हेतु, आए दिन बार-बार, सभी सदस्यो की आम सभा बुलाना सुविधाजनक या सभव नही होता, इसलिए दिन प्रतिदिन के कार्यों को चलाने के लिए हर सोसायटी की प्रबन्ध परिषद् (Governing Body) नियुक्त कर ली जाती है जिसे प्रबन्ध कमेटी के नाम से जाना जाता है । सोसायटी के कुल सदस्यो की गिनती को ध्यान मे रखते हुए, प्रबन्ध कमेटी के लिए ७ से १३ सदस्यों का चुनाव किया जाता है जिनमे से प्रधान, सैक्ट्रेरी और खजॉची के पदो पर नियुक्त करना होता है और बाकी 4 से 10 सदस्यों को प्रबन्ध कमेटी के साधारण सदस्य नियुक्त किया जाता है । इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रबन्ध कमेटी में कम से कम 2 महिला सदस्य जरुर ली जाऐ तथा सभी वर्ग, खासकर पिछड़े वर्ग, के लोगो को उपयुक्त सदस्यता मिल सके ।

प्रबन्ध कमेटी की अवधि केवल एक वर्ष होती है इसलिए हर वर्ष के अन्त मे सोसाइटी के सभी सदस्यों की एक सभा बुला कर प्रबन्ध कमेटी का नया चुनाव करना जरुरी है । यदि आम सभा का मत हो कि वर्तमान कमेटी के सदस्य अगले साल भी प्रबन्ध कमेटी का कार्य करते रहे तो इस बारे मे उपयुक्त रेज़ूलेशन पास करना पड़ता है । ऐसा देखने मे आया है कि कुछ सोसायटीयो मे प्रबन्ध कमेटी का चुनाव 2 से 3 साल बाद किया गया । यह स्थिति सन्तोषजनक नही है। सोसायटीयो के सदस्यों और वन विभाग के अधिकाररियो से विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सभी सोसायटीयों की प्रबन्ध कमेटियों का चुनाव हर वर्ष माह अप्रैल में अवश्य कर लिया जाए ।

हर सोसाइटी की वर्तमान प्रबन्ध कमेटी नई कमेटी के चुनाव के लिए उपरोक्तानुसार उचित कार्यवाही यथा शीघ्र समय से आरम्भ कर दे । नए चुनाव करवाने से पहले वर्तमान सोसाइटी को चाहिए कि वह सोसायटी के सभी रजिस्टर व रिकार्ड हर प्रकार से पूरे कर लें । पूरे साल का ठीक-ठीक खाता बनाकर बही खाता मे दर्ज कर ले और स्थानीय वन रक्षक या टेरी की टीम से उसका ऑडिट भी करवा ले ताकि किसी किस्म की गलती न रहने पाए । इसके अतिरिक्त सोसायटी के अन्य रजिस्टर जैसे सदस्यता रजिस्टर (Membership Register) डैम के पानी के प्रयोग व आमदनी का रजिस्टर, भाभड लीज़ का रजिस्टर, घास की दाती का रजिस्टर, रसीद बुक तथा बैंक की पास बुक आदि भी सब ठीक लिख कर तैयार कर ले ।

अपने इलाके के स्थानीय वन रक्षक तथा जे०एम०यू० कोऑर्डिनेटर व टेरी टीम के सदस्यों से सम्पर्क कर अपनी सोसायटी की प्रबन्ध कमेटी के चुनाव के लिए कोई सुविधाजनक तिथि, समय व स्थान निर्धारित कर ले । सोसायटी के सभी सदस्यो को उस तिथि, समय व स्थान की जानकारी लिखित रुप से तथा ढिंढोरे द्वारा कम से कम एक सप्ताह पूर्व हर हालत में दे देनी चाहिए, ताकि सभी सदस्य आम सभा में समय पर भाग ले सकें । आम सभा की तिथि व समय की सूचना स्थानीय वन रक्षक व वन रेंजर, कोऑडीनेटर जे०एम०यू०, तथा टेरी टीम को देना न भूले ताकि वे लोग भी उस सभा में उपस्थित होकर चुनाव की कार्यवाही को देख सके ।

प्रबन्ध कमेटी के चुनाव के लिए आम सभा सोसायटी के कुल सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्यों का उपस्थित होना जरुरी है । सभा मे सबसे पहले वर्तमान प्रबन्ध कमेटी का सैक्ट्रेरी पिछले साल की रिपोर्ट पेश करेगा जिसमे सोसायटी की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ, वनो व डैम आदि के प्रबन्ध के लिए की गई कार्यवाही, आय व व्यय का ब्यौरा शामिल होगा । आने वाले सालो में संयुक्त वन प्रबन्ध को बढ़ावा देने के लिए सुझाव आदि के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की जानी चाहिए ।

इसके उपरान्त विधिवद् नई प्रबन्ध कमेटी का चुनाव सम्पन्न किया जाए। गांव के जो लोग सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं उन्हें इस चुनाव में वोट देने का अधिकार नही होगा । जहां तक हो सके प्रबन्ध कमेटी का चुनाव सदस्यो की आम सहमति से निरविरोध सम्पन्न कराने की कोशिश की जाए । चुनाव के तुरन्त बाद उसी सभा में वर्तमान कमेटी सोसायइटी के सब रिकार्ड, रजिस्टर, व नकद रोकड आदि नई कमेटी को सौंप दे ताकि नई कमेटी तत्काल अपना कार्य आरम्भ कर सकें।

बख्शीश सिंह

2 सांझा वन प्रबन्ध से शिवालिक पहाड़ियों की परिस्थिति (Ecology) में सुधार

हरियाणा राज्य की उत्तरी सीमा के साथ हिमाचल पर्वत की तलहटी में शिवालिक पहाडियो की श्रृंखला पूर्व से पश्चिम की दिशा मे लगभग 100 किलोमीटर दूरी तक फैली है। कहा जाता है कि कभी इन पहाडियों पर घने वन पाए जाते थे परन्तु मनुष्य और पशुओ की बढ़ती जनसंख्या के साथ-साथ इन पहाडियों की वनस्पति बरबाद होती गई। इस बिगडती दशा मे सुधार लाने के उद्देश्य से पिछले 10-12 साल से शिवालिक के कुछ क्षेत्रो मे साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत भूमि सरक्षण के लिए डैम बनाए गए, जिनसे किसानो को सिचाई के लिए पानी मिलने लगा। वन विभाग की अगवाई मे स्थानीय लोगो ने पहाडी सम्पदा प्रबन्ध सोसाइटियाँ बना कर अपने आसपास के वनो की रक्षा के लिए पशुओ की खुली चराई स्वेच्छा से बन्द कर दी और इसके स्थान पर चारा घास काटकर लाना शुरु किया। इन वनो की एक महत्वपूर्ण उपज भाभड घास है जो रस्सी उपज व कागज आदि बनाने के काम आती है। प्रायः भाभड़ घास निकालने के लिए इन वनो का पट्टा पेपर मिल को दिया जाता था परन्तु साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम लागू होने के उपरान्त भाभड घास की लीज अन्य वन समुदायो की सोसाइटियो को दी जाने लगी जिससे स्थानीय लोगो को वनो से सीधा आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। इसके फलस्वरुप लोगो के सहयोग से वनों मे नाजायज़ कटान, आग लगने और भूमि पर कब्जा जमाने आदि की वारदातों मे बहुत कमी हुई तथा वनस्पती की हालत सुधरी।

साझा वन प्रबन्ध प्रणाली अपनाने से इन वनो की वनस्पति व परिस्थितियो पर जो असर हुआ उसका सही - सही जायजा लेने के लिए टाटा ऊर्जा अनुसधान संस्थान (टेरी) की टीम ने कुछ सोसाइटियों के वनो का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। इस अध्ययन के लिए ऐसे वनों का चयन किया गया जहा सोसाइटी बने हुए एक, तीन, छ और दस साल हो चुके थे। तुलना के लिए ऐसे वनों का भी अध्ययन किया गया जहां सोसाइटी नही है और वनो मे पशुओं की चराई खुले आम होती है। इस अध्ययन से जो तथ्य सामने आए उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैं:

1. पहाड़ी सम्पदा प्रबन्ध सोसाइटी बनने के उपरान्त सामाजिक सुरक्षा के फलस्वरुप वनो की वनस्पति का पूर्णजनन अपने आप होने लगा। एक साल की सुरक्षा से ही पेड़ो वाली प्रजातियो के पौधो की सख्या मे लगभग 40 प्रतिशत बढोतरी हो गई। तीन साल बाद इन पौधो की गिनती दुगनी छ साल बाद चार गुणी और दस साल की सुरक्षा के बाद पेडो की सख्या पाच गुणा से भी अधिक हो गई।
2. जहा सोसाइटी नही बनी थी उन वनो मे खुली चराई के कारण पे[illegible] प्रजातियो के दो मीटर से कम उँचाई वाले पौधे नही थे परन्तु सोसाइ[illegible] बनने के उपरान्त लोगो द्वारा वनो की सुरक्षा से तीन साल बाद ही पु[illegible] जनन द्वारा पनपे दो मीटर से कम ऊँचाई वाले नए पौधे कुल पे[illegible] की सख्या के 40 प्रतिशत हो गए। इसी प्रकार बिना सोसाइटी वा[illegible] वनो मे 10 मीटर से अधिक ऊचाई वाले पेड बिल्कुल नहीं थे। परन्तु सोसाइटी बनने के उपरान्त छ साल की सुरक्षा से ही 10 मीट[illegible] से अधिक ऊँचे पेडो की सख्या 5 प्रतिशत तक पहुँच गई।
3. साझा वन प्रबन्ध के अन्तर्गत लोगो द्वारा की गई सुरक्षा से खैर के पौधो की सख्या बिना वृक्षारोपण के ही तीन साल मे चार गुणा, [illegible] साल मे 20 गुणा तथा दस साल मे 26 गुणा हो गई।
4. साझा वन प्रबन्ध द्वारा मिली सुरक्षा से शुरु के कुछ सालो मे तो झाडि[illegible] की सख्या भी बढी परन्तु तीन साल बाद पेडो के बढने से झाडियो [illegible] मात्रा कम होती गई।
5. तीन साल तक की सुरक्षा के उपरान्त भी वनो मे भाभड घास के झु[illegible] की सख्या सात गुणा तक बढ गई और चारा घास के झुण्डो की स[illegible] लगभग दुगनी हो गई। छ साल बाद घास झुण्डो का घेरा बढकर ती[illegible] गुणा हो गया।

इस अध्ययन से सिद्ध होता है कि साझा वन प्रबन्ध कार्य[illegible] से शिवालिक पहाडियो के वनो की वनस्पति व परिस्थिति[illegible] सुधार लाया जा सकता है जिससे स्थानीय लोगो को भी ब[illegible] लाभ होगा

चारा पत्ती का भंडार : हमारे वन

पहाड़ी सम्पदा प्रबन्ध सोसायटी के आध[illegible]

अपनी सोसायटी को ठीक ढंग से चलाने के लिए सोसा[illegible] के सभी सदस्यो की अपनी व्यक्तिगत और सामु[illegible] जिम्मेदारिया व अधिकारो को समझ लेना बहुत जरुरी [illegible] इस अंक मे हम कुछ ऐसी बातो की ओर आपका [illegible] दिलाते है।

1. सोसायटी के सभी सदस्यो के अधिकार तथा जिम्मेवा[illegible] बराबर होगी।

2. अपने गाव से लगे वनो व पहाडियो की सम्पदा की [illegible] तरह से सुरक्षा करना सोसायटी के हर सदस्य का पर[illegible] है और इसके लिए हर सदस्य बराबर जिम्मेदार है।

यटी का कोई भी सदस्य वनो को अपने पशुओं की चराई के लिए
ी करेगा बल्कि आवश्यकता के अनुसार सोसायटी द्वारा निर्धारित क्षेत्र
घास काटकर अपने पशुओ के लिए ले जाएगा ।
व वनो से प्राप्त पानी, घास व अन्य उपज, सोसायटी अपने सभी
बराबर बॉटेगी, परन्तु इस प्राप्ति के लिए सदस्यो को सोसायटी द्वारा
क़ीमत देनी होगी। इस तरह प्राप्त राशि गाव समाज की साझा आय

यटी के सदस्य मिलकर अपने आसपास की पहाडिया, वन भूमि व
न पर वृक्षारोपण तथा घास, आदि लगाने के कार्य करेंगे ताकि उन
सोसायटी को लगातार अच्छी ऊपज मिलती रहे ।
के जोहड़े व डैम के पानी मे सोसायटी मछली पालन करेगी ताकि
रोजगार और सोसायटी को आय मे बढावा मिल सके ।
डे, वनो से प्राप्त पानी, चारा घास, भाभड, मछली, बास, जलौनी
ा बीजो आदि से सोसायटी को जो आय होगी उस पूजी को वापिस
स प्रकार लगाया जाएगा ताकि समाज की साझा सम्पति और आय
मिल सके । धीरे-धीरे वन उपज पर आधारित सोसायटी की देखरेख
म उद्योग लगाए जाऐ जिनसे वन समुदायो को रोज़गार व अधिक
सके ।

टियों के समाचार

सोसायटी ने श्रमदान से अपने डैम को चला लिया। इस वर्ष कीर्तपुर
ली बार पानी इकट्ठा हुआ । डैम की पाईप लाईन बंद थी । खजॉची
र सिह और सदस्य श्री दयाल सिंह की अगवाई में सोसायटी के सदस्यो
पुरानी दबी पडी पाईपो को दुबारा ठीक ढग से फिट किया जिसके

डैम का दृश्य

ग्रामवासियो को डम से सिचाई के लिए पानी मिल पाया । लोगो
ने मिलकर डैम पर उगी झाड़ियों को भी साफ किया । इस प्रकार अपनी सहायता स्वय करते हुए कीर्तपुर सोसायटी ने अपने डैम को चालू कर लिया ।

2. सुखोमाजरी सोसायटी ने नई प्रबन्ध कमेटी चुनी । पिछली प्रबन्ध कमेटी द्वारा सराहनीय कार्य किए जाने के कारण सुखोमाजरी सोसायटी को पहली बार महत्त्वपूर्ण आर्थिक बचत हुई । प्रधान श्री महेन्द्र सिह, सैक्रेट्री श्री हरमेश तथा खजॉची श्री प्रकाश के नेतृत्त्व में सोसायटी ने अपने वनों का प्रबन्ध सूझ-बूझ से किया । भाभड़ की भीगरी न काटने के कारण सोसायटी को भाभड से दुगनी बचत हुई । 25 दिसम्बर को सोसायटी की आम सभा मे लेखा जोखा प्रस्तुत करने के उपरान्त नई प्रबन्ध कमेटी का चुनाव सर्वसम्मति से सम्पन्न हुआ जिसमे नए प्रधान श्री भगी राम, सैक्रेट्री श्री दया सिह तथा खजॉची श्री रतन लाल नियुक्त किए गए ।

3 प्रशिक्षण शिविर

इस अवधि मे साझा वन प्रबन्ध प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए दो प्रशिक्षण शिविर लगाए गए जिनका विवरण निम्नप्रकार है

	तिथि	प्रशिक्षणार्थी	कहां से	प्रशिक्षितों की कुल संख्या
1	25-26 अक्तूबर	सोसायटियो के पद धारिक	नाडा, हरिजन नाडा, मोगीनन्द चौकी तथा गुमथला की सोसायटिया	35
2	15-16 नवम्बर	वन रेजर	मोरनी-पिंजौर, यमुनानगर, अम्बाला तथा कुरूक्षेत्र वन मण्डल	13

4 सांझा वन प्रबन्ध कार्यदल की बैठक

7.11.94 को हरियाणा के सांझा वन प्रबन्धक कार्यदल की बैठक पिन्जौर मे हुई जिसमे वन विभाग के अधिकारियो व "टेरी" के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के प्रमुख वन संरक्षक श्री गुरनाम सिंह ने की। बैठक मे साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं, प्रगति व समस्याओ पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक के कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय निम्न दिये हुए है

क) यमुनानगर वन मण्डल के अंतर्गत साझे वन प्रबन्ध कार्यक्रम की एक इकाई की स्थापना की गई है ताकि इस क्षेत्र मे कार्यक्रम को बढावा मिल सके ।

ख) साझा वन प्रबन्ध नीति के अर्तगत बनाए गए नियमो की स्वीकृति करवाने के लिए वन विभाग तथा सोसायटियो के सदस्यो का एक प्रतिनिधि दल फोरेस्ट कमिश्नर तथा वन मत्री महोदय को जल्द मिले।

ग) वर्ष 1994 मे कुछ सोसायटियो ने वृक्षारोपण कार्यक्रम मे भाग लिया। आने वाले सालो में सोसायटियों को इस काम के लिए प्रोत्साहित किया जाए और वन विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर भुगतान सीधा सोसायटियो को चैक द्वारा किया जाए ।

घ) पानी के डैमो की मरम्मत व पाईप लाईन आदि लगाने के लिए ऐसे डैमो को पहल दी जाए जहा की सोसयटी व लोग सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम मे उचित रुचि ले रहे हो और डैम की मरम्मत मे स्वयं उपयुक्त भागेदारी के लिए आए हो। (जैसा कि पाईप लाईन के लिए जमीन खोदना, करना और धन का योगदान करना, आदि)

ड) भाभड व चारा घास की लीज़ के लिए सोसायटियो को पहल दी पेपर मिल को लीज या ठेकेदारो को नीलामी द्वारा भाभड के जगल दिए जाए जब सम्बन्धित सोसायटी अपने वनो की भाभड व घा लीज न लेना चाहे ।

पाठको से अपील

पाठको से अनुरोध है, कि वे अपनी सोसायटी की महत्वपूर्ण घटनाओ तथा साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम सम्बन्धी अपने सुझाव हमें निम्नलिखित पते पर लिखे

श्री आर. पी. डांगे/डा. बख्शीश सिंह
कोऑर्डिनेटर
जे एम यू
फोरेस्ट काम्पलैक्स,
पिंजोर 134 102
दूरभाष 01733 · 67735

श्री उमा शंकर वशिष्ठ
टेरी
1014, सेक्टर-17
HUDA
जगाधरी ।
दूरभाष (01732) 30006

श्री ओ. एन. कौल
टाटा ऊर्जा अनुसधान सस्थान
दरबारी सेठ ब्लाक
इण्डिया हेबीटेट सेन्टर
लोधी रोड
नई दिल्ली 110 003
दरभाष 460 1550 462 2246

हरियाणा वन विभाग तथा टाटा ऊर्जा अनुसधान सस्थान (टेरी) द्वारा प्रकाशित

हरियाणा
सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम

वन
विभाग
हरियाणा

टाटा
ऊर्जा अनुसंधान संस्थान
नई दिल्ली

जे एफ एम समाचार पत्रिका

वर्ष 1 अक 4 अप्रेल 1995

सन्देश

वन हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। पेडो से न केवल लकडी ईंधन, चारा व फल आदि मिलते है, बल्कि पर्यावरण सतुलित बनाए रखने मे भी पेडो का महत्त्वपूर्ण स्थान है । मानवीय जीवन के प्राणाधार जल वायु और भूमि के सरक्षण मे जंगलों की एक अहम् भूमिका है। जंगलों की बिगडती हालत को सुधारने के उद्देश्य से जून १६६० मे हरियाणा सरकार ने साझा वन प्रबन्ध प्रणाली की नीति अपनाने की घोषणा की जिसके अर्तगत् वन विभाग तथा स्थानीय लोग मिलकर इन वनो का प्रबन्ध करेगे तथा पहाडी सम्पदा प्रबन्ध सोसायटियां बनाकर वनो की सुरक्षा व विकास करेगे ।

साझेदारी वन प्रबन्ध व्यवस्था को सफल बनाने के लिए वन विभाग के कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है । पहले उन्हे जगलो को बचाने के लिए एक पुलिस फोर्स जैसी भूमिका निभानी पडती थी, परन्तु अब उन्हे लोगो का विश्वास प्राप्त करके ग्रामवासियो के सहयोग से जगलो की एक ऐसी प्रबन्ध व्यवस्था स्थापित करनी है जिसमे वनों के सरक्षण के साथ-साथ, क्षेत्र को स्थानीय लोगो की जरूरते पूरी करने योग्य बनाया जा सके । इसी प्रकार वनो के पास रहने वाले ग्रामवासियो को भी वनो के प्रति अपनी जिम्मेवारियाँ समझने की जरूरत है । यदि वन ही ना रहे तो आने वाली पीढियो को जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु व पानी तक भी नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम सबका परम कर्त्तव्य है कि अपने तथा देश के हित को ध्यान मे रखते हुए वनो के विकास व सुरक्षा मे अपना पूरा-पूरा योगदान दे और साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम को सफल बनाऐ ।

जे एफ एम समाचार पत्रिका की पहली वर्षगाठ के अवसर पर मै सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम से जुडे वन विभाग के कर्मचारियो व अधिकारियो, ग्रामीण भाईयो व बहनो तथा टाटा ऊर्जा अनुसधान सस्थान (टेरी) की टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ । मेरा दृढ विश्वास है कि सांझा वन प्रणाली तथा कार्यक्रम के संदेश को हर गाव तथा विभाग के हर कर्मचारी व अधिकारी तक पहुँचाते हुए यह पत्रिका हम सबका मार्गदर्शन करती रहेगी ।

हस्ताक्षर/-

(पी. एस. मलिक)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा
चण्डीगढ

सम्पादकीय

आपने पहाडी सम्पदा प्रबन्ध सोसायटी इसलिए बनाई थी कि ग्रामवासियो को अपने पास के वनो से घास, ईंधन व पानी आदि लगातार मिलते रहे तथा साथ ही साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम से वनों की दशा भी सुधरती रहे। वनो की हालत को सुधारने और उपज बढाने के लिए वन विभाग वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला रहा है । हरियाणा राज्य के साझा वन प्रबन्ध कार्यदल की एक बैठक मे यह निर्णय लिया गया था कि वृक्षारोपण के कार्यक्रम में सोसायटिया बढ़चढ कर भाग लेगी तथा विभाग के निर्धारित माणको के अनुसार वृक्षारोपण कार्य करने का भुगतान ग्रामवासियो को सीधा उनकी सोसायटी के द्वारा किया जाए । इस तरह न केवल ग्रामवासियो को रोजगार मिलेगा, बल्कि सोसायटी अपने जगल की स्थिति भी सुधार सकेगी ।

टैरी की टीम समय-समय पर आपके पास जाकर इस कार्यक्रम के बारे मे आपको सूचित करती रही है । पिछले साल तीन सोसायटियो ने इस कार्यक्रम मे भाग लिया था । इस वर्ष सभी सोसायटियाँ वृक्षारोपण का कुछ ना कुछ लक्ष्य जरूर रखे । जैसा कि आप जानते है, पौधे लगाने का काम बरसात के दिनो मे किया जाता है, परन्तु इसके लिए तैयारी पहले करनी होगी । सबसे पहले आप अपनी सोसायटी

की एक आम सभा बुलाकर यह फैसला करे कि आप इस वर्ष कितने क्षेत्र में वृक्षारोपण करना चाहेगे । तदानुसार एक रेजुलशन पास कर कोऑर्डिनेटर जे. एम यू पिन्जौर/यमुनानगर के कार्यालय में जल्द से जल्द, माह मई के पहले सप्ताह तक हर हालत मे भेज दे ।

रेजुलेशन मे साफ-साफ लिखे कि आप कितने हैक्टेयर पर वृक्षारोपण करना चाहेगे और कहा, अर्थात् सुरक्षित वन मे या शामलात भूमि पर आपके रेजुलेशन प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही वन विभाग आपकी सोसायटी के लिए वृक्षारोपण लक्ष्य व बजट तय कर पाएगा, इसलिए अपना रेजुलेशन भेजने मे देर ना करे।

वृक्षारोपण के क्षेत्र का चयन करते समय स्थानीय वन रक्षक व रेज ऑफिसर से जरूर सलाह ले ले । जहा तक हो सके ऐसे क्षेत्र का चयन करे जहा मिट्टी अच्छी हो, नमी बनी रहे और पौधो की देखरेख आसानी से हो सके । यदि आपके जगल मे पानी का कोई स्रोत या डैम उपलब्ध है तो पौधारोपण ऐसे स्रोत के पास करना अच्छा रहेगा, ताकि जरूरत के अनुसार पौधो को पानी भी दिया जा सके । पहाडियो की उत्तरी ढलानो तथा वादियो मे नमी ज्यादा रहती है ओर वहाँ पर पौधारोपण की सफलता की सम्भावना अधिक होती है। दक्षिणी तथा पश्चिमी ढलानो पर धूप अधिक रहने के कारण नमी कम होती है । ऐसे क्षेत्र मे भाभड घास का रोपण किया जा सकता है जिससे आपकी सोसायटी को आने वाले वर्षो मे बहुत लाभ होगा ।

आप सब लोग मिलकर यह भी तय कर ले कि अपने जगल मे आप किन किन प्रजातियो का रोपण करना चाहेगे । इस बात का ध्यान रहे कि इस रोपण के लिए पौधे वन विभाग से बिना किसी कीमत के उपलब्ध होगे । स्थानीय वन कर्मचारियो से सम्पर्क कर आप पता कर ले कि विभाग की पौधशाला मे किन-किन प्रजातियो की अच्छी पौध उपलब्ध है, उसी के अनुसार आप कुछ प्रजातियों का चयन कर ले और उपयुक्त मात्रा मे पौधो की बुकिंग अभी से कर ले ।

जब आपकी सोसायटी का पौधारोपण लक्ष्य का बजट स्वीकृत हो जाए तो पौधे लगाने के लिए आपको निर्धारित दूरी 45 से 60 से. मी आकार के गढ्ढे या टरेचे खोदनी होगी । गढ्ढे खोदने का कार्य जून माह के शुरू मे हर हालत मे पूरा करना होगा ताकि वर्षा ऋतु आरम्भ होने पर पौधारोपण सही वक्त से हो सके । इस सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी के लिए स्थानीय वन कर्मचारियो, जे एस यू के कार्यालय अथवा टैरी टीम के सदस्यो से तुरन्त सम्पर्क करे ।

बख्शीश सिंह

बांस की टोकरियां बनाने के लघु उद्योग से जुड़े वन समुदायों की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन

हरियाणा प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती शिवालिक पहाडियो तथा साथ लगे हिमाचल प्रदेश के पहाडी आचल के वन क्षेत्र मे भजडा नाम से जाने जाने लोग रहते है जिनका मूल व्यवसाय बास की टोकरिया बनाना है । स्वतत्रता से पहले जब यह क्षेत्र पटियाला राज्य मे था तो इन लोगो को वर्ष मे छ मास के लिए 100 बास प्रति माह प्रति परिवार 3.12 रूपये की दर से वनो लाने की छूट थी । हरियाणा सरकार के एक आदेश से मई 1973 मे प्राप्त करने की दर बढ़ा कर 5 रूपये प्रति 100 बांस कर दी गई और 1979 से 30 रूपये प्रति 100 बास। साथ ही बासो की मात्रा 100 से घटा कर 50 बास प्रति परिवार प्रति माह कर दी गई ।

इस क्षेत्र में साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम लागू होने पर कालका तथा बाडगो मे बसे भंजड़ा लोगो ने अपनी-अपनी पहाडी समुदाय प्रबन्ध सोसायटिया बन प्रोत्साहन के लिए हरियाणा वन विभाग ने वर्ष 1991 से इन्हे बास देने दर 30 रू से घट कर 7 रू प्रति सैंकडा कर दी । बास काटने का पर्ा छ मास से बढ़ाकर नौ मास के लिए कर दिया तथा बासो की मात्रा भी से बढ़ाकर 100 बांस प्रति परिवार प्रति माह कर दी । सोसायटियो ने जिम्मेवारी ली है कि वनो की सुरक्षा व उपजाऊ के लिए बास काटते स बास के बीडो की पर्याप्त सफाई स्वय करेगे और वनो को खुली चराई व आदि से हर प्रकार से बचाऐगे । जगल से बास काटकर लाने और उन छिलने आदि का कार्य पुरूष करते है जब कि महिलाए गॉव मे उससे टोकरि बनाती है ।

भजडा के टोकरी बनाने के व्यवसाय का आर्थिक विश्लेषण करने के लि टाटा ऊर्जा अनुसधन सस्थान (टैरी) की टीम ने बाडगोदाम, कालका तथा भवा के क्षेत्रो मे एक अध्ययन किया । अध्ययन से पता चला कि ये लोग टोकरि बनाने के लिए हरा बास प्रयोग करते है और चार साईज की टोकरिया बन है (सबसे बडी 90 इच घेरा, बडी 75 इच घेरा, दरमियानी 60 इच घे और छोटी 45 इच घेरा)। सबसे बडी टोकरी बनाने के लिए एक पूरा बा बडी टोकरी के लिए 2/3 बास, दरिम्यानी टोकरी बनाने के लिए 1/2 ब और छोटी टोकरी के लिए 1/3 बांस चाहिए । एक पुरूष और एक महि मिलकर एक दिन मे सबसे बडे आकार की 5 टोकरियां बडी 8 टोकरिया दरमिया 14 टोकरिया या छोटी 20 टोरिया बना पाते है । यदि बास की की कीम 7 रू प्रति सैकडा और मजदूरी की दर 30.75 रू प्रति दिन लगाई ज तो टोकरिया बनाने की लागत निम्न प्रकार होगी

टोकरी का साईज	बास की लागत	मजदूरी (रूपये)	भजडो की कुल लागत (रूपये)	व्यापारी द्वारा दी जाने वाली कीमत (रूपये)
बडी	0-07	12-30	12-37	8-00
	0-04	7-80	7-84	6-00
दरमियानी	0-04	4-30	4-34	4-00
	0-02	3-08	3-10	3-00

इसके विपरित यदि वे अपनी टोकरिया बिचले व्यापारी को न देकर सीधे अपं आप सोसायटी के माध्यम से बाजार मे बेचे तो इन लोगो की मासिक आ मे 99.6 से 140 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है ।

टैरी की टीम अब यह प्रयत्न कर रही है कि भजडो की मारकेटिंग प्रणाल को सुधारा जाए तथा साधारण टोकरिया बनाने की बजाए इन्हे बास की बहुमूल

टी वस्तुऐं व फ़र्नीचर आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि इनके क स्तर मे बेहतरी हो सके और साथ ही वन सम्पदा का संरक्षण भी के।

अधिकतर भजडें टोकरियों के व्यापारियों के ऋणी हैं। इस कारण वे अपनी यां सीधे बाजार में नहीं बेच पाते, बल्कि व्यापारियों को ही बेचनी पडती भजडो को ऋण तथा वसूली, रूपयों की बजाए टोकरियों के रूप में चुकानी है। व्यापारी अपनी मनमानी कीमत लगाते हैं सबसे बड़ी टोकरी पर की लागत 12.37 रूपये आती है, परन्तु व्यापारी ऐसी टोकरी केवल प्रति टोकरी की दर से खरीदते है। ऋण के जाल मे फंसे भजडो पनी टोकरिया मजबूरन लागत कीमत से भी कम कीमत पर बेचनी पड़ती इसी कारण वन विभाग द्वारा बांस की कीमत पर दी गई भारी छूट के यह लोग अधिक लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। भजड़ो को इस शोषण ने के लिए अपनी सोसायटी मे ही मिलकर उचित बिक्री प्रबन्ध करने ताकि वे व्यापारियो के चुगुल से निकल सके।

अभी इन लागो की मासिक आय 396 रू से 452 रू प्रति मास प्रति है। इस अध्ययन से पता चला कि यदि टोकरियो की बिक्री कीमत पये प्रति टोकरी भी बढा दी जाए तो भजडो की मासिक आमदनी मे से 24 75 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है।

ी सम्पदा प्रबन्ध सोसायटी के आधार

इस समाचार पत्रिका के अक 2 मे आपको बताया गया था कि सोसायटी प्रबन्ध कमेटी के सदस्यो की मूल जिम्मेवारिया क्या हैं। अब इस अंक य कमेटी के सामूहिक कार्यविधियों व जिम्मेवारियो के कुछ पहलुओ पर की जाएगी।

बन्ध कमेटी की किसी मिटिंग को तभी ठोक व मान्य समझा जाएगा ब तक उस बैठक मे कमेटी के कम से कम पॉच सदस्य हाजिर हो। ाय यह देखा गया है कि प्रधान व सैक्रेट्री या खजाची ही मिलकर सायटी के अहम् मुद्दो पर फैसला कर लेते है। यह वैधानिक व सामाजिक ष्टिकोण से ठीक नहीं है। सोसायटी के दिन प्रतिदिन के छोटे मोटे से सम्बन्धित कार्यवाही करने के लिए प्रबन्ध कमेटी की बैठक मे विचार परान्त ही बहुसम्मति से कोई फैसला किया जाना चाहिए। ऐसी बैठको महिला सदस्यो को अवश्य बुलाया जाए और उनके विचारों व सुझावो दि पर पूरा ध्यान दिया जाए।

ज़रूरत पडने पर प्रबन्ध कमेटी की बैठक कभी भी एक दिन के नोटिस र बुलाई जा सकती है, जिसके लिए सभी सदस्यो को आमत्रित करना वश्यक है। साधारण परिस्थितियों मे भी प्रबन्ध कमेटी के सदस्यो कम से कम दो महीनो मे एक बार जरूर मिलकर बैठना चाहिए जिसमे सोसायटी की कार्यविधियॉ, प्रोग्राम, समस्याऐ, उपलब्धियॉ, आमदनी खर्च तथा प्रस्तावित कार्यवाहियो पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श कर युक्त निर्णय लेने चाहिए। इस प्रकार की सभी बैठको की कार्यवाही संक्षिप्त विवरण सोसायटी के कार्यवाही रजिस्टर मे साथ-साथ दर्ज करते ना चाहिए तथा बैठक मे उपस्थित सभी सदस्यो के हस्ताक्षर भी हर रजिस्टर मे करवाने चाहिए ताकि पता रहे कि किस हक मे किन-किन स्यो ने भाग लिया था और क्या निर्णय लिए थे।

3. यदि प्रबन्ध कमेटी को धनराशि के लेन देन या खर्च व आमदनी से सम्बन्धित कोई फैसला करना हो तो इस फैसले को अधिक से अधिक 500 रू तक की कुलराशि तक ही सीमित रखे। इससे अधिक धनराशि वाले फैसलों के लिए सोसायटी की आम सभा बुलाकर गाव के सभी लोगो की बहुसहमति से ही फैसला किया जाए, जैसे कि भाभड या घास की लीज लेना, भाभड का बेचना या बाटना, दाती व डैम के पानी के दर निर्धारित करना, सोसायटी की आमदनी मे से कोई खर्च करना या नया काम शुरू करना, आदि।

4. प्रबन्ध कमेटी को चहिए कि एक वर्ष मे कम से कम तीन बार सोसायटी की आम सभा का आयेाजन जरूर करें। प्रबन्ध कमेटी के चयन के तुरन्त बाद एक माह के अदर ही पहली आम सभा बुला लेनी चाहिए जिसमे पिछले वर्षो के अनुभव को ध्यान मे रखते हुए सभी लोगो से विचार विमर्श कर आने वाले एक वर्ष के लिए सोसायटी का प्रोग्राम व मार्गदर्शन तय कर लेना चाहिए जैसे कि डैम के पानी व चारा घास की दाती के दर क्या रहेंगे, वृक्षारोपण कितने रकबे पर ओर किन-किन प्रजातियों से किया जाएगा, भाभड की मोगरी काटने की रोकथाम के प्रबन्ध, वनो मे नाजायज नुकसान, चराई व आग आदि को रोकने के प्रबन्ध, भाभड घास की लीज लेने के लिए रकम का प्रबन्ध, वनो मे नाजायज नुकसान, चराई व आग आदि के लिए ग्रामवासियो का योगदान, डैम के पानी मे मछली पालन करना, आदि। सोसायटी की दूसरी आमसभा लगभग छः माह बाद रखी जा सकती है जिसमे सोसायटी की कार्य-विधियो का विवरण व जायज़ा ग्रामवासियो के सम्मुख रखा जाए। इसी प्रकार सोसायटी की तीसरी आम सभा वर्ष अत से लगभग दो माह पूर्व रखी जाए जिसमे सोसायटी की आमदनी व खर्च का हिसाब, उपल-ब्धियॉ, समस्याऐ और उनके निस्तारण के लिए की गई कार्यवाहियेा पर खुले आम चर्चा की जाए। ऐसी आम सभाओ के लिए प्रबन्ध कमेटी के सदस्य मिलकर अपनी रिपोर्ट तैयार करे जिसे सचिव महोदय सभा मे प्रस्तुत करे। सभा के अत मे सभा की कार्यवाही का विवरण रजिस्टर मे दर्ज करे और उपस्थित सदस्यो के हस्ताक्षर रजिस्टर मे दर्ज करवाये। इन आम सभाओ मे वन विभाग के स्थानीय कर्मचारियो व टैरी टीम को आमत्रित करना ना भूले ताकि वे भी इन सभाओ मे उपस्थित होकर आपको यथा उचित सहयोग प्रदान कर सके।

5. प्रबन्ध कमेटी की बैठक तथा सोसायटी की आम सभा की अध्यक्षता सोसायटी के प्रधान करेंगे। यदि किसी कारणवश निर्धारित तिथि व समय पर प्रधान महोदय उपस्थित न हो तो उनकी गैर हाजिरी मे सभी लोग मिलकर आम सहमति से ऐसी सभा की अध्यक्षता करने के लिए किसी अन्य सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं।

6 सोसायटी की आम सभा बुलाने के लिए कम से कम एक सप्ताह पूर्व सभी सदस्यो को लिखित रूप मे तथा ढिढोरे द्वारा सूचना दे दी जाए। विशेष परिस्थितियो मे एक दिन के नोटिस पर भी आम सभा बुलाई जा सकती है। आम सभा का कोरम तभी पूरा समझा जाएगा जबकि उसमे कम से कम दो तिहाई सदस्य जरूर उपस्थित हो वरना सभा स्थगित करनी पडेगी और कोई दूसरी तिथि व समय निर्धारित करना होगा।

सोसायटियों के समाचार

1 भंजड़ा समुदाय को बांस के परमिट देने की प्रक्रिया में सरलीकरण

कालका तथा बाडगोदाम की सोसायटियो के सदस्यों को हर माह निर्धारित शुल्क जमा कर विभाग से इसका परमिट प्राप्त करना पडता है उसके बाद ही वे जगल से बांस काटकर ला सकते है बांस काटते वक्त उन्हें बांस के बीड़ो की सफाई भी करनी होती है । प्रायः यह देखा गया है कि भजड़ो को परमिट प्राप्त करने के लिए स्थानीय वन रक्षक तथा रेज कार्यालय के चक्कर काटने पडते हैं, जिससे उनका बहुत सा समय बरबाद होता है । इसी प्रकार भजडे जंगल से अपनी जरूरत के लिए बांस तो काट कर ले आते है परन्तु बास के बीडो की सफाई मे विशेष रूचि नही लेते । इस स्थिति मे सुधार लाने के लिए टैरी की टीम व वन विभाग के अधिकारियो ने मिलकर कालका तथा बाडगोदाम की सोसायटियो से विचार विमर्श करने के पश्चात एक नई परमिट प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया । इस नई प्रणाली के अनुसार हर माह के पहले बुधवार और रविवार के दिन सभी परमिट धारक जगल मे जाकर वन रक्षक की उपस्थिति मे एक-एक बास के बीडे की सफाई करेगे और निर्धारित सात रूपये जमा करवाकर मौके पर ही वन रक्षक से उस माह के लिए बास काटने का परमिट प्राप्त करेगे । इस प्रकार लोगों को अपने गाव मे ही हर माह परमिट मिल जाएगा और बास के जगल की सफाई व रख रखाव भी भलीभांति होता रहेगा ।

बाड़गोदाम का बॉस

2 प्रशिक्षण

इस अवधि में सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम सम्बन्धी प्रशिक्षण शि गए जिनका विवरण निम्नप्रकार है ।

तिथि	प्रशिक्षणार्थियों का सवर्ग	कहा से	सख्या
6-11 जनवरी 1995	ब्लाक ऑफिसर, डिप्टी रेजर, वन रक्षक	पिन्जोर तथा यमुनानगर वन मण्डल	13
6-11 फरवरी 1995	" "	" "	15

पाठको से अपील

पाठको से अनुरोध है, कि वे अपनी सोसायटी की महत्वपूर्ण घटनाओ तथा साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम सम्बन्धी अपने सुझाव हमे निम्नलिखित पते पर लिखे

श्री आर. पी. डांगे/डा. बख्शीश सिंह
कोऑर्डिनेटर
जे एम यू
फोरेस्ट काम्पलैक्स,
पिंजोर 134 102
दूरभाष 01733 67735

श्री उमा शंकर वशिष्ठ
टेरी
1014, सेक्टर-17
HUDA
जगाधरी ।
दूरभाष (01732) 30006

श्री ओ. एन. कौल
टाटा ऊर्जा अनुसधान सस्थान
दरबारी सेठ ब्लाक
इण्डिया हैबीटेट सेन्टर
लोधी रोड
नई दिल्ली 110 003
दूरभाष 460 1550, 462 2246

हरियाणा वन विभाग तथा टाटा ऊर्जा अनुसधान सस्थान (टेरी) द्वारा प्रकाशित

हरियाणा
सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम

न
वेभाग
रियाणा

टाटा
ऊर्जा अनुसंधान संस्थान
नई दिल्ली

जे एफ एम समाचार पत्रिका

2, अंक 1 जुलाई 1995

सम्पादकीय

जे एफ एम समाचार पत्रिका के प्रकाशन का एक वर्ष पूर्ण हुआ। सरे वर्ष का पहला अक आपको भेजते समय हमारा ध्यान अपने ाप सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम की अब तक की उपलब्धियो तथा ई दिशाओ की ओर जाता है।

जैसा की आपको मालूम ही है हरियाणा सरकार ने जून 1990 साझा वन प्रबन्ध नीति को अपनाया था। इस नीति के अन्तर्गत ावालिक पहाड़ियो के अवनत वनों की बिगडती हालत को सुधारने लिए वन विभाग तथा स्थानीय समुदाय मिलकर इन वनो का प्रबन्ध र रहे हैं। वर्ष 1993 तक यह प्रोग्राम मोरनी–पिजौंर के वनों तक सीमित था परन्तु वर्ष 1994 के मध्य मे अम्बाला एवं यमुना नगर न मण्डल मे भी इस प्रोग्राम को लागू किया गया है। टेरी टीम के हयोग से पिजौंर की भाति यमुना नगर मे भी एक सांझा वन प्रबन्ध न्द्र स्थापित किया गया है। पिजौंर तथा यमुना नगर में स्थित दोनो न्द्र हरियाणा वन विभाग तथा वन समुदायो के बीच एक बेहतर ार्यप्रणाली विकसित करने, सोसाइटियो की स्थापना करने तथा गलो के पोषणीय प्रबन्ध हेतु अधिकारों एव जिम्मेवारियों का स्पष्ट प से निर्धारण करने का कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के सचालन टेरी का संसाधन दल सक्रिय सहायता प्रदान कर रहा है जिसके ए फोंड फाउण्डेशन वित्तिय सहायता दे रहा है।

कार्यक्रम का मूल उद्देश्य स्थानीय समुदायो को, इन वनो के षणीय आधार पर सुरक्षा एवं प्रबन्ध के लिए, प्रेरित करना है जिससे केवल वनो से लोगो की रोजमर्रा की आवश्यकताए ही पूर्ण होती बल्कि वन सम्पदा के सरक्षण व पूर्ण उत्पादन से पर्यावरण के ुलन को बढावा मिले।

इस साझा वन प्रबध कार्यक्रम के संचालन के लिए पहाडी पदा प्रबध सस्थाये (सोसाइटियाँ) बनाई जा रही हैं।

पिछले वर्ष तक शिवालिक खड मे 42 सोसाइटियॉं स्थापित की जा चुकी थी। इनमे से कुछ सोसाटियाँ अपने वन क्षेत्र में स्वयं वृक्षारोपण कर रही हैं, अपनी सोसाइटी के डैमों की देखभाल व मरम्मत कार्य कर रही हैं, भाभड़ घास पट्टा भी ले रही हैं और लाभ कमा रही हैं।

साझा वन प्रबन्ध प्रणाली सुखोमाजरी व नाडा से शुरू होकर आज लगभग पूरे शिवालिक खण्ड मे फैल रही है। सुखोमाजरी से वन प्रबन्ध की नई यात्रा मे पिछले 10-15 सालो मे कई उतार चढ़ाव आये जिनसे हम सब को बहुत कुछ सीखने को मिला और साझा वन प्रबंध कार्यक्रम का एक प्रगतिशील स्वरूप निखर कर सामने आ रहा है। आज लोगों की भागेदारी सभी विकास कार्यों का मूल स्तम्भ मानी जाने लगी है। वन विभाग के अधिकारियो व कर्मचारियों तथा टेरी टीम के सदस्यो को इस बात का हर्ष है कि वे भी विकास की इस यात्रा मे आपके साथ कंधे से कधा मिला कर चल रहे हैं।

सम्पादक ☐

1. संयुक्त वन प्रबन्ध की नीति

पिछले अको मे हमने संयुक्त वन प्रबन्ध के लिये बनाई जा रही पहाडी सम्पदा प्रबन्ध सोसाइटियों के आधार व संविधान आदि के बारे मे चर्चा की थी। अर्थात सोसाइटी क्यो बनाई जाती है? उसके सदस्य कौन हो सकते हैं? सोसाइटी की प्रबन्ध कमेटी क्या है? तथा आप सदस्यो व प्रबध कमेटी के अधिकार व जिम्मेवारियां क्या हैं? आदि। इस अक में हम एक नये विषय – "सयुक्त वन प्रबन्धन की नीति", को प्रकाशित करना आरम्भ कर रहे हैं ताकि आपको इस बात का ज्ञान हो सके कि साझा वन प्रबन्ध सम्बन्धित सरकार की नीति व उद्देश्य क्या हैं?

शिवालिक पहाड़ियो मे बसे ग्रामवासियो, वन विभाग के अधिकारियो व कर्मचारियो तथा कुछ बुद्धिजीवो के आपसी परामर्श व विचार विमर्श के उपरान्त संयुक्त वन प्रबन्ध नीति का एक परारूप

बनाया गया था जिसे हरियाणा सरकार ने वन विभाग की एक विज्ञप्ति दिनांक 13 जून 1990 द्वारा प्रकाशित करके अपनी मंजूरी दी। वह नीति ही हरियाणा प्रदेश मे आज साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम का आधार है। जून 1990 की इस विज्ञप्ति की धारा को हम इस अक में पेश कर रहे हैं.–

धारा I

गत वर्षों मे, विशेषकर ग्रामीण आचल से जुड़े हुए वनों मे, पारम्परिक वन प्रबधन प्रणाली की बढ़ती असफलता सभी का ध्यान खींच रही है। जबकि एक ओर वन क्षेत्र निरतर क्षीण होते जा रहे हैं, दूसरी ओर वन विभाग व ग्रामीणो के बीच अविश्वास की खाई गहरी हो गई है। वर्तमान मे वन विभाग की प्रमुख भूमिका बचे हुये जगलो की निगरानी करना है इसके परिणामस्वरूप ग्रामीणो मे जो कि अपने जीवनयापन के लिए इन साधनो का उपयोग करना चाहते हैं, व वन विभाग, जो कि उन साधनो को बनाने मे कर्त्तव्यबद्ध है, निरतर झडप होती रहती है।

हरियाणा वन विभाग ने केन्द्रीय भूमि व जल सरक्षण प्रशिक्षण व अनुसधान सस्थान, चण्डीगढ के साथ 1975 से 1983 में सुखोमाजरी तथा नाडा मे प्रचलित प्रबन्ध प्रणाली का विकल्प दूढने मे मुख्य भूमिका निभाई। सुखोमाजरी तथा नाडा से निम्नलिखित आवश्यक शिक्षा मिली

- भूमि के कटाव व जंगलो के विनाश का एक मुख्य कारण निर्धन ग्रामीणों द्वारा पहाड़ी साधनों का दुरूपयोग करना है, जो कि उनकी आर्थिक मजबूरियो के कारण है।

- इस कारण, लोगो को विश्वास में लिए बिना केवल तकनीकी भूमि संरक्षण और वन रोपण सफल नहीं हो सकते, क्योकि समस्या ग्रामो मे है न कि पहाड़ो मे।

- यदि लोगो व पहाडो के विनाशकारी संबधों को रचनात्मक स्वरूप प्रदान किया जाए तो थोडे ही समय मे लोगो व पहाड़ो, दोनों ही की समृद्धि मे उल्लेखनीय परिवर्तन लाया जा सकता है।

- यदि प्राकृतिक साधनो का विकास गांव के सब सदस्यों के हित मे हो तो वन विभाग व ग्रामीण समुदाय मिलकर प्राकृतिक साधनो के विकास के प्रबंध को जीवनधारी बनाने मे सफल हो सकते हैं।

- ग्रामीण समुदाय द्वारा सामाजिक रक्षा, वन विभाग की कडी से कडी निगरानी से अधिक प्रभावपूर्ण हो सकती है।

1980 के प्रारम्भ से हरियाणा वन विभाग के सयुक्त वन प्रबधन की विधि को शिवालिक क्षेत्र के कई गावो में पहुँचाने का सराहनीय कार्य किया है। वन क्षेत्रो की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए हरियाणा वन विभाग द्वारा कई गावो मे पजीकृत पहाडी साधन प्रबधन सोसाइटियो का गठन कराया गया है। इसके बदले मे हरियाणा वन विभाग ने गाव के साथ जुडे जगली क्षेत्रो से ग्रामीणो को भाभड घास व चारा घास के ठेके उपलब्ध कराये हैं। कहीं–कहीं वर्षा का जल इकट्ठा करने के लिए छोटे बाध बनवाये हैं, जिससे कि वे अपने खेतो को जरूरी सिचाई दे सके।

फिर भी कई प्रसार क्षेत्रों में वन विभाग व ग्रामीण समुदाय के सहयोग उतना प्रभावी नहीं हो रहा है जितना कि सुखोमाजरी तथा ना जैसी मार्गदर्शी परियोजनाओं मे उपलब्ध हुआ। कुछ हद तक यह ग्रामी की सुरक्षा व्यवस्था व इसकी प्रबंधन क्षमता को विकसित करने की बज तकनीकी व अभियांत्रिक कार्यक्रम पर अधिक जोर दिये जाने का परि है। एक अन्य मुख्य कारण इस स्पष्ट नीति निर्देश का अभाव भी है। हरियाणा वन विभाग, पहाड़ी साधन प्रबंधन सोसायटियों के साथ उ सुरक्षा के लामो का बंटवारा किस प्रकार करेगा। संयुक्त प्रबंधन सिद्धातो पर आगे बढने से पूर्व यह आवश्यक है कि हरियाणा वन विभ तथा पहाडी साधन प्रबंधन सोसायटियों, दोनो के अधिकारो तथा कर्त्तव की स्पष्ट व्याख्या की जाये जिनके आधार पर दोनो पक्षों के बीच समझौ तैयार किया जा सके।

ऐसा होने के बाद हरियाणा वन विभाग अपने कर्मचारियो को नी को सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रशिक्षण देना प्रारम्भ कर सक है, जिसके द्वारा ग्रामीण समुदाय के साथ मिलकर कार्य करना उन दैनिक कार्य का एक मुख्य भाग बन सके।

2. भाभड़ घास की पट्टा प्रबन्ध पद्धतियों का अध्य

भाभड घास शिवालिक पहाडी की एक बहुमूल्य वन उपज है जि ग्रामवासी रस्सी बनाने, चारपाईयाँ बुनने, झाडू व बुर्श बनाने, खेती फसल को बाधने तथा फल सब्जी को पैक करने आदि के प्रयोग मे ल हैं। बढ़िया किस्म का कागज बनाने के लिये पेपर मिलो द्वारा भा घास की बहुत माग है।

भाभड़ घास वाले क्षेत्रो को वन विभाग हर वर्ष या तो पेपर मि को एक निर्धारित कीमत से पट्टे पर देता है या खुले नीलाम द्व इस घास को ठेकेदारो को बेचता है। संयुक्त वन प्रबन्ध की नीति अर्न्तगत अब पहाड़ी वन प्रबन्ध सोसाइटियो को भी भाभड़ घास प पर दी जाने लगी है। सोसाइटियो को पिछले तीन वर्ष की औ कीमत के बराबर पट्टे की रकम अदा करनी होती है। इर तीनो प्र से की जाने वाली भाभड क्षेत्रो की प्रबन्ध प्रक्रिया का तुलनात्मक जा लेने के लिये टेरी की टीम ने वर्ष 1993 मे मोरनी–पिजौंर वन ख के क्षेत्रो मे एक अध्ययन किया।

अध्ययन से पता चला कि जगल पट्टे पर लिये जाने की हा मे पेपर मिल को भाभड घास 97.92 रूपये प्रति क्विटल के भाव जब कि खुले बाजार मे भाभड़ का भाव 135 रूपये प्रति क्विटल इस तरह पट्टे पर मिली एक क्विटल भामड घास के पीछे पेपर को 37.08 रूपये का लाभ हुआ। जहाँ वन क्षेत्र की भाभड सीधी नी द्वारा ठेकेदार को बेची गई उस केस मे ठेकेदार को भाभड 10 रूपये प्रति क्विटल कीमत पर पडी और उसने 26.30 रूपये प्रति क्वि फायदा कमाया।

जब भाभड वाले वन क्षेत्र सोसाइटियो को पट्टे पर दिये तो ग्रामवासियो ने या तो भाभड घास स्वय काटकर इस से रस् बान बनाया या भाभड को मजदूरो से कटवाया और इस कटाई के उन्हे आधी भाभड मजदूरी के रूप मे दी या फिर कुछ सोसाइ ने अपनी जरूरत जितनी भाभड रख कर बाकी भाभड

बेस डिपों में लाई गई ताजा भाभड़ घास

स्थानीय ठेकेदारो को बेची। इस अध्ययन से पता चला कि एक क्विटल भाभड घास से 64 8 किलोग्राम बान रस्सी बन पाती है। 700 रूपये प्रति क्विटल के भाव से बेचने से एक क्विटल घास से बनी रस्सी 453 60 रूपये की बिक पाई। अपनी मेहनत व मजदूरी आदि निकालने के बाद ग्रामवासियो को एक क्विटल घास के पीछे 89.17 रूपये का लाभ हुआ। जिन सोसाइटियो ने आधी बटाई पर भाभड घास कटवाई उनको भाभड की बिक्री से 70 रूपये प्रति क्विटल लाभ हुआ परन्तु पट्टे पर ली गई भाभड को जब सोसाइटी ने सीधे स्थानीय ठेकेदार को बेच दिया तो ग्रामवासियो को प्रति क्विटल भाभड घास के पीछे केवल 11.50 रूपये का लाभ हुआ। इस अध्ययन से यह सिद्व होता है कि अधिक लाभ के लिये सोसाइटियो को चाहिए कि भाभड घास का बान बनाकर बेचे। इस तरह उन्हे न सिर्फ प्रति क्विटल भाभड पर सबसे अधिक लाभ ही होगा बल्कि ग्रामवासियो को अच्छा रोजगार भी मिलेगा जिससे लोगो की आर्थिक स्थिति मे बहुत सुधार हो सकता है।

3. सोसाइटियों के समाचार

(i) *नई सोसाइटियॉ* : प्रेमपुरा ब्लॉक के तीन गाव–खेडा, बसौला, और प्रेमपुरा की खेडा सोसाइटी के नाम पर पहले एक इकठ्ठी सोसायटी थी। भाभड व घास आदि के आपसी वितरण की समस्याओ को देखते हुए इन लोगे ने अपनी अलग–अलग सोसाइटियॉ बनाने की इच्छा व्यक्त की इस ब्लॉक के एक दूसरे गाव जट्टामाजरी की सोसाइटी के साथ मिल कर एक आम सभा बुलाई गई जिसमे इन चारो गावो ने सर्वसम्मति से कम्पार्टमेन्ट आर 71–सी 5 को चार भागो मे बॉटने को फैसला किया। बसौला और प्रेमपुरा ने नई सोसाइटियॉ बना ली जब कि खेडा और जट्टामाजरी की पुरानी सोसाइटियॉ चलती रहेगी। हम बसौला और प्रेमपुरा की दो नई सोसाइटियो को साझा बन प्रबन्ध कार्यक्रम मे शामिल होने का स्वागत करते है।

(ii) *प्रबन्ध कमेटियों के चुनाव* :

साझा वन प्रबन्ध के राज्य स्तरीय कार्यदल ने नवम्बर 1994 में एक बैठक में यह निर्णय लिया था कि सोसाइटियों की कार्यप्रणाली मे समानता लाने के लिए प्रबन्ध कमेटियों के चुनाव हर माली साल के आरम्भ मे अप्रैल महीने मे सम्पन्न कराये जायें। इस लिये इस वर्ष एक निर्धारित समय सारिणी के अनुसार अप्रैल–मई 1995 मे सभी सोसाइटियो में नई प्रबन्ध कमेटियों का चुनाव करवाया गया।

चुनाव के लिये हर गाव की एक आम सभा बुलाई गई जिसमे पिछले वर्ष क़ी गतिविधियो, उपल्बधियो, लेखा जोखा, व समस्याओं आदि पर विचार किया गया तथा सर्वसम्मति से एक नई प्रबन्ध कमेटी का चयन किया गया जिसमें एक प्रधान, एक सेक्रेटरी, एक खजाची तथा चार से आठ अन्य कार्यकारी सदस्य चुने गये। हर सोसाइटी मे कम से कम दो महिलाओ को भी प्रबन्ध कमेटी का पदधारक चुना गया।

(iii) *सोसाइटियों के रिकार्ड का रखरखाव* :

माह अप्रैल व मई 1995 मे प्रबन्ध कमेटियो के चुनाव करवाते समय यह देखने मे आया कि सोसाइटियो ने अपनी मैम्बरशिप, घास व पानी के वितरण तथा बहीखाता आदि के रिकार्ड ठीक ढग से नहीं रखे थे। सुखोमाजरी जैसी सोसाइटी मे (जहा कुल 70 आम सदस्य बनाये गये) एक भी महिला सदस्य नहीं थी और न ही सदस्यो के नाम की कोई पक्की सूची या रजिस्टर उपलब्ध था। बाकी सोसाइटियो मे भी महिलाओ की सदस्यता पुरूषो के अनुपात मे बहुत कम थी। बहुत ही कम ऐसी सोसाइटियॉ थी जिन्होने आमदन व खर्च का ठीक हिसाब कैश बुक मे रखा हो (जैसा कि लोहगढ, मानकपुर ठाकुरदास, धमाला, रेहना, मासूमपुर आदि) घास की दाती व डैम के पानी के वितरण का हिसाब भी छोटे मोटे कागज के पन्नो या किसी फटी पुरानी कापी मे अधूरे ढग से लिखा था। सोसाइटी की विभिन्न बैठकों मे लिये गए निर्णयो का कोई रिकार्ड नहीं था। दाती व पानी से मिली आमदन किसी बैंक मे जमा करवाने के बजाय प्रधान या किसी अन्य सदस्य के पास ही थी। इस स्थिति मे सुधार लाने के लिये टेरी की टीम ने विभिन्न प्रकार के रजिस्टरो, व रिकार्ड के प्रारूप तैयार किये तथा हर सोसाइटी को आवश्यक कार्यवाही रजिस्टर, घास की दाती का रजिस्टर, डैम के पानी का रजिस्टर, केश बुक व रसीद बुक आदि दी। नये सदस्य बनाने का अभ्यान भी चलाया गया ताकि महिलाओ को उपयुक्त सदस्यता मिल सके। सभी सोसाइटियो के बैक मे खाते खुलवाये गये ताकि सोसाइटी की पूजी बैक मे सुरक्षित रहे। इसके अतिरिक्त बहीखाते भी ठीक किये गये। वर्ष 1994-95 के अन्त मे अर्थात माह अप्रैल 1995 के आरम्भ मे कुछ सोसाइटियो के पास अच्छी रकम जमा थी, जैसी कि लोहगढ के पास 52,480 रूपये, मानकपुर

ठाकुरदास के 44,450 रूपये, मानकपुर नानक चन्द के 55,644 रूपये, बाडगोदाम के 11,187 रूपये, रज्जीपुर के 11,795 रूपये, धमाला के 18,155 रूपये, ढाढर के 13,619 रूपये, मीरपुर के 31,505 रूपये, गोविन्दपुर के 13,132 रूपये, मासूमपुर के 12,668 रूपये, रहेना के 25,991 रूपये थे। अधिकतर सोसाइटियो मे पानी व दाती की वसूली काफी मात्रा में बकाया है और उन्हें इस सम्बन्ध मे जल्दी ही आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

4. प्रशिक्षण कार्यक्रम

अप्रैल–मई 1995 मे सभी सोसाइटियो मे नई प्रबन्ध कमेटियो का चयन किया गया है। इन कमेटियो के अधिकतर पदधारक पहली बार अपनी प्रबन्ध कमेटी के सदस्य चुने गये है। इस लिये इन नये पद धारको को सोसाइटियों की कार्यविधियो के सुचारू सचालन व रिकार्ड के रख रखाव तथा जिम्मेदारियो आदि से अच्छी तरह परिचित करवाने के लिये टेरी टीम ने वन विभाग के अधिकारियो के साथ मिलकर जून 1995 मे एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये। जिनका साराश इस प्रकार है

तिथि	भाग लेने वाली सोसाइटियो के नाम	प्रशिक्षार्थियों की संख्या
2-6-95	बाड़गोदाम, कालका, लोहगढ, मानकपुर नानकचन्द, मानकपुर ठाकुरदास, सुखेमाजरी	27
3-6-95	चौकी, गुमथला, नाडा, हरिजन नाडा, माधना	21
5-6-95	बसौला, धमाला, जट्टामाजरी, खेडा नानकचन्द, रज्जीपुर	25
6-6-95	भरौली, दुलोपुर, ढड्यो, त्रिलोकपुर	20
7-6-95	गोविन्दपुर, ढड्यो, मौलीवाल, मासूमपुर, मीरपुर रेहना, ढाढर	21
8-6-95	काहीवाला, खुदाबक्श, किरतपुर, नानकपुर	13
योग	**32 सोसाइटियॉं**	**127**

पाठकों से अपील

पाठको से अनुरोध है, कि वे अपनी सोसाइटी की महत्वपूर्ण घटनाओ तथा साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम सम्बन्धी अपने सुझाव हमे निम्नलिखित पते पर लिखे

श्री आर. पी. डांगे/डा० बख्शीश सिंह
कोऑडीनेटर
जे एम यू
फोरेस्ट काम्पलैक्स
पिजौर 134 102
दूरभाष (01733)21735

श्री उमा शंकर वशिष्ठ
टेरी
1014, सेक्टर - 17
HUDA
जगधारी।
दूरभाष (01732)30006

श्री ओ. एन. कौल
टाटा ऊर्जा अनुसधान सस्थान
दरबारी सेठ ब्लाक
इण्डिया हैबीटेट सेन्टर
लोधी रोड
नई दिल्ली 110 003
दूरभाष 460 1550, 462 2246

सम्पादक : डा० बख्शीश सिह, **सहसम्पादक : श्रीमती मीनू महाजन**

हरियाणा वन विभाग तथा टाटा ऊर्जा अनुसधान सस्थान (टेरी) द्वारा प्रकाशित एव ग्रेण्ड प्रिक्स, सी–15 सूर्य ऐन्कलेव, दिल्ली–56 द्वारा मुद्रित।

हरियाणा
सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम

वन
विभाग
हरियाणा

टाटा
ऊर्जा अनुसंधान संस्थान
नई दिल्ली

जे एफ एम समाचार पत्रिका

र्ष 2, अंक 2 — अक्टूबर 1995

सम्पादकीय

हरियाणा वन विभाग तथा स्थानीय समुदाय मिल कर शिवालिक की पहाडियों में सांझा वन प्रबंध कार्यक्रम चला रहे हैं जिसके अर्न्तगत वनों के पास पास रहने वाले लोग पहाडी सम्पदा प्रबंध सोसाइटियां बना कर वनों की सुरक्षा व विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। इसी कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिये वन विभाग ने उपयुक्त स्थानों पर लगभग 100 पानी के डैम बनाये हैं। बरसात के पानी को इन डैमों के पीछे रोक कर सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप सूखा ग्रस्त शिवालिक खण्ड में एक हरित क्रान्ति आ रही है।

जिन डैमों के पीछे जलागम क्षेत्र वन रहित है वहां मिट्टी का कटाव अधिक होता है। यह मिट्टी डैम की झील में भर जाती है जिससे डैम की पानी को संग्रह करने की क्षमता कम हो जाती है। इससे डैम की आयु कम होने के साथ–साथ धन तथा ग्रामवासियों की आशायें भी धूल में मिल जाती है। अतः सब ग्रामवासी मिल कर प्रण करे कि अपनी जमीन की सुरक्षा, सम्भाल व विकास के लिए चराई, पेडों की अवैध कटान तथा आग आदि को रोकने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करेंगे।

यदि आपके जंगल मे हरितक्षेत्र कम है तो घास, पौधा रोपण तथा वन विकास की नर्सरी से मुफ्त प्राप्त पौधे लगाने का श्रमदान करे। डैम की झील की ओर आने वाली खोलों या नालो के तले मे नडा घास (Arundo donex) सम्मालू (vitex negundo) और बांस जैसी परजातियॉं लगाने से मिट्टी को डैम की झील में पहुंचने से रोका जा सकता है।

पहली बरसात होने पर घास व झाडी सूखी होने से मिट्टी की कटान अधिक होती है अतः पहली कुछ बरसातों में डैम का सलूसवाल्व खुला रखें तथा गंदला पानी डैम मे इक्ठ्ठा न होने दें। कुछ बारिशें हो जाने पर घास उगने से मिट्टी की कटान कम हो जाएगी। तब सलूसवाल्व को बंद कर डैम में कम मिट्टी वाले पानी को इक्ठ्ठा कर ले। बरसात के दिनों में जब किसान डैम का पानी प्रयोग नहीं करते तब सलूसवाल्व बन्द रहता है। इस तरह लगातार अधिक समय तक सलूसवाल्व बन्द रहने से कभी कभी डैम की निकास पाईप बन्द हो जाती है। इसकी रोक थाम के लिए जरूरी है कि हर आठ – दस दिन बाद कम से कम एक बार दस पन्द्रह मिनट के लिए सलूसवाल्व खोल दे ताकि पाईप में पानी चलने से जमी हुई मिट्टी व कीचड आदि बाहर निकल जाये और निकास पाईप के चोक या बन्द होने का खतरा टल जाये।

बरसात के दिनों मे डैम के बन्धे व निकास की निगरानी, अतिरिक्त पानी का निकास, तथा दरार या कटाव को तुरंत ठीक करने से आप अपने डैम की आयु को और भी बडा कर सकते हैं। डैम आपकी अपनी सम्पति है इसे सम्भाल कर रखे, यह सालों साल आपको पर्याप्त पानी व खुशहाली प्रदान करेगा।

सम्पादक ❑

2. संयुक्त वन प्रबन्ध की नीति

पिछले अंक में हमने हरियाणा सरकार द्वारा जून 1990 में स्वीकृत की गई साझा वन प्रबंध नीति की जानकारी आपको देने के लिए एक धारा वार विषय आरंभ किया था। पिछले अंक में इस नीति की धारा I को प्रकाशित किया गया था। इस अंक मे हम उस नीति की धारा II व III के कुछ अश नीचे प्रकाशित कर रहे है।

धारा II

प्रस्तावित नीति के दर्शनज्ञान व लाभ

प्रस्तावित नीति का मूल दर्शनज्ञान जगली क्षेत्रो के पास रहने वाले ग्रामीणो के आर्थिक कल्याण को उन क्षेत्रो के जीवनधारी प्रबंध से जोडना है। यह प्रत्येक गाव में एक या उससे अधिक आकर्षण बिन्दु पहचानने द्वारा किया जा सकता है जोकि ग्रामीणो को जगलो की उत्पादकता बढाने के लिए प्रेरित कर सके और उन्हे बढे हुए उत्पादन का मुख्य भाग भी दिया जाए जोकि उनके प्रबंध व सुरक्षा से ही प्राप्त हुआ है।

सबधिंत क्षेत्रो से राज्य सरकार को वर्तमान राजस्व में किसी भी प्रकार की हानि नही होगी। राजस्व के वर्तमान स्तर को बनाए रखा जायेगा और कुछ स्थानो पर इसमे समय के साथ वृद्धि भी होगी। इसके साथ–साथ ग्रामीणो के उत्पादन प्रक्रिया मे भाग लेने से प्राप्त बढे हुए उत्पादन के मुख्य भाग को, सरकारी नीति के फलस्वरूप, ग्रामीणो मे बाटने से उनका आर्थिक स्तर काफी हद तक सुधरेगा जिस के लिए सरकार को कोई अतिरिक्त व्यय नही करना पडेगा। सरकार को अतिरिक्त निवेश किये बिना लोगो की आमदनी व रोजगार बढने का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों द्वारा वन सुरक्षा व प्रबंध व्यवस्था करने का खर्च काफी कम हो जाएगा। वास्तव मे वन विभाग का पारम्परिक पुलिस कर्मचारी वाला रूप ग्रामीणो को वन प्रबधन के सुधार मे भागीदार बनाने मे परिवर्तित हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त यदि गावो से जुडे हुए वन क्षेत्र की उत्पादकता को सयुक्त वन प्रबध द्वारा इतनी मात्रा मे बढाया जाए कि ग्रामीणो की वन उपज की सब जरूरते इससे ही उपलब्ध हो जाये तो प्राकृतिक प्रजनन से इस क्षेत्र के बाहर उत्पादकता बढेगी, जिससे अतिरिक्त निवेश के बिना इन क्षेत्रो से सरकार का राजस्व बढेगा।

पर्यावरण सुधार व प्राकृतिक संतुलन का पुर्नस्थाप होना सरकार के लिए एक और मुख्य लाभ होगा।

धारा III

नीति पद्धति

III. 1. परस्पर सम्बध की मूल इकाई ग्रामीण स्त पर एक गाव का हिस्सा, पूरा गाव या किसी विशेष परिस्थि मे ग्राम पचायत हो सकती है। हरियाणा वन विभाग, ग की सस्था से बातचीत करेगा न कि किसी व्यक्ति विशे से। प्रत्येक इकाई मे कम से कम 10 से 15 तक परिव होने चाहिए। ग्रामीण इकाई का चयन दूसरे लक्षणो अतिरिक्त निम्न पर आधारित होगा · (1) आवास का व के निकट होना (2) सम्बन्धित वन क्षेत्र की उपज मे स परिवारो का समान अधिकार या आर्थिक निर्भरता हो (3) कम से कम स्तर पर सामाजिक बधन व दूसरे सदस से परिचय होना।

प्रारम्भिक रूप मे सदस्य परिवार अपंजीकृत सोसाइ बना सकते है, जो बाद में एक निर्धारित समय मे सोसाइ रेजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पजीकृत कराई जा सक है। इसका नाम पहाडी साधन प्रबधन सोसाइटी होगा।

III. 2 सम्बधित इकाई के बहुमत परिवार यदि अ निकट के किसी स्पष्ट वन क्षेत्र मे सयुक्त प्रबध की जिम्मेव लेने को तैयार है, तो हरियाणा वन विभाग ग्रामीणो के स मिलकर उस वन क्षेत्र के विकास व प्रबध के लिए योज बनाएगा। इस सूक्ष्म नियोजन को तैयार करने का एक मु उद्देश्य सयुक्त वन प्रबध के क्षेत्र को स्पष्ट करना होगा जहा तक हो सके ऐसे प्रयत्न किए जाएगे कि केवल पहा साधन प्रबध सोसाइटी के सदस्यो के ही उस क्षेत्र मे अधिव हो ताकि अन्य अधिकार रखने वालो से उनके झगडे ह का प्रश्न ही न उठे। निर्धारित क्षेत्र के उन्नत प्रबध लिए निम्नलिखित, एक या उससे अधिक उत्प्रेरको को निश्चि किया जाएगा। ग्रामीणो के खेतो की सिचाई के लिए प (बाध या कूल पद्धति द्वारा) उपलब्ध कराया जाए ता उनकी वन क्षेत्रो पर निर्भरता घट सके और जल र को सुरक्षित रखने के लिए वह जगल मे खुली चराई करे।

हरे चारे के लिए घास का ठेका

यह ठेका किसी बिचोले ठेकेदार को नीलाम करने की जगह पहाडी साधन प्रबध सोसाइटी को दिया जा सकता है इसके बदले मे पहाडी साधन प्रबंधन सोसाइटी से कहा जा सकता है कि वह इस क्षेत्र को खुली चराई से बचाए।

भाभड घास बान बनाने या बेचने के लिए

भाभड घास का ठेका निजी ठेकेदार या कागज मिल को न देकर पहाडी साधन प्रबधन सोसाइटी को दिया जा सकता है। जिन गांवो मे कुछ परिवार भाभड से बान बनाते वहा पहाडी साधन प्रबधन सोसाइटी के साथ सयुक्त प्रबध समझौते मे यह शर्त रखी जा सकती है कि बान बनाने वालो की भाभड की जरूरत पूरी होने के बाद ही शेष बची भाभड बाहर बेची जा सकती है।

टोकरी बनाने के लिए बांस

बास की टोकरी बनाने वाले भंजडा समुदाय के सदस्यो को उनकी आवश्यकतानुसार वर्ष मे नौ माह तक के लिए बांस काटने की अनुमति इस शर्त पर दी जा सकती है कि वे बांस के झाडो को लाभदायक उत्पादन स्तर पर रखेगे और आग लगने के मौसम में वन को आग से बचाने में सहयोग देगे। उन्हे उत्पादन मण्डल के लिए बांस काटने के लिए भी कहा जा सकता है ताकि बाहर के श्रमिको की लापरवाही के कारण बांस के झाडो को नुकसान न हो सके।

लकडी, कत्था, जलाने की लकडी, फल और अन्य वन उपज

इसी प्रकार का प्रबध इमारती लकडी, कत्था, जलाने की लकडी, फलो व अन्य वन उत्पादनो के लिए भी किया जा सकता है। सब का मूल उद्देश्य स्थानीय पहाडी साधन प्रबध सोसाइटी को उन्नत वन प्रबध व सरक्षण मे भाग लेने के लिए प्रेरित करना होगा।

मोगरी काटने से भाभड, घास के उपज बढत में भारी कमी

शिवालिक की पहाडियो मे नाना प्रकार की जो वनस्पति मिलती है उसमे भाभड घास का एक बहुत महत्पूर्ण स्थान है। यह घास कटी फटी तीव्र ढलानो पर कम नमी व तेज धूप वाले क्षत्रो मे सर्वश्रेष्ठ परजाती के रूप मे उभर कर आती है और भूमि को कटने से बचाती है। रस्सी व बान बनाने के दस्तकारी तथा कागज बनाने के उद्योग के लिए इस घास की बहुत मांग होने के कारण इस खण्ड के आर्थिक विकास मे भी इस वन उपज की एक विशेष भूमिका है।

वर्षा ऋतु के आरम्भ में जब नर्म चारा घास उग रही होती है तो भाभड़ घास एक ऐसी परजाति है जो सब से पहले पनप आती है। उस वक्त चारे की अधिक कमी होने के कारण, कभी–कभी ग्रामवासी कई प्रकार की घास होने के बावजूद भी भाभड घास की नई उगने वाली कोपलों को काट कर (जिसे स्थानीय भाषा में मोंगरी कहते हैं) अपने जानवरो को चारे के रूप मे देते हैं।

रस्सी व कागज बनाने के लिए केवल पकी हुई सूखी भाभड घास ही काम में लाई जाती है जो अक्टूबर के बाद नवम्बर में काटी जाती है। बरसात मे काटी गई हरी चारा घास की कीमत 20-30 रूपये प्रति क्विटल ही होगी परन्तु नवम्बर–दिसम्बर मे काटी गई पकी व सूखी भाभड घास की कीमत 200 से 300 रूपये प्रति क्विटल तक मिलती है।

भूमि संरक्षण केन्द्र चण्ढीगढ द्वारा किये गये कुछ प्रारम्भिक अध्ययनों से सकेत मिले कि नई उगने वाली हरी भाभड घास (मोगरी) को बार बार काटने से भाभड के उगने में बुरा असर पडता है। यह जानने के लिए कि हरी मोंगरी काटने से उद्योग व दस्तकारी योग्य पकी व सूखी भाभड की उपज और बढत पर कितना असर पडता है टेरी की टीम व वन विभाग हरियाणा ने मिल कर वर्ष 1993 में एक विधिवत् अध्ययन किया जिसमे भाभड घास के एक जैसे प्लाटो को निम्न तरीको से काट कर परखा गया –

(i) मोगरी न काटना, केवल नवम्बर मे पकी भाभड़ काटना।
(ii) जुलाई में एक बार मोंगरी काटना फिर नवम्बर मे दुबारा पकी भाभड काटना।
(iii) अगस्त में एक बार मोगरी काटना फिर नवम्बर मे दुबारा पकी भाभड काटना।
(iv) जुलाई तथा सितम्बर मे एक बार मोगरी काटना और फिर तीसरी बार नवम्बर मे पकी भाभड काटना।

विभिन्न क्षेत्रो मे उपरोक्त अनुसार भाभड के प्लाटो को काटने से निम्न परिणाम प्राप्त हुए

जिन प्लाटो से कोई मोगरी नही काटी गई थी उन को नवम्बर मे काटने पर 3 44 क्विटल भाभड प्रति हैक्टर प्राप्त हुई। जिन प्लाटो से जुलाई के आरम्भ मे एक बार

मोंगरी काटी गई थी उनमें दुबारा उगी भाभड को नवम्बर में काटने पर 1.93 क्विंटल भाभड प्रति हैक्टर प्राप्त हुई। जिन प्लाटों में अगस्त के आरम्भ में एक बार मोंगरी काटी गई थी उन में दुबारा उगी घास को नवम्बर में काटने पर 0.73 क्विंटल भाभड प्रति हैक्टर प्राप्त हुई। जिन प्लाटो में जुलाई तथा सितम्बर में एक – एक बार मोंगरी काटी गई थी उनमें तीसरी बार नवम्बर मे कटाई करने पर 0.14 क्विंटल भाभड प्रति हैक्टर मिली अर्थात् ना के बराबर प्राप्त हुई।

जहा तक भाभड घास के उगने व बढने का सवाल है उपरोक्त अध्ययन से पता चला कि जुलाई मे एक बार मोगरी काटने से ही नवम्बर में भाभड घास की झुण्डियों के जड – घेरे में 26 प्रतिशत की कमी हो गई। जिन प्लाटो मे अगस्त मे एक बार मोगरी काटी गई उनमे नवम्बर में भाभड काटते वक्त देखा गया कि भाभड घास की झुण्डियों के जड – घेरे में 49 प्रतिशत कमी हो गई। इसी प्रकार जिन प्लाटो मे जुलाई तथा सितम्बर में एक – एक बार मोगरी काटी गई उनमे नवम्बर तक एक ही साल मे भाभड घास झुण्डियो के जड – घेरे मे 52 प्रतिशत कमी आ गई।

इस अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि वर्षा ऋतु के आरम्भ मे एक बार मोगरी काटने से ही नवम्बर दिसम्बर मे मिलने वाली पकी भाभड की उपज मे लगभग 45 प्रतिशत कमी होती है। मोगरी काटने से न केवल नवम्बर दिसम्बर मे मिलने वाली भाभड की उपज मे ही भारी कमी होती है बल्कि भाभड की झुण्डियो के आकार मे बहुत कमी आ जाती है इस तरह बार बार हर साल मोगरी काटने से उपज के वन क्षेत्र से भाभड घास धीरे–धीरे बिल्कुल खत्म हो जाने की सम्भावना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र मे भाभड घास की उपज व बढत का स्तर अच्छा बना रहे तो मोगरी ना काटने मे ही भलाई है। केवल अति विशेष मुश्किल परिस्थितियो में ही मोंगरी काटने दे और वह भी किसी वर्ष एक बार ही, हर वर्ष बार–बार नहीं।

4. सोसाइटियों के समाचार

(i) *नई सोसाइटियां*

इस अवधि मे मोरनी – पिजौर वन मण्डल मे तीन नई सोसाइटियां (किना, प्रेमपुरा, दमदमा) और यमुना नगर वन मण्डल मे दो नई सोसाइटिया (काठगढ, भगवानपुर) रजिस्टर की गई। इन सोसाइटियो ने अपनी अपनी प्रबध कमेटियो का चयन कर लिया है तथा वन विभाग के साथ साझा वन प्रबंध की शर्तो को मानते हुए निर्धारित समझोते पर हस्ताक्षर भी किये हैं। हम इन सभी लोगों का सांझा वन प्रबध कार्यक्रम में शामिल होने का स्वागत करते हैं।

(ii) *भाभड़ तथा चारा घास की लीज*

वर्ष 1994 में 15 सोसाइटियो ने भाभड घास तथा 10 सोसाइटियों ने चारा घास की लीज वन विभाग से ली थी। इस वर्ष 27 सोसाइटियो ने भाभड घास तथा 24 सोसाइटियो ने चारा घास के लीज पट्टे, लिये है जिनका विवरण निम्न प्रकार है .

वनखण्ड का नाम	भाभड लीज	चारा घास लीज
1 मोरनी – पिजौर	21 सोसाइटिया	19 सोसाइटिया
2 यमुना नगर (अम्बाला)	6 सोसाइटिया	5 सोसाइटिया
कुल योग	**27 सोसाइटियां**	**24 सोसाइटिया**

इन सभी सोसाइटियो ने समय पर अपनी अपनी लीज की निर्धारित राशि वन विभाग के कार्यालयो मे जमा करवा दी है।

(iii) *सोसाइटियों द्वारा वृक्षारोपण*

इस वर्ष वन विभाग ने सोसाइटियो द्वारा वृक्षारोपण हेतु 100 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा था जिसमें 35-35 हेक्टेयर मोरनी व यमुना नगर वन खण्डों में तथा 30 हेक्टेयर सामाजिक वानिकी वन खण्ड द्वारा पूरा किया जाना निर्धारित था। इस कार्यक्रम मे कुछ सोसाइटियो ने सराहनीय काम किया है खासकर त्रिलोकपुर, लोहगढ, धमाला, सुखोमाजरी तथा पम्मुवाला सोसाइटियो ने। इन वृक्षारोपणो के लिए पौधे वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये तथा पौधारोपण कार्य वन विभाग के स्थानीय कर्मचारियो की देख रेख में किया गया इस तरह किये गए वृक्षारोपण पर आये खर्च का भुगतान सीधे सम्बन्धित सोसाइटियो को किया गया ताकि ग्रामवासियो को इस कार्यक्रम से रोजगार व आर्थिक लाभ मिल सके।

(iv) *पानी के डैमों का रख रखाव*

यमुना नगर वन मण्डल की सढौरा रेज मे स्थित काठगढ गाव की नई सोसाइटी ने शामवाला तथा काठगढ लिये बने अपने दो डैमो की बरसात के दिनो मे देख भाल

लिये सांझेदारी की नई मिसाल कायम की। वन विभाग के स्थानीय कर्मचारियों तथा सोसाइटी के सदस्यों ने मिलकर यह तय किया कि बारिश के मौसम में हर रोज दोनों डैमों की लगातार निगरानी रखी जाये ताकि डैमों को कोई खतरा होने की हालत में समय पर आवश्यक उपाय किया जा सके। इस कार्य के लिए सोसाइटी तथा वन विभाग ने एक – एक रक्षक नियुक्त किया जो मिल कर वर्षा ऋतु में इन दोनों डैमों की देख रेख करते रहे। इस प्रकार उनके दोनों डैम इस साल सही सलामत रहे। उन्होने अपने दोनो डैमो को गांव में खुली बोली द्वारा 10,750 रुपये मे मछली पालन के लिये अपने ही गांव के लोगों को ठेके पर दिया है।

पिजौर वन खण्ड की मोंरनी रेंज मे स्थित मांधना सोसाइटी मे मदारपुर तथा भराल गांव भी शामिल है। इस सोसाइटी में दो डैम हैं। वर्ष 1989 में बना एक डैम सीमैंन्ट पत्थर से पक्का बनाया गया था जिससे तीनो गांवों की जमीन की सिंचाई की जा सकती थी परन्तु पाईप लाईन केवल मदारपुर के कुछ खेतों तक ही लगाई गई थी। डैम से लगे जंगल ही हालत अच्छी न होने के कारण डैम की झील में मिट्टी भरती गई यहां तक कि हौदी भी सिल्ट में दब जाने से पाईप बन्द हो गई, और पानी स्पिलवे के ऊपर से बहने लगा जिसके कारण स्पिलवे की ऐपरण व फाउण्डेशन भी कट गई थी। टेरी के साथ हुई मिटिगो मे ग्रामवासियो ने डैम की मरम्मत करने की इच्छा प्रकट की। विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि डैम के ऐपरण को ठीक करने के लिये लेबर का सारा खर्च सोसाइटी की तरफ से किया जाएगा अर्थात किसान खुद काम करेंगे या मजदूर लगाने के लिए निश्चित राशि सोसाइटी के पास जमा करवायेगे। मरम्मत मे लगने वाले पत्थर व बजरी आदि भी लोग स्वय पास बहती धधर नदी से इकठ्ठा करेंगे। सीमेन्ट, ट्रक से ढुलाई, पाईप व मिस्त्री आदि का खर्चा टेरी देगी। डैम से पानी निकालने के लिए एक साईफन भी लगाया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार ग्रामवासियों ने मिलकर जून जुलाई 1995 में वर्षा शुरू होने से पहले ऐपरण की मरम्मत का काम पूरा कर लिया। अब साईफन तथा पाईप लगाने का काम बरसात के बाद किया जाएगा। इस मरम्मत कार्य में सब ग्रामवासियों का योगदान सराहनीय रहा। खासकर सोसाइटी के सचिव श्री लेखराम, प्रधान श्री नराता सिंह तथा सदस्या श्रीमती मुरेता का।

डैम के स्पिलवे का निर्माण कार्य

(v) *प्रशिक्षण*

इस अवधि मे टेरी तथा वन विभाग ने मिल कर सांझा वन प्रबंध सम्बंधित तीन प्रशिक्षण निम्न प्रकार आयोजित किये

क्रमसंख्या	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण का नाम	परिक्षार्थीयों की संख्या
	10-15 जुलाई 1995	फोरेस्टर क्लास के लिए साझा वन प्रबंध प्रशिक्षण	28 फोरेस्टर
	11-16 जुलाई 1995	गार्ड क्लास के लिए साझा वन प्रबंध प्रशिक्षण	26 फोरेस्ट गार्ड
	26-29 जुलाई 1995	वनो की बेस लाईन सर्वेक्षण का प्रशिक्षण	32 फोरेस्टर तथा डिप्टी रेजर

बेस लाईन सरवेक्षण पाने वाले कर्मचारियो ने बाद मे गांव वालों के साथ मिलकर विभिन्न सोसाइटी के वनों का सर्वेक्षण किया ताकि यह पता लग सके कि इस समय सोसाइटियो के वनो की वनस्पति (घास, झाडी, पेड आदि) के घनत्व, मात्रा तथा उपजाऊ शक्ति की क्या स्थिति है।

प्रशिक्षण कार्यशाला

(vi) ***कार्यशालायें***

इस अवधि मे टेरी व हरियाणा वन विभाग ने मिल कर दो कार्यशालाये आयोजित की जिनका विवरण इस प्रकार है

कार्यशाला का नाम	अवधि	जिन लोगों ने भाग लिया	उद्देश्य
1 हरियाणा मे साझा वन प्रबध	5 अगस्त 1995	हरियाणा वन विभाग के वृष्ठ अधिकारी (मुख्य वन सरक्षक, डी एफ ओ, फोंड फाउण्डेशन व टेरी के प्रतिनिधि तथा विभिन्न सोसाइटियों के पद धारक	प्रदेश मे चल रहे साझा वन प्रबध कार्यक्रम की समीक्षा करना तथा भविष्य के लिये मार्ग दर्शन करना
2. साझा वन प्रबंध के लिये लघु योजनाऐं (माईक्रो प्लान) बनाने की विधि	19-20 सितम्बर 1995	वन विभाग के अधिकारी, विभिन्न प्रदेशो मे साझा वन प्रबध का काम करने वाली गैर सरकारी सस्थाओ (एन जी ओ) के प्रतिनिधि, फाउण्डेशन के अधिकारी, टेरी टीम के सदस्य तथा स्थानीय सोसाइटियो के लोग	साझा वन प्रबध के अर्न्तगत वन क्षेत्रो के विकास व पोषणीय प्रबध के लिये लघु योजनाऐ बनाने की विधि तय करना

पाठकों से अपील

पाठको से अनुरोध है, कि वे अपनी सोसाइटी की महत्वपूर्ण घटनाओ तथा साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम सम्बन्धी अपने सुझाव हमे निम्नलिखित पते पर लिखे

श्री आर. पी. डांगे/डा० बख्शीश सिंह
कोऑडीनेटर
जे एम यू
फोरेस्ट काम्पलैक्स
पिजौर 134 102
दूरभाष (01733)21735

श्री उमा शकर वशिष्ठ
टेरी
1014, सेक्टर - 17
HUDA
जगधारी।
दूरभाष (01732)30006

श्री ओ. एन. कौल
टाटा ऊर्जा अनुसधान सस्थान
दरबारी सेठ ब्लाक
इण्यिा हैबीटेट सेन्टर
लोधी रोड
नई दिल्ली 110 003
दूरभाष 460 1550, 462 2246

सम्पादक . डा० बख्शीश सिह, **सहसम्पादक : श्रीमती मीनू महाजन**

हरियाणा वन विभाग तथा टाटा ऊर्जा अनुसधान सस्थान (टेरी) द्वारा प्रकाशित एव ग्रेण्ड प्रिक्स सी–15 सूर्य ऐन्कलेव, दिल्ली–56 द्वारा मुद्रित।

हरियाणा
सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम

वन
विभाग
हरियाणा

टाटा
ऊर्जा अनुसंधान संस्थान
नई दिल्ली

जे एफ एम समाचार पत्रिका

वर्ष 2, अंक 3 जनवरी 1996

सम्पादकीय

हरियाणा के शिवालिक खण्ड मे 100 से अधिक पानी के डैम बनाये गए हैं। वर्ष 1994 मे शिवालिक विकास बोर्ड का गठन होने के बाद कुछ और नये डैम बनाने पर भी विचार हो रहा है। अब तक बनाये गए डैमों का निरीक्षण करने से पता चला है कि अधिकतर डैम किसी न किसी कारण से बेकार हो गये हैं, जैसे कि पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिये या तो पाईप नहीं लगाई गई या कम लगी या टूट गई। कई डैमो के स्पिलवे टूट जाने से उनमें पानी इकठ्ठा होने की क्षमता कम हो गई है या फिर अगली बारिश मे डैम के पूरा टूट जाने का डर बना हुआ है। जिन डैमो के पीछे पहाडी ढलानो पर अभी भी खुली चराई होती है और वनस्पति व जंगल कम हैं, उनकी झीले बारिश के पानी के साथ कट कर आने वाली मिट्टी से भर गई हैं। डिजाईन व बनावट मे कमिया रह जाने के कारण कुछ डैमो के बन्धे ही टूट गये हैं। बन्धे या स्पिलवे की मरम्मत बार-बार किये जाने के बावजूद ऐसे डैम अब भी ठीक हालत मे नहीं है। कुछ डैम ऐसे भी हैं जिनके झील खण्ड मे या तो पानी बहुत कम आता है या जो भी पानी आता है वह जमीन के अन्दर ही रिस जाता है और सिचाई के लिये पानी जमा नहीं हो पाता। कुछ ऐसे भी डैम है जिनका पानी एक या दो किसानो के खेतो को ही लग पाता है। इन सब परिस्थितियो की समीक्षा से ज्ञात होता है कि कोई भी डैम बनाने से पहले डैम की जगह के चुनाव, डिजाईन, निर्माण व उपरोक्त दर्शाई सम्भावनाओं पर ध्यानपूर्वक विचार करना बहुत जरूरी है।

एक अच्छा व सफल डैम बनाने के लिये कुछ जरूरी बातो का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसा कि जलागम क्षेत्र व कमाण्ड क्षेत्र की पूरी जानकारी व सर्वेक्षण, बांध लगाने की जगह का सही चयन, डैम का डिजाईन, डैम बनाते वक्त बरती जाने वाली सावधानियां तथा डैम बन जाने के बाद डैम व जलागम क्षेत्र का रख रखाव व प्रबंध।

डैमो के निरीक्षण से. पता चलता है कि डैमों के खराब हो जाने का सबसे बडा कारण है स्पिलवे की खराबी अर्थात या तो पानी चलने से स्पिलवे का टूट जाना या स्पिलवे का बारिश के पूरे पानी को न निकाल पाना। इस कारण से पानी डैम के ऊपर से ही बह निकलता है जिससे डैम टूट जाता है। जलागम क्षेत्र से बारिश मे आने वाले पानी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए डैम का आकार वा स्पिलवे की ऊचांई रखी जानी चाहिए यह इस प्रकार रखी जानी चाहिये कि आम हालत मे पूरा पानी डैम की झील में ही समा जाये और स्पिलवे के ऊपर से न चले ताकि जंगल से मिलने वाले पूरे पानी को सिचाई के लिये बरता जा सके। सिर्फ किसी-किसी वर्ष बहुत अधिक बारिश पडने की हालत मे ही स्पिलवे के ऊपर से पानी बाहर जाये।

डैम की झील मे मिट्टी भर जाना एक दूसरी जटिल

समस्या है जिसके बारे में हम पिछले अक मे चर्चा कर चुके है। ग्रामवासियों को चाहिये कि पिछले अक मे बताई बातो को ध्यान में रखते हुए अपने जगल की हर तरह से रक्षा करे और डैम के स्वास्थ्य व उम्र को बढाने के लिये मिल कर आवश्यक कार्यवाही करें।

जब भी कोई नया डैम बनाने या टूटे डैम की मरम्मत का कार्य शुरू किया जा रहा हो तो ग्रामवासियों को चाहिये कि वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियो के साथ मिल कर अपने डैम के हर पहलू पर खुल का विचार विमर्श करे। अपने अनुभव व जरूरतो को बताये, सुझाव दें, डैम बनाने की जगह का चयन बहुत ध्यान पूर्वक करे। स्पिलवे कहां होगी इसको भी मिलकर तय करे सिंचाई के लिये पानी की पाईप लगाने का रास्ता इस प्रकार तय करे कि कम पाईप लगाते हुए ज्यादा से ज्यादा परिवारो के खेतो को पानी मिल सके।

डैम आपके लिये ही बनाये जा रहे है। सभी निर्माण व मरम्मत कार्यो मे पूरी रूचि लेते हुए सोसाइटी को हर सम्भव योगदान देना चाहिये। डैम के रख रखाव व देखभाल की पूरी जिम्मेवारी ग्रामवासियो की है।

बख्शीश सिंह ❑

2. संयुक्त वन प्रबन्ध की नीति

पिछले दो अंको में हमने हरियाणा सरकार की साझ वन प्रबन्ध नीति की धारा एक, दो तथा तीन के पैरा 3.1 3.2 को प्रकाशित किया था। इस अक मे हम धारा 3.: के कुछ भाग को प्रकाशित कर रहे है :

"सयुक्त वन प्रबंध लागू होने से पहले हरियाणा व विभाग एवं पहाडी साधन प्रबधन सोसाइटी के बीच सयुक प्रबध समझौते पर हस्ताक्षर किये जाएगे। समझौता मुख रूप से दोनो पक्षो के अधिकार एव जिम्मेदारियो को स्पष करेगा और इसके साथ सोसाइटी का प्रस्ताव कि सयुक प्रबध की रूपरेखा उसके सभी सदस्यो को मान्य है, लगाय जायेगा। जहा कोई इमारती कार्य किया जाना है (बा या कूल का बनाना), वहा सदस्य परिवारो के बहुम द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर कर देने के बाद ही कार्य शुर किया जायेगा। सक्षेप मे हरियाणा वन विभाग एव पहाड साधन प्रबधन सोसाइटी के अधिकार एवं जिम्मेदारिय निम्न है –

हरियाणा वन विभाग		पहाड़ी साधन प्रबंधन सोसाइटी	
अधिकार	जिम्मेदारिया	अधिकार	जिम्मेदारियां
योजना समझौते को स्वीकृत नही करना यदि बहुमत अपनी जिम्मेदारियॉ निभाने को तैयार नही है।	योजना विकल्पो पर चर्चा मे सहयोग और तकनीकी निर्देशन प्रदान करना।	सयुक्त व्यवस्था से सबधित सूचना एकत्रित करना और तब तक समझौता नही करना जब तक कि सभावित लाभ से सतुष्ट न हो।	– योजना तैयार करने मे भाग लेना – सदस्यता के नियम औ सदस्यो की जिम्मेदारि स्पष्ट करना – सदस्यो के बीच लाभो व बराबर बटवारे सबधी वहा की जनता की आ सभाओ मे खुली चर्चा द्वारा तय करना – जो सदस्य नियमो की अवहेलना करे उन्हे पद्ध के अनुसार सजा देने सबधी प्रस्ताव पारित करना।

हरियाणा वन विभाग		पहाड़ी साधन प्रबंधन सोसाइटी	
अधिकार	जिम्मेदारिया	अधिकार	जिम्मेदारियां
प्रबंध की प्रारम्भिक स्थिति			
पहाडी साधन प्रबधन सोसाइटी के संयुक्त प्रबध कार्यो, प्रबंधक कमेटी के चुनाव, व सदस्यो के बीच लाभो के बराबर बंटवारे का मूल्याकंन करना।	– योजना के अनुसार आर्थिक एव तकनीकी जानकारी देना – पहाडी साधन प्रबधन सोसाइटी की प्रबधक क्षमता बढाने मे सहयोग देना।	समझौते के अनुसार घास, भाभड, बांस, पानी या दूसरी पैदावार प्राप्त करना	– योजना अनुसार श्रम दान करना – क्षेत्र को खुली चराई से बचाना – नियमानुसार दोषी सदस्यो को सजा देना। यदि यह अप्रभावी है तो वन विभाग को दोषी को सजा देने का अधिकार देना। – प्रबंधक कमेटी और आम सभाओ को लगातार आयोजित करना ताकि सभी सदस्य कार्य की प्रगति से अवगत रहे और उनकी सहमति ली जा सके।

3. भाभड़ घास से बान बनाने वाले समुदायों को सांझा वन प्रबन्ध के आर्थिक लाभ

शिवालिक की पहाडियों में उगने वाली भाभड घास को वन विभाग हर साल खुली नीलामी द्वारा ठेकेदारो को बेचता है। स्थानीय वन समुदायो को रस्सी व बान बनाने के व्यवसाय के लिये भाभड घास ठेकेदार से काफी कीमत पर खरीदनी पडती है। सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम के अर्न्तगत जिन समुदायों ने मिलकर पहाडी सम्पदा प्रबध सोसाइटी बना ली है उनको वन विभाग रियायती दरों पर भाभड घास के पट्‌टे देने लगा है। इस तरह ग्रामवासियो को सीधे भाभड घास मिलने से उनके रस्सी व बान बनाने के व्यवसाय पर क्या असर पडा है इसका जायजा लेने के लिये वर्ष 1993 मे टेरी की टीम ने प्रेमपुरा गाव मे विस्तार पूर्वक एक अध्ययन किया जिसके परिणाम निम्न प्रकार रहे

प्रेमपुरा की सोसाइटी ने वर्ष 1988-89 में कम्पार्टमेण्ट आर–71/ सी-5 के पूरे जंगल की लीज टैक्स सहित 41,500 रूपये में ली तथा उन्होंने इस जंगल से 1850 क्विंटल भाभड घास काटी। परन्तु 1992-93 मे प्रेमपुरा सोसाइटी ने भाभड घास की लीज न ली जिसके कारण वन विभाग ने इस जगल की भाभड़ खुली नीलामी से ठेकेदार को 54,280 रूपये में बेची। ठेकेदार को उस वर्ष 1500 क्विटल घास मिली।

अध्ययन से पता चला कि एक व्यक्ति एक दिन मे अपने हाथो से लगभग 6 किलो बान बना सकता है परन्तु वही व्यक्ति हाथ वाली मशीन से 20 किलो और मोटरवाली मशीन से 25 किलो बान एक दिन मे बना सकता है। हाथ द्वारा बान बनाने पर एक क्विटल भाभड घास से 72 किलो बान प्राप्त होता है परन्तु मशीन द्वारा बनाने पर 88 किलो बान मिलता है। 34.75 रूपये प्रतिदिन की मजदूरी के हिसाब से हाथ से बने एक किलो बान पर 3.47 रूपये

मजदूरी लगी जबकि मशीनी बान पर 1.04 रूपये प्रति किलो मजदूरी लगी। एक क्विंटल भाभड़ घास से बना हाथ का बान 504 रूपये में बिका और मशीनी बान 360 रूपये में।

जब सोसाइटी ने सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम के अर्न्तगत भाभड घास का पट्टा लिया तो ग्रामवासियों को सूखी भाभड 69.36 रूपये प्रति क्विंटल के भाव पडी परन्तु जब ठेकेदार ने जंगल नीलामी में लिया तो लोगों को वही भाभड घास 180 रूपये प्रति क्विंटल के भाव खरीदनी पडी। इस तरह सोसाइटी द्वारा लीज लिये जाने पर लोगों को हाथ से बना बान 490 रूपये प्रति क्विटल की लागत पर पडा जबकि ठेकेदार से भाभड खरीदने पर वही बान 645 रूपये प्रति क्विटल मे पडा। हाथ से बना बान बाजार मे 700 रूपये प्रति क्विंटल के भाव बिका जबकि मशीन से बना बान 450 रूपये प्रति क्विंटल के भाव बिका।

जब गांव वालों ने सोसाइटी बना कर भाभड़ घास की लीज ली तो हाथ से बने बान को बाजार मे बेचने से उन्हे अपनी लागत व मेहनत पर 42.8% लाभ हुआ परन्तु ठेकेदार से खरीदी भाभड से बने बान पर केवल 8.5% का ही लाभ उठा पाये। इसी प्रकार मशीनी बान बनाने की दशा मे सोसाइटी की भाभड से बने बान से लोगो को 82.9% लाभ हुआ जबकि ठेकेदार से खरीदी भाभड से बने बान से उन्हे केवल 17.1% का ही लाभ मिल पाया। इस अध्ययन से सिद्ध होता है कि यदि ग्रामवासी सांझा वन प्रबन्ध की सोसाइटी बना कर वन विभाग से भाभड घास लीज पर ले और स्वयं मशीनी बान बना कर बाजार मे बेचे तो उन्हे अधिकतम लाभ हो सकता है।

4. सोसाइटियों के समाचार

(i) *नई सोसाइटियाँ*

इस अवधि मे यमुना नगर वन मण्डल की छछरौली रेंज में दो नई सोसाइटियॉ स्थापित की गई जिनका वर्णन निम्न प्रकार है :

हम डारपुर व कासली निवासियों का सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम मे प्रवेश करने का हार्दिक स्वागत करते हैं।

(ii) *चारा घास की लीज का प्रबन्ध*

पिछले वर्षो की भांति इस वर्ष भी ज्यादतर सोसाइटियों ने चारा घास की लीज के प्रबध के लिये दाती परमिट की परिक्रिया अपनाई। स्थानीय स्थिति के अनुसार विभिन्न सोसाइटियो ने इस साल दाती का रेट 20 से 500 रूपये तक निर्धारित किया। दाती रेट निर्धारित करने के लिये सोसाइटियो ने इस बात का ख्याल रखा कि वन विभाग को दी जाने वाली लीज की रकम वसूल हो जाये और कुछ राशि बच भी जाये। परन्तु बहुत सी सोसाइटिया ऐसी हैं जो दाती के पूरे रूपये अभी तक वसूल नहीं कर पाई हैं। जिन्होंने दाती लगाते वक्त लोगों से पूरे रूपये अभी तक वसूल नहीं किये उनको चाहिये कि जल्दी से जल्दी बकाया राशि वसूल कर अपने खाते मे जमा करवा दें।

सढोरा रेंज मे स्थित साहेलपुर सोसाइटी ने भाभड घास की तरह चारा घास की खुली नीलामी मे एक ठेकेदार को इस शर्त पर बेचा है कि ठेकेदार गाव वालो की दाती 100 रूपये के भाव लगायेगा और वह फालतू घास बेच सकता है।

(iii) *भाभड घास की लीज का प्रबन्ध*

अधिकतर सोसाइटियो ने वन विभाग से ली भाभड लीज

क्रम सं०	सोसाइटी का नाम	सोसाइटी का रजिस्टर नम्बर व तिथि	प्रबन्ध कमेटी का चुनाव			
			चुनाव तिथि	प्रधान	सैक्ट्रेरी	खजान्ची
1.	डार पुर	1171 / 5 10.95	9.9.95	श्री नसीरू	श्री राकेश	श्री बेनीप्रसाद
2.	कासली	2151 / 13.10 95	22.9.95	श्री मैहदी हसन	श्री अलीहसन	श्री हनीफ

ुली नीलामी द्वारा स्थानीय ठेकेदारों को इस शर्त पर बेची
: कि गांव के सभी परिवार अपनी निजी जरूरत के लिये
क–दो भार भाभड काट कर मुफ्त ला सकते हैं। इस
म्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ें निम्न प्रकार हैं।

ंस	सोसाइटी	लीज की राशि	बिक्री की राशि
.	मानकपुर–नानकचन्द	39,150	2,10,100
.	मानकपुर–ठाकुरदास	12,430	40,000
.	लोहगढ	27,075	2,02,000
.	धमाला	21,375	1,50,000
	सुखोमाजरी	15,460	1,50,000
.	खेडा व बसौलां	19,595	95,300
.	प्रेमपुरा	12,690	31,000
.	नानकपुरा	26,535	55,000
.	रैहना	6,020	1,11,200
0.	ठसका	28,000	90,000
1.	ढडयो	2,497	58,300
2.	साहेलपुर	72,400	3,40,000

ांहीवाला जैसे कुछ ऐसे गांव भी है जहां के ज्यादातर
ोग भाभड घास से रस्सी व बान बनाने का व्यवसाय करते
। ऐसी सोसाइटियों ने अपनी भाभड़ किसी ठेकेदार को
ेचने की बजाय एक निर्धारित दर पर दाती लगा कर अपने
गांव वालों को बान बनाने के लिये दी।

रायपुर रानी रेंज में स्थित मासूमपुर सोसाइटी ने
स वर्ष एक अनोखा तरीका अपनाया है। उन्होने भाभड
िसी ठेकेदार को न बेच कर स्वयं इसका प्रबंध करने
ा निर्णय लिया ताकि सोसाइटी को अधिक से अधिक लाभ
सके। एक आम सभा मे यह फैसला किया कि भाभड
ाज सम्भालने की जिम्मेदारी सोसाइटी के उस सदस्य
ो दी जाये जो कम से कम कमीशन पर यह काम करने
ी बोली दे। कुल आमदन मे से उसकी कमीशन काटने
बाद बची बकाया आमदन सोसाइटी की होगी। स्थानीय
ारेस्ट गार्ड की उपस्थिति मे की गई एक खुली नीलामी
यह बोली 14% की दर पर मासूमपुर निवासी श्री जगत
ह के नाम छोडी गई। अब इस वर्ष की कुल आमदन
आकडे मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है।

सढोरा रेज मे स्थित काढगढ सोसाइटी ने अपनी
ाड एक ठेकेदार को इस शर्त पर बेची है कि कटाई
काम गाव के लोग करेगे जिसके लिये उन्हे कुल काटी
गई भाभड़ का आधा भाग मजदूरी के रूप में मिलेगा ताकि
बान बनाने के लिये ग्रामवासियों की जरूरत आसानी से
पूरी हो सके।

(iv) *सोसाइटियों द्वारा वृक्षारोपण*

पिजौर रेंज में स्थित मानकपुर नानकचन्द गांव ने इस वर्ष
अपने खर्च पर 10 हेक्टेयर सुरक्षित वन क्षेत्र में वृक्षारोपण
किया। इस वृक्षारोपण में जामुन, सिल्वर ओक तथा खेर
के 4400 पौधे लगाये गए जिस पर उनकी सोसाइटी ने
अपनी आमदन में से 23,629 रूपये खर्च किये।

(v) *पानी के डैमों का निर्माण व रखरखाव*

इस वर्ष शिवालिक बोर्ड के सौजन्य से ठसका, नगली,
धनौरा, इब्राहीमपुर, चौकी तथा राणा जैसे कई गांवों मे डैमी
का निर्माण किया जा रहा है। टेरी टीम की पैरवी में इन
गाव की सोसाइटियों ने डैम के निर्माण, रखरखाव और
प्रबन्ध के लिये डैम कमेटियों का गठन किया है। यह
कमेटियॉ डैम के निर्माण की देखरेख, सोसाइटी द्वारा पाईप
लाईन बिछाने तथा खेतों के नक्शे बनाने व पानी के वितरण
के प्रबन्ध आदि में सहयोग दे रही हैं।

ठसका में नए डैम का निर्माण कार्य

लोहगढ, मासूमपुर तथा साहेलपुर जैसी कई
सोसाइटियो ने अपने डैमो के स्पिलवे की मरम्मत स्वयं
की और डैमों को बरसात में टूटने से बचाया। पम्मूवाला
सोसाइटी ने अपने डैम की दबी हुई हौदी की मिट्टी निकाल
कर साफ की, बन्द पाईप को खोला और स्लूसवाल्व की
मरम्मत की। काढगढ सोसाइटी ने आधी रात को भारी
बरसात मे अपने डैम के बन्धे पर मिट्टी डाल कर टूटने
से बचाया।

साहेलपुर तथा काढगढ़ की सोसाइटी ने अपने खर्च से क्रमशः लगभग 40,000 तथा 30,000 रूपये की लागत से नई पाईप लाईन लगाई। इसी तरह लोहगढ सोसाइटी ने भी अपने खर्च पर नई पाईपें खरीदी है जिन्हें सिंचाई के लिये वे खेतों में स्वयं बिछाने जा रहे हैं।

मासूमपुर तथा रैहना की सोसाइटियाँ मिल कर टांगरी नदी से निकाली गई एक सिंचाई कूल

वन विभाग के अधिकारी चौकी स्थित डैम में दरार का निरिक्षण करते हुए

की मरम्मत कर रही हैं। यह कूल बरसात मे टूट गई थी।

साहेलपुर, बाघपत तथा राणा जैसी कुछ सोसाइटियों ने निर्णय लिया है कि डैम के पानी का वितरण गाव के सभी परिवारों के बीच बराबर–बराबर किया जायेगा। जिन परिवारों के पास खेती की जमीन नहीं है वे अपने हिस्से का पानी निर्धारित दर के दुगने रेट पर जमींदार परिवारो को बेच सकेगे जिसकी आधी राशि सोसाइटी के कोष में जमा की जायेगी और आधी राशि पानी बेचने वाले परिवार को मिलेगी।

5. प्रशिक्षण

इस अवधि मे टेरी ने वन विभाग के सहयोग से सांझा वन प्रबन्ध सम्बन्धित निम्न प्रशिक्षण आयोजित किये ·

क्रम स०	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण का नाम	परीक्षार्थीयो की सख्या
1	10 से 13 अक्टूबर 1995	वनो के बेस लाईन सर्वेक्षण का प्रशिक्षण	14 ब्लाक आफिसर
2.	14 से 17 नवम्बर 1995	पानी के डैमो के निर्माण मरम्मत व रखरखाव का प्रशिक्षण	32 वन रेजर, ब्लाक आफिसर, ड्राफ्ट मैन, सरवेयर, फारेस्ट गार्ड
3	12 से 14 दिसम्बर 1995	पानी के डैमो के निर्माण मरम्मत व रखरखाव का प्रशिक्षण	32 वन रेजर, ब्लाक आफिसर ड्राफ्ट मैन, सरवेयर, फारेस्ट गार्ड

डैमों के प्रशिक्षण के लिये आयोजित फील्ड निरीक्षण मे ग्रामवासियों ने भी भाग लिया। इन प्रशिक्षणो मे डैम निर्माण मरम्मत व रखरखाव के उन पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया जिसके कारण डैम अक्सर बेकार हो जाते हैं।

पाठकों से अपील

पाठको से अनुरोध है, कि वे अपनी सोसाइटी की महत्वपूर्ण घटनाओ तथा साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम सम्बन्धी अपने सुझाव हमे निम्नलिखित पते पर लिखे

श्री आर. पी. डांगे/डा० बख्शीश सिंह
कोऑडीनेटर
जे.एम.यू
फोरेस्ट काम्पलैक्स
पिंजौर 134 102
दूरभाष (01733)21735

श्री उमा शंकर वशिष्ठ
टेरी
1014, सेक्टर - 17
HUDA
जगधारी।
दूरभाष (01732)30006

श्री ओ. एन. कौल
टाटा ऊर्जा अनुसधान सस्थान
दरबारी सेठ ब्लाक
इण्डिया हैबीटेट सेन्टर
लोधी रोड
नई दिल्ली 110 003
दूरभाष 460 1550, 462 224

सम्पादक : डा० बख्शीश सिंह, सहसम्पादक : श्रीमती मीनू महाजन
हरियाणा वन विभाग तथा टाटा ऊर्जा अनुसधान सस्थान (टेरी) द्वारा प्रकाशित एव ग्रेण्ड प्रिक्स, सी–15 सूर्य ऐन्कलेव, दिल्ली–56 द्वारा मुद्रित

Annexure XII

हरियाणा
सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम

न
भाग
रियाणा

टाटा
ऊर्जा अनुसंधान संस्थान
नई दिल्ली

जे एफ एम समाचार पत्रिका

2, अक 4 अप्रैल 1996

सम्पादकीय

जब कभी वनो व वृक्षो के महत्व की चर्चा चलती है । आमतौर पर यही कहा जाता है कि वनो से हमे इमारती कडी, ईधन, चारा, फल, फूल, पत्ती, बास, गोद, बरोजा, रस्सी ो घास और जड़ी बूटी आदि प्राप्त होते है। पर्यावरण के न्तुलन मे वनों और वृक्षो की अप्रत्यक्ष भूमिका को प्राय हम ूल जाते है। दरअसल भूमि एवम जल के सरक्षण, पर्यावरण ो स्वास्थ एवं तरोताजा रखने, जान लेवा कार्बनडाई-ाक्साईड गैस को अपने अन्दर समेट कर जीवन प्राण देने ाली आक्सीजन गैस पैदा करने और वायुमण्डल की गर्मी को कम करने मे वृक्षो की एक अमूल्य व अभूतपूर्व भूमिका है।

आज जहा बढती हुई जनसंख्या के दबाव से वनों का विनाश हो रहा है, वहीं उद्योगों, फैक्टरीयो और अनगिनत मोटर गाड़ियों, वाहनों से निकलने वाली विषैली गैसो वा तरल पदार्थो से वायुमण्डल तथा नदी नालों मे चारों तरफ जहर फैल रहा है। वैज्ञानिको का मत है कि एक हैक्टेयर वन क्षेत्र प्रतिवर्ष अपने पत्तों द्वारा लगभग तीन टन कार्बनडाईआक्साईड जैसी विषैली गैसों को चूस लेता है और दो टन जीवन दायक आक्सीजन गैस वायुमण्डल में छोडता है। इस प्रकार गंदे धुए और जहरीली गैसो को पीकर वृक्ष हमारे लिए स्वच्छ वायु प्रदान करते है तथा धरती को गलास-हाऊस प्रभाव के प्रकोप से बचाते है। इसलिए वृक्ष ईश्वर की सबसे उत्तम देन है।

नस्पति रहित नंगी व टूटती शिवालिक पहाडियों का एक दृश्य।

वर्षा के जल को भूमिगत करने मे भी वनो का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। वनो की अनुपस्थिती में मिट्टी और पानी हाथ से ही निकल जाते हैं। एक बार ये हाथ से निकले नही, कि ये वापिस नही आते। नगी धरती पर प्रहार करता पानी अपने साथ मिट्टी काट कर ले जाता

है तथा निचले क्षेत्रो में बाढ़ का कारण बनता है। परन्तु वनों से ढकी धरती पर वर्षा का पानी वृक्षों की टहनियो, तनों और जडो के साथ भूमि में समा जाता है और फिर सारा साल चश्मों, कुओं व नदियों मे रिस–रिस कर आता रहता है। इस प्रकार वन भूक्षरण, भूचाल, बाढ, सूखा, आधी तूफान जैसी प्राकृतिक विपदायो को बहुत हद तक नियन्त्रित करने मे सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त वर्षा की मात्रा का सन्तुलन बनाये रखने मे भी वनों का एक बहुत बडा योगदान है।

यदि हम अपने क्षेत्र वा देश को खुशहाल बना चाहते है तो हमे अपने वनो के बचाव व सरक्षण के कार्यो जुट जाना चाहिए। अपनी पर्वतीय वन सम्पदा प्रबन्ध सोसाय की गतिविधियो मे रूचि लेते हुए साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम सफल बना कर अपनी तथा आने वाली पीढियो का कल्य करें।

बख्शीश सिंह

तालिका 1

हरियाणा वन विभाग		पहाडी साधन प्रबंधन सोसायटी	
अवस्था अधिकार	जिम्मेदारिया	अधिकार	जिम्मेदारियां
जारी कार्यान्वयन			
• यदि कोई प स प्र सो अपनी जिम्मेदारिया ठीक प्रकार से नही निभा रही है तो प स.प्र.सो. की फेडरेशन के सामने उसका केस रखना, • वितरण नियमो व उनके खातो की निगरानी करना।	• यह देखना कि प स प्र सो को बढे हुए उत्पादन का हिस्सा मिल रहा है। • प स.प्र.सो. के पंजीकरण मे सहायता और उसके कार्य पर निगरानी रखना व उसे सुधारने मे मदद करना। • खातो की वार्षिक जांच और वार्षिक चुनावो का निरीक्षण करना।	• समझौते के अनुसार बढी पैदावार व आमदन का हिस्सा ले सकना।	• प स प्र सो की आमदनी का कुछ भाग सयुक्त प्रबधन क्षेत्र के सुधार मे लगाना। • सभी जिम्मेदारियो को पूरा करना।
झगडों की मध्यस्थता			
• पहाडी साधन प्रबधन सोसायटी के बीच या किसी भी सोसायटी और हरियाणा वन विभाग के बीच झगडो को निपटाने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को मध्यस्थता करने के लिए मनोनीत करना।	• पहाडी साधन प्रबधन सोसायटी के वाद विवाद को सुलझाने के लिए सहायता करना।	• दोषी सदस्यो पर उचित जुर्माना लगाना एव आदतन दोषी सदस्यो की सदस्यता समाप्त करना। • आवश्यकतानुसार नियमो का सुधार करना।	• सदस्यो के बीच के वा विवाद को सुलझाना। • असदस्यो द्वारा नियमो की अवहेलना करने पर व वि को सूचित करना।

ा वन प्रबन्ध अपनाने से वनों की स्थिति में सुधार हुआ है और चारा
खूब मिलने लगी है।

क्त वन प्रबन्ध की नीति

पिछले तीन अको में हमने हरियाणा सरकार की वन प्रबन्ध नीति की धारा एक, दो तथा तीन के पहरा 3.2 और 3.3 के कुछ भाग को प्रकाशित किया था। क मे हम धारा 3.3 के शेष भाग को प्रस्तुत कर रहे

तालिका 1 में वर्णित पहाडी प्रबधन सोसायटियो की शन अभी नही बनी है। इस सम्बध मे टेरी की टीम ने विभिन्न यटियो व वन विभाग के कर्मचारियो से समय–समय पर की है। आशा है कि साझा वन प्रबन्ध नीति की उद्देश्य लिए सोसायटियो की फैडरेशन का गठन जल्दी ही किया ा।

ा वन प्रबन्ध के अर्न्तगत डैमों में मछली न

शिवालिक खण्ड के कई गावो मे पानी को जौहड मिलते सके अतिरिक्त वन विभाग ने भी गाव से लगे वन क्षेत्रो ले कुछ सालो मे पानी के डैम बनाये है जिनमे सारा साल रहता है। प्राय इन जोहडो व डैमो का पानी सो को पिलाने या खेती सिचने के काम मे ही लाया रहा है। विभिन्न गाव मे उपलब्ध ऐसे पानी के भण्डारो ली पालन के लिए उपयोग कर वन समुदायो के आर्थिक विकास की सम्भावनाओं की पुष्टी से टेरी की टीम ने एक अध्ययन किया। इस अध्ययन से प्राप्त जानकारी के कुछ अंश निम्न प्रकार हैं।

कुछ सोसायटियों ने मछली पालन की शुरुआत की है परन्तु यह अभी जौहड़ों व डैमों को मछली पालन के लिए ठेके पर देने तक ही सीमित है। मछली पालन की तकनीकी जानकारी व अनुभव न होने के कारण ग्रामवासी यह काम स्वयं करने से डरते हैं। इसलिए अपने डैम को किसी ठेकेदार को एक निर्धारित सालाना दर पर देना बेहतर समझते हैं।

मछली पालन केवल उन जौहडो व डैमो मे ही किया जाना चाहिए जिनमें पानी सारा साल रहता हो। यदि वर्षा के दिनो मे पानी की सम्भावना डैम से बाहर निकलने की हो, तो सपीलवे के ऊपर उचित आकार की जाली फिट करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार जिन डैमो से खेती की सिंचाई की जाती हो उन की निकास पाईप या हौदी के मुंह पर भी जाली लगानी पड़ेगी ताकि छोटी–छोटी मछलियां तालाब से बाहर न चली जायें। डैम बनाते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पानी मे डूबने वाले क्षेत्र से काटे गए पेड़ों के ठूंठ वा जडें खोद कर निकाल दी जायें ताकि मछली पकडते समय जाल ऐसे ठूठों में न फंसे। तालाब के ईर्द–गिर्द पेड पौधे व घास होनी जरूरी है जिनसे मछलियों को साया व भोजन मिल सके।

गाव के जौहडों मे भैसों आदि के घुसने से जो गोबर पानी मे मिल जाता है वह मछलियों की खुराक का काम देता है, परन्तु डैम की झील मे पशु नहीं जाते। वहां मछलियो की बढत के लिए पानी में खाद व फीड भी डालनी पडेगी। खाद व खुराक (फीड) कितनी, कब और कैसे डाली जाए इस की ठीक जानकारी होना बहुत आवश्यक है। मछली पालन विभाग के निर्देशन के अनुसार एक हैक्टेयर जलाशय मे 100 क्विंटल कच्चा गोबर, 1380 किलो नाईट्रोजन खाद, 500 किलो मुर्गी खुराक, 600 किलो सरसों की खली, 600 किलो चावल का छिलका, 300 किलो हड्डी का चूरा प्रति वर्ष डालना चाहिए जिन पर अनुमानित 46,000/- रूपये खर्च आयेगा। इसी तरह जाल आदि खरीदनें, तालाब को साफ करने और शुरू मे चूना डालने पर लगभग 13,000/- रूपये का खर्च हो सकता है।

तालिका 2

क्रम संख्या	सोसायटी का नाम	सोसायटी का रजिस्ट्रेशन नम्बर व तिथि	प्रबन्ध कमेटी का चुनाव			
			चुनाव तिथि	प्रधान	सैक्टरी	खजान्च
1.	राणा	2479 दिनांक 4.1.96	15.12.95	जोगिन्दर सिंह	तेजराम	रचना
2.	रामपुर	2478 दिनाक 4.1.96	20.12.95	बनारसी दास	धर्मपाल	पाला
3.	इबराहिम पुर	2707 दिनांक 7.2.96	25.1.96	असलम	मुन्शी खान	अली
4.	धनौरा	2706 दिनाक 7.2.96	20.1.96	शमशेर सिह	मेहमा सिह	माम च

हर वर्ष प्रति हैक्टेयर तालाब या झील क्षेत्र मे 20,000 मछलियो के बच्चे बीज के रूप मे डालने होगे। मछली का बीज पानी में डालने के चार पाच माह बाद ही मछली की फसल मिलनी शुरु हो जाती है। अच्छी उपज लेने के लिए झील की अलग–अलग गहराईयो मे पलने वाली मछली की किस्मो का मिश्रण बीज के रूप मे प्रयोग करे। जैसे कि रोहू, कटला, मृगगाली व कोमनकारप आदि। इन किस्मो के उपयुक्त मिश्रण से 9 माह की अवधि मे 8,000 किलो प्रति हैक्टेयर तक मछली उत्पादन प्राप्त किया जा सकता अच्छी किस्मो का मछली बीज मछली पालन विभाग से रूपये प्रति 1,000 बीज की दर से खरीदा जा सकत मछली का बीज हर साल पानी मे दो बार डाला जात पहले बरसात के दिनो जुलाई–अगस्त मे और फिर ब के बाद अक्टूबर–नवम्बर मे। इसी प्रकार खाद वा खुरा रोजाना एक से आठ किलो प्रति हैक्टेयर के हिसाब से जाती है। शुरु मे यह खुराक एक या दो किलो रोजाना जैसे–जैसे मछली का आकार बढता खुराक की रोजाना मिकदार बढाते खुराक को पानी मे डालने से पहले भिग रखे और थोडी–थोडी मात्रा मे कई स्था डाले।

वन विभाग द्वारा बनाए पानी के डैम से सिचाई मिलने के फलस्वरूप भरपूर गेहू की फसल होने लगी है

उपरोक्त अनुसार मछली पालन से पहले साल 4,800 किलो मछली उ होगा, दूसरे साल 5,600 किलो। साल से हर साल 6,400 किलो मछली होगी। यदि मछली की बिक्री दर रूपये प्रति किलो माना जाये और कार्यो पर खर्च की गई पूजी का ब्याज 16 प्रतिशत माना जाए तो पालन से ग्रामवासियो की प्रति है तालाब से पहले साल 10,000/- रूपये

ाका 3

या	प्रशिक्षण की तिथि	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण का स्थान	भाग लेने वाली सोसायटियों का नाम	प्रशिक्षायों की संख्या
	16.1.96	ग्रामवासियों का प्रशिक्षण शिवर	रामपुर गाव	राणा, भुलाखेड़ी, रामपुर, ढडियों मीरपुर	35
	21.1.96	ग्रामवासियो का प्रशिक्षण शिवर	नानकपुर	नानकपुर, कोना	24
	11.2.96	ग्रामवासियो का प्रशिक्षण शिवर	पानीवाला	पानीवाला, उत्तमवाला	42
	13.2.96	प्रबन्ध कमेटियो के सदस्यो का प्रशिक्षण	ठसका गाव	ठसका	15
	20.3.96	महिलाओ का प्रशिक्षण शिवर	खेडा गाव	खेडा, बसौला	37
	23.3.96	महिलाओ का प्रशिक्षण शिवर	साहेलपुर	साहेलपुर	50

34,000/- रूपये, और तीसरे साल से हर साल
0/- रूपये का लाभ हो सकता है।

ायटियों के समाचार

ई सोसायटियां इस अवधि मे मोरनी तथा यमुना नगर
डलो मे दो–दो नई सोसायटिया स्थापित की गई जिनका
तालिका 2 मे दिया गया है।

मों के निर्माण में सोसायटियों का योगदान

अम्ब के पास सढोरा रेज की ठसका बीट मे एक नए
निर्माण किया जा रहा है। ठसका वासी एक पहाडी
प्रवध सोसायटी बना कर अपने साथ लगे जगल
रेख करत रहे है। उन की माग थी कि उनके जगल
पानी का डैम बनाया जाये। उनकी इस माग पर
करने के लिए ग्रामवासियो से चर्चाए हुई। टेरी की
उन्हे बताया कि डैम बनाना अपना घर बनाने की
तरह है। निर्माण कार्य शुरु करने से पहले डैम बनाने की जगह का चयन बहुत सावधानी से करें ताकि डैम मजबूत बने, पानी अधिक इकट्ठा हो, गाव के सब खेतों की सिंचाई हो सके, पाईप लाईन कम लगे और अधिक से अधिक परिवारों को डैम से लाभ हो। इन सब मुद्दो को तय करने के लिए सोसायटी ने एक डैम कमेटी का गठन किया जिसने वन कर्मचारियो के साथ मिल कर डैम के विभिन्न पहलूओ सम्बधी निर्णय लिए। डैम निर्माण के विभिन्न स्तरो मे ग्राम वासियो ने पूरी रूचि से जम कर भाग लिया। अब यह डैम बन कर तैयार हो गया है जो ग्राम वासियो और वन विभाग के साझे प्रयासो का एक सुन्दर उदाहरण है।

ठसका की भान्ति नगली, धनौरा, इबराहिम पुर, चौकी और राणा मे भी डैम निर्माण कार्यो मे उनकी सोसायटियों ने बढचढ कर भाग लिया। वे सब लोग हमारी प्रशंसा के पात्र हैं।

(iii) ***सोसायटियों के रिकार्ड का रख रखाव***: टेरी की टीम तथा स्थानीय वन कर्मचारियो ने मिल कर विभिन्न सोसायटियो का भ्रमण किया। वर्ष 1995-96 मे सोसायटियो द्वारा किए गए कार्यो का जायजा लिया और उनके रजिस्टरो, रिकार्ड व बही खाते आदि को चैक किया ताकि अप्रैल 1996 से शुरु होने वाले माली साल से पहले सभी सोसायटियां अपने रिकार्ड व हिसाब–किताब को ठीक कर सके। कई सोसायटियां ऐसी भी पाई गई जिन्होने अभी तक डैम के पानी व घास की दाती आदि के पैसे पूरी तरह इकट्ठे नही किए है। किरत पुर तथा रहेना जैसी कुछ ऐसी भी सोसायटियां थी जिन्होने अभी भाभड की पूरी रकम ठेकेदार से नही वसूली। ऐसी सोसायटियो को अपना हिसाब जल्दी, माह अप्रैल से पहले–पहले ठीक कर लेने की सलाह दी गई। अगले वर्ष सब सोसायटियो को रहना चाहिए कि ऐसी वसूलियों मे उधार न किया ज सोसायटी की आमदन समय से अपने बैक खाते मे ज रहे।

प्रशिक्षण

इस अवधि में टेरी की टीम व वन विभाग हरियाणा ने सांझा वन प्रबन्ध को बढाने के लिए कुछ प्रशिक्षण आयोजित किए। जिनका विवरण तालिका 3 मे दिया

महिलाओ के प्रशिक्षण मे साझा वन प्रबन्ध के अ महिलाओ के आत्म विश्वास, साक्षरता, तथा आर्थिक बढावा देने की विधियो पर भी चर्चाए हुई।

पाठकों से अपील

पाठको से अपील है, कि वे अपनी सोसाइटी की महत्वपूर्ण घटनाओ तथा साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम सम्बन्धी अपने सुझाव हमे निम्नलिखित पते पर लिखे

डा० बख्शीश सिह
टाटा ऊर्जा अनुसाधन
सस्थान (टेरी)
1594, सैक्टर 36-D
चण्डीगढ - 160036
दूरभाष (0172)-605451

कोऑडीनेटर
जे एम यू
हरियाणा वन विभाग
फोरेस्ट काम्पलैक्स
पिजौर 134102
दूरभाष (01733)21735

श्री उमा शकर वशिष्ठ
टेरी
1014, सेक्टर - 17
HUDA
जगाधारी, (हरियाणा)
दूरभाष (01732)30006

श्री ओ. एन. कौल
टाटा ऊर्जा अनुसधान सस्थान (टे
दरबारी सेठ ब्लाक
हेबीटेट प्लेस
लोधी रोड
नई दिल्ली 110003
दूरभाष 4601550, 4622246

सम्पादक . डा० बख्शीश सिह

हरियाणा वन विभाग तथा टाटा ऊर्जा अनुसधान सस्थान (टेरी) द्वारा प्रकाशित एव ग्रेण्ड प्रिक्स,ए–175 हरी नगर दिल्ली–64 द्वारा मुद्रित।

हरियाणा

सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम

ाग
याणा

टाटा
ऊर्जा अनुसंधान संस्थान
नई दिल्ली

जे एफ एम समाचार पत्रिका

3, अक 1

जुलाई 1996

न्देश

आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व हरियाणा में साझा वन प्रबन्ध प्रणाली पर एक प्रयोग शुरु किया गया था। आरम्भिक सफलता के अनुभवों के आधार पर वर्ष 1990 से सांझा वन प्रबन्ध का एक विशेष कार्यक्रम शिवालिक खण्ड मे चलाया रहा है। इस कार्यक्रम को हरियाणा मे सस्थानिक रुप के लिए फोंड फाउंडेशन की वित्तिय सहायता से टाटा र्जा अनुसधान सस्था (टेरी) की टीम हरियाणा वन विभाग आवश्यक "बैक अप" सहायता दे रही है।

इस कार्यक्रम के अर्न्तगत ग्रामवासी अपनी सोसायटी ा ार साथ लगे वन क्षेत्रो की रक्षा व प्रबन्ध मे वन विभाग सहयोग दे रहे है। साझा वन प्रबन्ध के फलस्वरूप वासियो को वन उपज सस्ते दामो पर मिल रही है जिससे केवल वनो का विकास हो रहा है बल्कि इस क्षेत्र मे गरीबी कम करने मे भी इस कार्यक्रम की एक अहम भूमिका साझा वन प्रबन्ध से ग्रामवासियो को भाभड घास, चारे घास एव हरी पत्तियॉं, जलाऊ लकडी, छोटी मोटी इमारती कडी तथा अन्य वन उपज आसानी से मिल जाने के कारण गो की आर्थिक स्थिति मे क्रान्तिकारी सुधार हो रहा है। के अतिरिक्त, वन विभाग द्वारा बनाए गए पानी के डेमो केसानो को सिचाई का पानी मिलने लगा है जिससे इस ा ग्रस्त क्षेत्र मे हरित क्रान्ति आ रही है।

मुझे पूरा यकीन है कि ग्रामवासी दृढता से साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम में वन विभाग को पूरा योगदान देते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने मे हर सम्भव प्रयास करते रहेगे।

बनारसी दास
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा

सम्पादकीय

जे एफ एम समाचार पत्रिका के प्रकाशन के दो वर्ष पूरे हो गए है। तीसरे वर्ष का पहला अंक आपको भेजते समय, साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम की अब तक की उपलब्धियों व समस्याओ की समीक्षा करते हुए हमारा ध्यान भविष्य की ओर भी अग्रसर हो रहा है।

जैसा कि आपको मालूम ही है हरियाणा सरकार ने जून 1990 में सांझा वन प्रबन्ध नीति को अपनाया था। इस नीति के अर्न्तगत शिवालिक पहाडियो के अवनत वनो की बिगडती हालत को सुधारने के लिए वन विभाग तथा स्थानीय समुदाय मिलकर इन वनो का प्रबन्ध कर रहे है। वर्ष 1993 तक यह कार्यक्रम मोरनी–पिन्जौर के वनो तक ही सीमित था, परन्तु वर्ष 1994 के मध्य मे अम्बाला एव यमुनानगर वन मण्डल मे भी इस कार्यक्रम को लागू किया गया है। टाटा ऊर्जा अनुसधान सस्थान (टेरी) की टीम के सहयोग से पिन्जौर की भाति यमुनानगर मे भी एक साझा वन प्रबन्ध केन्द्र स्थापित किया गया है। पिजौर तथा यमुनानगर मे स्थित दोनो केन्द्र हरियाणा वन विभाग तथा वन समुदायो के बीच एक बेहतर कार्यप्रणाली

विकसित करने, सोसायटियो की स्थापना करने तथा जगलों के पोषणीय प्रबन्ध हेतु अधिकारों एवं जिम्मेवारियों का स्पष्ट रूप से निर्धारण करने का कार्य कर रहे है। इस कार्यक्रम के संचालन में टेरी का संसाधन दल सक्रिय सहायता प्रदान कर रहा है जिसके लिए फोर्ड फाउण्डेशन वित्तिय सहायता दे रहा है।

कार्यक्रम का मूल उद्देश्य स्थानीय समूदायो को इन वनो के पोषणीय आधार पर सुरक्षा एवं प्रबन्ध के लिए प्रेरित करना है। इससे न केवल वनों से लोगो की रोजमर्रा की आवश्यकताए ही पूर्ण होगी बल्कि वन सम्पदा के सरक्षण व पुर्नउत्पादन से पर्यावरण के सतुलन को बढावा मिलेगा।

साझा वन प्रबन्ध प्रणाली सुखोमाजरी व नाडा से शुरु होकर आज पूरे शिवालिक खण्ड अर्थात उत्तर प्रदेश सीमा से लेकर हिमाचल प्रदेश व पजाब की सीमाओ तक लगभग 150 किलोमीटर दूरी मे फैल गई है। साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम के सचालन के लिए पहाडी सम्पदा प्रबन्ध सोसायटियां बनाई जा रही है। जब वर्ष 1990 मे टेरी के ससाधन दल ने हरियाणा मे काम शुरु किया उस वक्त केवल एक दर्जन के करीब ही कार्यात्मक (फन्कशनल) सोसायटिया थी। आज मोरनी तथा यमूना नगर वन मण्डलो मे 56 कार्यात्मक सोसायटिया स्थापित हो गई है। कुल 56 सोसायटियो मे से 51% सोसायटिया एसी हैं जो पिछले एक वर्ष मे कार्यात्मक हुई है।

पिछले वर्ष साझा वन प्रबन्ध प्रशिक्षण अभियान पर अधिक बल देते हुए 201 वन कर्मचारियो, 132 सोसायटियो के पद धारको तथा लगभग 200 ग्रामवासियो को औपचारिक प्र
दिया गया जिसमें लगभग 90 महिलाये भी शामिल थी

वर्ष 1994 मे केवल 10 सोसायटियो ने चारा घार
15 सोसायटियों ने भाभड घास की लीज ली थी परन्तु वर्ष
मे 24 सोसायटियो ने चारा घास और 27 सोसायटियो ने
घास की लीज लेकर साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम मे बढच
भाग लिया। चारा घास व भाभड घास की लीज के नि
हेतु सोसायटियों ने भिन्न–भिन्न प्रकार की प्रबन्ध प्रण
अपनाई जिनके समीक्षण से भविष्य के लिए उपयुक्त मार्ग
मिलेगा। पिछले वर्ष कुछ सोसायटियो के वन क्षेत्रो के
बटवारे की समस्याए उभर कर सामने आई जिनको आम
की सहमती से बातचीत द्वारा निपटाया गया।

हरियाणा सरकार की साझा वन प्रबन्ध नीति को
ढग से कार्यान्वित करने के लिए जे एफ एम के ड्राफ्ट
अभी सरकार के स्तर पर लम्बित है। उम्मीद है कि इ
इन निगमो को कार्यान्वित करने की अनुमति मिल जायेग
कार्यक्रम मे तेजी लाने के लिए इस वर्ष सोसायटियो
फैडरेशन बनाना भी प्रस्तावित है। हमे पूरी उम्मीद है
समुदायो व वन विभाग के आपसी तालमेल को बढावा
साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम को सुदृढ बनाने मे टेरी की टीम
मे भी सक्रिय भूमिका निभाती रहेगी।

-- बख्शी

संयुक्त वन प्रबन्ध की नीति :

जे एफ एम समाचार पत्रिका के जुलाई 1995 अक से हमने हरियाणा सरकार की सयुक्त वन प्रबन्ध नीति को धारावार प्रकाशित करना शुरु किया था। इस अक मे उस नीति के आखरी भाग– "बढी पैदावार मे हिस्सेदारी" को आपकी जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है

बढी पैदावार में हिस्सेदारी

हरियाणा वन विभाग ओर पहाडी साधन प्रबधन सोसायटी के बीच बढी पैदावार मे हिस्सेदारी का आधार विभिन्न स्थितियो मे निम्न हो सकता है -

– जहा पर निजी ठकेदारो को घास का ठेका नीलामी द्वारा बेचने की प्रथा चल रही है, वहा पर पिछले तीन वर्षो की औसतन आय पर प स प्र सो को घास का ठेका दि
सकता है। चूकि दाती से काटी घास अधिकतर निर्धन प
द्वारा प्रयोग की जाती है, वर्ष के बाद ठेके की की
5 प्रतिशत बढाया जा सकता है।

– जिन क्षेत्रो मे घास के ठेके बेचने की पद्धति लागू
और ग्रामीणो को मुफ्त मे पशु चराने का अधिकार प्र
वहा उनसे चराने की प्रक्रिया बन्द करवानी और
दाती द्वारा घास काटने के लिये कीमत लगा देना बहुत
होगा (नाडा इसका एक उदाहरण है)। हरियाणा वन
को इस प्रकार के क्षेत्रो मे घास काटने के लिये धन
लागू नही करनी चाहिए। पहाडी साधन प्रबधन सोसाय
यह निर्धारित कर सकती है कि कम से कम कर ल
किस प्रकार वह अपना व्यय पूरा करे।

जहा पर हरियाणा वन विभाग किसी पहाडी साधन

...ायटी के सदस्यों को जंगल से बांस सस्ते में मिल जाने से रोजगार ...ाधन बढे हैं।

निगरानी हर वर्ष की जानी चाहिए। बिक्री प्राप्ति का आधा हिस्सा प.स.प्र.सो. द्वारा या तो वन के संयुक्त प्रबंध में या दूसरे सामाजिक विकास में, जो सभी के लिए लाभप्रद हो लगाया जा सकता है। वह शर्त समझौते में शामिल की जा सकती है।

- लकडी, कत्था, फल, औषधि संबंधी जडी–बूटियों इत्यादि की पैदावार की बिक्री द्वारा प्राप्त राशि में हरियाणा वन विभाग एवं पहाड़ी साधन प्रबंधन सोसायटी का बराबर हिस्सा रखा जा सकता है। प.स.प्र.सो अपनी आमदन का कुछ भाग अपने संयुक्त वन प्रबध क्षेत्र में उसकी पैदावार और बढ़ाने के लिए लगा सकती है।

...सायटी के लिए किसी बाध या कूल पद्धति को बनाने या ...ार द्वारा सिचाई योग्य पानी उपलब्ध करवाता है, तो इस ...स्था मे हरियाणा वन विभाग ही प्रारम्भिक आर्थिक खर्च ...गा। नाडा गांव की तरह पहाडी साधन सोसायटी के ...दस्य पाईप लाईन लगाने के लिए खुदाई करने का श्रम ...र्य स्वेच्छा से कर सकते है। तथापि, पहाड़ी साधन प्रबंधन ...सायटी के सदस्यता आकार को ध्यान में रखते हुए समझौते ...यह शर्त रखी जा सकती है कि जब यह पद्धति सही रूप ...कार्य करने लग जाये तो उसके बचाव, रख–रखाव व ...म्मत पर होने वाले खर्च की व्यवस्था ...दस्यो पर पानी की दर लगा करके पूरा ...या जायेगा। अतिरिक्त रख–रखाव एवं ...निर्माण के लिए हरियाणा वन विभाग ...ल विशेष परिस्थितियो मे जैसे कि बांध ...रार आ जाना, भूमि कटाव की अधिक ... एव तकनीकी गलती को सुधारने के ...ए अतिरिक्त आार्थिक सहायता देगा।

...ाड जैसे व्यापारिक उत्पादन के लिये ...रम्भ मे प.स प्र.सो से लिए जाने वाले ...टेदारी कीमत को पिछले तीन वर्ष मे ...ामी द्वारा प्राप्त कीमत के औसत के ...बर रखा जा सकता है। तथापि, प स ...ो को पुन बिक्री से प्राप्त आमदनी की

शिवालिक क्षेत्र के पुर्नजन्म में महिलाओं की भागीदारी

हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और इसके केवल 3.9% क्षेत्रफल पर प्राकृतिक वन पाये जाते हैं। इन प्राकृतिक वनो का 25.29% भाग शिवालिक खण्ड में पडता है। इस प्रकार शिवालिक क्षेत्र में बसे लोगों की निर्भरता खेती बाडी के अलावा इन वनो पर बहुत आधारित है। सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम अपनाये जाने से अब वन समुदायों का वनों से सम्बन्ध और भी घनिष्ट हो गया है। जन समुह की आधी आबादी महिलाये हैं। महिला वर्ग

सांझा वन प्रबन्ध अपना कर अपने ही वनों से प्राप्त भाभड घास से बान बनाती महिलाएं।

सोसायटी द्वारा शुरू किए गए बच्चों के स्कूल का एक दृश्य।

की सामाजिक व आर्थिक स्थिति मे साझा वन प्रबन्ध के योगदान का जायजा लेने के लिए टेरी की टीम ने कुछ गावों मे एक अध्ययन किया जिसके परिणाम सक्षिप्त में यहा प्रेशित किये जा रहे हैं।

कालका में बसे भंजड़ा समुदायो के लोग टोकरिया बनाने का काम करते है जिसके लिए बांस की पूर्ति वे आसपास के जंगल से करते है। जगल से बास काटकर लाने, उसे साफ करने और तराशनें का काम पुरुष करते है जबकि महिलाये घर गृहस्थी को सम्भालने के अलावा तराशे हुए बास से टोकरिया बनाने का काम करती है। वर्ष 1990 से पहले इन लोगों को हर साल केवल 6 महीने के लिए 50 बास प्रति माह मिलते थे जिसके लिए उन्हे वन विभाग को 30 रूपये प्रति 100 बांस की दर से कीमत देनी पड़ती थी परन्तु वर्ष 1990 मे सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम के अर्न्तगत भजड़ो की सोसायटी बन जाने के बाद अब इन्हें हर साल 9 महीने के लिए 100 बांस प्रति माह मिलने शुरु हो गए है जिनकी कीमत घटा कर 7 रूपये प्रति 100 बास कर दी है। इस रियायत के बदले ये लोग वनों की रक्षा व आग आदि से बचाव की जिम्मेदारी लेते है। इस तरह भजडा महिलाओ को घर बैठे बेहतर रोजगार ओर कमाई का साधन प्राप्त हो गया है। 25 ईच ब्यास की टोकरियां बना कर अब एक महिला प्रति माह 452 रूपये कमा लेती है तथा साझा वन प्रबन्ध लागू होने से उनकी सलाना आमदन मे 57.3% बढोतरी हुई है।

मसूमपुर गाव मे लोगो का व्यवसाय खेती बाडी व पशु पालन है। चारा व ईधन के लिए इनको पास के वनो में हक है परन्तु पेपर मिल का ठेकेदार चारा घा[...] आदि लाने के लिए ग्रामवासियों को जंगल [...] घुसने से रोकता था। सांझा वन प्रबन्ध [...] अर्न्तगत अब इस गांव की सोसायटी बन जा[...] के बाद ग्रामवासियों की चारा घास की समस्[...] दूर हो गई है। पहले महिलाओं को लगभ[...] तीन किलोमीटर दूरी से पीने का पानी, अप[...] तथा पशुओं के लिए सर पर उठा कर ला[...] पडता था, परन्तु वन विभाग द्वारा इस गां[...] मे एक डैम बनाये जाने के बाद महिलाओ [...] बहुत सी समस्याएं दूर हो गई हैं। डैम का पा[...] न केवल पशुओं के काम आता है बल्कि सु[...] के दिनों में पानी की घरेलू जरूरतें भी इ[...] डैम से पूरी हो जाती है। इस प्रकार महिलाअ[...] की रोजमर्रा की जिन्दगी आसान हो गई है और उनके पा[...] अब घरेलू कामो के लिए अधिक समय बचता है।

काहीवाला गाव मे बंजारा समुदाय के लोग मुख्यता बा[...] बनाने का काम करते है और थोडी बहुत खेती व पशु पाल[...] भी कर लेते है। इस गांव की महिलायें बान बना कर पारिवारि[...] आमदनी बढाने मे एक अहम भूमिका निभाती है। बजारा पुरु[...] बान बनाने के लिए जंगल से भाभड घास काट कर लाते [...] और फिर बान बन जाने के उपरान्त उसे बेचने का काम कर[...] है। बान बनाने का काम प्राय महिलाए ही करती है। साझा [...] प्रबन्ध कार्यक्रम अपनाने से पूर्व ये लोग भाभड घास ठेकेद[...] से या बाजार से महगे दामो पर खरीदते थे। परन्तु अब इन[...] सोसायटी वन विभाग से भाभड घास की लीज लेती है जिस[...] इन्हे भाभड घास अपने ही जंगल से सस्ते दामो मे मिल जा[...] है। ठेकेदार से भाभड खरीद कर बनाये बान से इन्हे केव[...] 55/- रूपये प्रति क्विटल बान के बचते थे परन्तु अब सोसाय[...] के माध्यम से मिली भाभड घास के बान को बेचने से इ[...] 210/- रूपये प्रति क्विटल बचत होने लगी है। इस प्रकार सा[...] वन प्रबन्ध कार्यक्रम अपनाने से न केवल लोगो को आसानी [...] भाभड घास मिलने लगी है बल्कि इनके आर्थिक लाभ मे [...] महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

लोहगढ गाव के ज्यादातर लोग जाट समूदाय के है [...] खेती बाडी और पशुपालन का काम करते है। इसके अल[...] कुछ परिवार हरिजनो और पिछडी जाति के लोगो के भी [...] वन विभाग ने इस गाव मे 2 पानी के डेम बनाये है। साझा [...] प्रबन्ध अपनाने से अब लोगो को चारा घास सस्ते मे मि[...] लगी है। पहले चारा घास की दाती के लिए लोग ठेकेदार

/- से 600/- रूपये देते थे परन्तु सोसायटी बनने के उपरान्त वही दाती 150/- से 200/- रूपये में मिल जाती है, इससे ड़े वर्ग के लोगों को बहुत राहत मिली है। डैम का पानी ने से चारे की फसलें खेतो में होने लग गई है जिससे लाओं की पशु पालन के कार्यो में बहुत सुविधा हुई है।

उपरोक्त अध्यन से पता चलता है कि सांझा वन प्रबन्ध क्रम अपनाने से जहां एक तरफ गाव की आर्थिक स्थिति ाम सुधार हुआ है वहां महिला वर्ग को भी अपने रोजमर्रा ार्यो मे बहुत सुविधायें व राहत मिली है। महिलाओ का ायटियो की प्रबन्ध कमेटी के पदों पर चयन व नियुक्त होने हिलाओ के सामाजिक स्तर मे भी वृद्धि हुई है। अब महिलाओ वनो के प्रबन्ध हेतु अपने विचार व योगदान देने का पूरा तर मिल रहा है।

ायटियों के समाचार

नई सोसायटियां : इस अवधि मे दो नए गाव अपनी–अपनी ी सम्पदा प्रबन्ध सोसायटी बना कर साझा वन प्रबन्ध क्रम मे शामिल हुए है। इन सोसायटियो का विवरण तालिका दिया गया है।

हम इन दोनों नई सोसायटियो का हार्दिक स्वागत हुए इनकी सफलता की शुभ कामनाए करते

सोसायटियों की प्रबन्ध कमेटियों के चुनाव : टेरी ीम ने वन विभाग के स्थानीय कर्मचारियो के सहयोग से समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार 12 मई से 8 जून 1996 रोजाना विभिन्न सोसायटियो मे आम सभाये आयोजित जिनमे प्रत्येक सोसायटी की वर्ष 1995-96 की गतिविधियो, जोखा, उपलब्धियो पर विचार व चर्चा के उपरान्त वर्ष 1996-97 हेतु नई प्रबन्ध कमेटियों का चुनाव किया गया। आमतौर पर यह चुनाव ग्रामवासियों की सर्वसम्मति से निरविरोध सम्पन्न हो गए। सोसायटी के रोजमर्रा के कार्यो को चलाने के लिए हर गांव मे नई प्रबन्ध कमेटियों के लिए 7 से 11 सदस्य चुने गए जिनमे से एक प्रधान, एक सैक्टरी और एक खजान्ची नियुक्त किया गया। बाकी के 4 से 8 लोग प्रबन्ध कमेटी के कार्यकारी सदस्य होंगे। हर एक कमेटी में महिलाओ व पिछडे वर्ग के लोगों को प्रयाप्त सदस्यता दी गई है। हम आशा करते है कि विभिन्न सोसायटियों के लिए चुनी गई कमेटियो के सदस्य अपनी पूरी जिम्मेदारी व सूझबूझ से अपने वन क्षेत्र की रक्षा व पुर्नजन्म मे वन विभाग को हर सम्भव सहयोग प्रदान करते हुए अपनी सोसायटियों को उन्नति की डगर पर ले जायेगे।

(iii) ***सोसायटियों द्वारा विकास के कार्य :*** विभिन्न सोसायटियो की वर्ष 1995-96 मे डैम के पानी तथा घास व भाभड की लीज आदि के प्रबन्ध से जो बचत हुई उस आमदनी से डैम व पाईप लाईन की मरम्मत, वृक्षारोपण, तथा अपने क्षेत्र मे सामाजिक विकास के कार्य शुरु किए है।

लोहगढ सोसायटी ने 25,311/- रूपये खर्च कर अपने डैम की स्पीलवे की मरम्मत की, 55,524/- रूपये से पानी की 1200 फुट नई पाईप लाईन लगाई 20,000/- रूपये से गाव मे खेडा (मन्दिर) का निर्माण किया तथा सामाजिक वन मण्डल के सहयोग से 2 हैक्टेयर पचायत भूमि पर फलदार पौधो का वृक्षारोपण किया।

मानकपुर नानकचन्द गांव की सोसायटी ने 23,629/- रूपये से अपने वन क्षेत्र मे वृक्षारोपण किया, 65,044/- रूपये से गांव मे स्कूल के लिए कमरा बनाया, 51,296/- रूपये से गांव की एक गली की सडक को पक्का किया तथा 5,000/- रूपये से गाव के खेडा की मरम्मत की।

ालिका 1

ंख्या	सोसायटी का नाम	वन मण्डल	सोसायटी का रजिस्ट्रेशन नम्बर व तिथि	प्रबन्ध कमेटी		
				प्रधान	सैक्टरी	खजान्ची
	खोलगोला	पिंजौर	280 दिनांक 2 7 96	वीर सिह	कर्म सिह	पाखर सिह
	नगली	यमुनानगर	316 दिनांक 2 7 96	बूढा राम	अजगास	शबीर अहमद

नाड़ा की सोसायटी ने अपने 2 डैमों में मछली पालन शुरु किया जिससे उन्हें 10,500/- रूपये की आमदनी हुई।

दमदमा की सोसायटी ने डैम के पाईप के लिए तालाब व साक्ट आदि खरीदने के लिए 5,000/- रूपये खर्च किए और वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई पाईपों को मिल कर स्वयं फिट किया।

धमाला की सोसायटी ने बन्द डैम से पानी निकालने के लिए 16,906/- रूपये से एक नया पम्प व ईधन तथा उसका सामान खरीदा। पाईप लगाने पर 1,000 रूपये खर्च किए और डैम के लिए पहुंच सडक बनाने पर 17,150/- रूपये खर्च किए।

खोखरा–थापल सोसायटी ने डैम की मरम्मत पर 4,500/- रूपये खर्च किए और सांझे इस्तेमाल के लिए 3,595/- रूपये के बर्तन खरीदे।

पमोवाला सोसायटी के लोगो ने मिलकर डैम की हौदी की स्लिट निकाली और बन्द डैम को चालू किया।

साहलेपुर की सोसायटी ने 41,000/- रूपये से डैम की नई पाईप लाईन लगाई तथा 71,000/- रूपये से डैम की मरम्मत की। गांव के भीतर 58,000/- रूपये से दो रास्तों पर ईटो का खड़जा लगाया और एम–आई–टी–सी द्वारा निर्माणित बन्द पड़े ट्यूबवैल को कमपरैसर से खोलने के लिए 10,000/- रूपये खर्च किए।

पानीवाला सोसायटी मे डैम बन जाने के बाद गाव के अन्दर एक सूखे पडे कुए मे अब पानी आ गया है। गाव मे पीने के पानी को उपलब्ध कराने के लिए गांव वालों ने अब उस कुं पर पुल्ली फिट की है और डैम से पानी निकालने के लिए ए साईफन लगाया है।

काठगढ सोसायटी के लोगों ने रूपये इकट्ठे कर अप डैम पर 48,600/- रूपये से 2420 फुट लम्बी नई पाईप लाई लगाई।

भगवान पुर सोसायटी ने डैम की पाईप·लाईन व मरम्मत पर 3,090/- रूपये खर्च किए।

उत्तमवाला सोसायटी ने अपने गाव मे नया स्कूल चा किया है जिसके लिए एक छप्पर का शेड तथा 20x15 फुट व कमरा व बरामदा 38,219/- रूपये मे निर्माण किया है।

(iv) *मरूस्थलीकरण एवं सूखे की रोकथाम का दिव*

वनो के बढते विनाश से मरूस्थल जैसी स्थिति उत्पन्न हो र है और सूखे व गर्मी का प्रकोप बढ रहा है। इस बिगडती हाल के सम्बन्ध मे जन जागरण पैदा करने व रोकथाम के उप जुटाने के लिए सयुक्त राष्ट्र ने हर साल 17 जून व मरूस्थलीकरण व सूखा की रोकथाम का दिवस मनाने व फैसला किया है। टेरी तथा हरियाणा वन विभाग ने मिलव पिजौर मे 17 जून 1996 को एक गोष्ठी सभा आयोजित की जि शिवालिक खण्ड की विभिन्न सोसायटियो ने बढचढ़ कर भ लिया और सांझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम के द्वारा पर्यावरण व व की दशा को सुधारने में ग्रामवासियो की भूमिका पर चर्चा हु इस गोष्ठी मे वन विभाग के अधिकारियो व कर्मचारियों अतिरिक्त लगभग 100 ग्रामवासियों ने भाग लिया।

पाठकों से अपील

पाठको से अपील है, कि वे अपनी सोसाइटी की महत्वपूर्ण घटनाओ तथा साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम सम्बन्धी अपने सुझाव हमे निम्नलिखित पते पर लिखे

डा० बख्शीश सिंह
टाटा ऊर्जा अनुसाधन
सरथान (टेरी)
1594, सैक्टर 36-D
चण्डीगढ - 160 036
दूरभाष (0172)-605451

कोऑर्डीनेटर
जे एम यू
हरियाणा वन विभाग
फोरेस्ट काम्पलैक्स
पिजौर 134 102
दूरभाष (01733)21735

श्री उमा शकर वशिष्ठ
टेरी
1014, सेक्टर - 17
HUDA
जगाधारी, (हरियाणा)
दूरभाष (01732)30006

श्री ओ. एन. कौल
टाटा ऊर्जा अनुसधान सरथान (टेरी)
दरबारी सेठ ब्लाक
हैबीटेट प्लेस
लोधी रोड
नई दिल्ली 110 003
दूरभाष 460 1550, 462 2246

सम्पादक : डा० बख्शीश सिह

हरियाणा वन विभाग तथा टाटा ऊर्जा अनुसधान सरथान (टेरी) द्वारा प्रकाशित एव ग्रेण्ड प्रिक्स,ए–175 हरी नगर दिल्ली–64 द्वारा मुद्रित।